b

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 14 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : **Four Rupees**

विषय सूची/CONTENTS

अंक 50, गुरुवार, 4 मई, 1978/14 वैशाख, 1900 (शक)

No. 50, *Thursday, May* 4, 1978/*Vaisakha* 14, 1900 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	1-16
तारांकित प्रश्न संख्या 968 से 971, 974, 975, 977 और 979	Starred Questions Nos. 968 to 971, 974, 975, 977 and 979	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 7	Short Notice Question No. 7	16-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to Questions:	20-120
तारांकित प्रश्न संख्या 967, 972, 973, 976, 978 और 980 से 986	Starred Question Nos. 967, 972, 973, 976, 978 and 980 to 986	
अतारांकित प्रश्न संख्या 9051 से 9067, 9069 से 9079 और 9081 से 9200	Unstarred Question Nos. 9051 to 9067, 9069 to 9079 and 9081 to 9200	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	120-122
(1) इस्पात, सीमेंट आदि जैसी भवन निर्माण सामग्री की कमी का समाचार—	(i) Reported shortage of Building materials like Steel, Cement etc.—	120-121
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	120-121
(2) मलयालम प्लांटेशनस लिमिटेड नामक एक ब्रिटिश कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके एक भारतीय कंपनी को शेयरों का कथित अन्तरण—	(ii) Reported transfer of shares of Malayalam Plantations Ltd. to an Indian Company in violation of the Foreign Exchange Regulation Act,—	121
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	121
(3) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर में लड़कियों के अनैतिक व्यापार का समाचार—	(iii) Reported trafficking in girls in Rudrapur in Deoria Distt. of Uttar Pradesh—	122
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	122

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—147 LSS/ND/78

विषय	Subject	पृष्ठ /PAGE
(4) आर० बी० एच० एम० जूट मिल्ज, कटिहार के बंद होने का समाचार—	(iv) Reported closure of R. B. H.M. Jute Mills, Katihar, Bihar—	122
श्री युवराज	Shri Yuvraj	122
(5) कोयले के भारी कमी के कारण महाराष्ट्र राज्य में बिजली की स्थिति का समाचार—	(v) Reported Power Position in Maharashtra due to acute shortage of coal—	122
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	122
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	122
कार्य मंत्रणा समिति— 17वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee— Seventeenth Report	123
तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक— पुर:स्थापित	Tobacco Board (Amendment) Bill—Introduced	123
पंचवर्षीय योजना का प्रारुप 1978-83 के बारे में प्रस्ताव--जारी	Motion Re. Draft Five Year Plan 1978-83—Continued.	123–142
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	124
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	124,126-127
श्री वी० अरुणाचलम	Shri V. Arunachalam	128–129
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	129–130
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	130–132
श्री नानासाहेब बोन्डे	Shri Nanasahib Bonde	132
श्री हरिकेश बहादुर	Shri Harikesh Bahadur	133
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया	Shri Balwant Singh Ramoowalia	133–134
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	134–135
श्री विनायक प्रसाद यादव	Shri Vinayak Prasad Yadav	135–136
श्री राम मूर्ति	Shri Ram Murti	136–137
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	137-138
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan	138
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	139
श्री राम सेवक हजारी	Shri Ram Sewak Hazari	140
श्री एस० आर० रेड्डी	Shri S. R. Reddy	140–141
श्री पूर्णनारायण सिन्हा	Shri Purnanarayan Sinha	141–142
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधियों में संशोधन के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. Amendment of Aligarh Muslim University Act and Statutes—	125–126
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	125–126

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 4 मई, 1978/14 वैशाख, 1900 (शक)

Thursday, May 4, 1978/Vaisakha 14, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Selection of Indian Ambassadors

†*968. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to lay a statement showing:

(a) the percentage of bureaucrats, public men, technocrats and other people among the ambassadors;

(b) whether Government have adopted any criteria for the selection of Indian Ambassadors and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) the number and the names of the ambassadors who are Harijans and Adivasis; and

(d) whether any permanent arrangement has been made for giving special information about Indian culture and Indian public life to Indian ambassadors and if so, what?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) A statement is placed on the Table of the House.

(b) Selection of Indian Ambassadors is done by the Foreign Minister and the Prime Minister after taking into account all relevant factors notably the suitability of an individual in the context of our relations with the country concerned. No posts are permanently earmarked for any one category of persons.

(c) The number of Ambassadors who are from the Scheduled Castes/Tribes is six. A list showing their names is placed on the Table of the House.

(d) During the course of briefings before posting abroad, Ambassadors-designate are provided information on points relevant to our representation including information on our cultural heritage. Normally, all Heads of Missions are expected to have an understanding of the public life of the country.

Statement

Total Number of Heads of Mission 97

Category	Number	Percentage
1. Serving officers (officers from Indian Foreign Service and other services)	82	84.53 %
2. Technocrats	Nil	Nil
3. Publicmen	11	11.34 %
4. Other people	4	4.13 %

LIST REFERRED TO IN PART (c) OF THE LOK SABHA STARRED QUESTION NO. 968 FOR 4-5-1978 REGARDING SELECTION OF INDIAN AMBASSADORS

Scheduled Castes

1. Shri K. R. Narayanan, Ambassador to the People's Republic of China	Scheduled Caste
2. Shri L. N. Ray, Ambassador to the Philippines	Do.
3. Shri Chhedi Lal, Ambassador to Panama	Do.

Scheduled Tribes

4. Shri D. C. Manners, Ambassador to Bahrain	Scheduled Tribe
5. Shri K. C. Lalvunga, Ambassador to Colombia	Do.
6. Shri G. G. Swell, Ambassador to Norway	Do.

Dr. Ramji Singh: Mr. Speaker, the statement placed on the table by the External Affairs Minister that out of 97 ambassadors 82 are service officers and the number of public men is only 11. May I respectfully know from him as to what sort of experience do they have, what are the achievements of the public men tested as Ambassadors and what are the achievements of the service bureaucrats? He has also stated that their selection is made with joint opinion of the External Affairs Minister and the Prime Minister taking into consideration of the total utility. The word opinion is very vague. Do you have some objective criterion on standards on the basis of which the selection is made or only their personnel is excercised?

Shri Atal Bihari Vajpayee: My one year's experience is of mixed nature, certain officers are doing better but some officers are not doing well.

So far as non-government officials are concerned their selection is made on the basis of ability and their over all performance has been very well. Ever since I have taken charge of the Ministry, nine major non-officials have been selected as Ambassadors....

श्री के० लकप्पा : राजनीतिक पुनर्वास ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Lakkappa, please give up old channels. Learn some new things. The criterion is only one that the person should really be one who can really represent India and should raise the status of motherland by their deeds and words.

An. Hon. Member: Should be a patriot.

Shri Atal Behari Vajpayee: It is necessary to say that they should be patriot. That is the basic condition. When we test any person he is admitted by as patriot.

Dr. Ramji Singh: Mr. Speaker, it is good that persons of public calibre, national leaders are being appointed as Ambassadors and the manner in which they have progressed we believe that the march of progress would continue.

Can the hon. Minister tell that persons of public life are appointed as Ambassadors by the Foreign Ministries of the world, especially and their success is comparatively on the higher side and our experience in the field is very little. Would we increase it? I congratulate you for giving the information that Harijans and Girijans are also appointed as Ambassadors. Would the Janata Government try to increase their number in coming years?

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker, I shall record the question first. As yet the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is less, it is necessary to increase their number. My endeavour is that suitable persons if available are sent. In this connection the hon. member can help me. If he would send me the names of good persons I would necessarily consider them.

So far as the experience of other countries is concerned, each country has its own traditions and we do have tradition of our own and to say that the Indian Foreign Service is useless is not correct. They do have good work to their credit, there are persons who have represented India in a better way, but our efforts are that more and more non-governmental officials may join it and we may progress in that direction.

श्री हितेन्द्र देसाई : क्या यह नीति है कि मद्य-त्यागियों को नियुक्ति की जाती है? क्या यह नीति युक्ति संगत है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ सीमा तक यह सही है ।

श्री विनोदभाई बी० सेठ : राजदूत वह व्यक्ति है जो विदेश में झूठ बोलता है । बेशक जनता पार्टी के शासन में गान्धीवादी सिद्धान्तों पर चलते हुए हम यह नहीं चाहेंगे कि हमारे राजदूत असत्य भाषण करें। अतएव राजदूतों की नियुक्ति के लिए मानदण्ड क्या संस्कृति, कृषि, व्यापार अथवा वाणिज्य में से क्या है । क्या आयात-निर्यात व्यापार के विस्तार को ध्यान में रखते हैं, क्या राजदूतों की नियुक्ति के समय वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श किया जाये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राजदूतों की नियुक्ति के समय सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है । यदि कोई पद वाणिज्य सचिव का है तो सामान्यतः वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श किया जाता है ।

श्री वयालार रवि : कुछ ही सार्वजनिक व्यक्तियों को राजदूत नियुक्त किया गया है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है—बेशक मुझे पता है कि यह सच है कि इन सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा राजदूत के रूप में भेजी गई रिपोर्टों का आपके मंत्रालय में उचित रूप से अध्ययन नहीं किया जाता तथा उनसे भेदभाव बरता जाता है। विदेशी सेवा का सभी कर्मचारी उनसे भेदभाव रखते हैं तथा उन्हें तंग करते हैं । क्या आप उन राजनीतिक व्यक्तियों को भारतीय विदेश सेवा के कर्मचारियों से संरक्षण देंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कुछ सार्वजनिक व्यक्तियों को केबिनेट स्तर दिया गया है । उनकी रिपोर्टों पर विशेष ध्यान दिया जाता है । मुझे उनकी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं । विदेश मंत्री के नाते मैं उन सार्वजनिक व्यक्तियों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों को विशेष महत्व देता हूं । मैं अपने मित्र श्री वयालार रवि को आश्वासन देता हूं कि यदि वह लोक सभा से त्यागपत्र दे दे तो मैं उन्हें राजदूत नियुक्त करने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रस्ताव है (व्यवधान)

लौह अयस्क खानों में मजदूरों की छंटनी

***969. श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या इस्पात और खान मंत्री 20 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ लोह अयस्क खानों के मजदूरों की छंटनी के आदेश दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मजदूरों को उक्त आदेश दिये गये है और वे किन-किन खानों में काम करते हैं ; और

(ग) ऐसा करने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1978 में अब तक लौह-अयस्क की खानों में छंटनी किए गए कामगारों में बैलाडिला के 1375, दोनीमलाई के 312 तथा उड़ीसा की निजी खानों के 596 कामगार शामिल है । जिन कामगारों को जबरी छुट्टी करनी पड़ेगी उनकी ठीक-ठीक संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि जापान तथा अन्य देशों को वास्तव में कितना माल भेजा जाता है ।

(ग) छंटनी के मुख्य कारण ये है कि विश्व में विशेषतया जापान में इस्पात उद्योग में अत्यधिक मंदी आने के कारण लोह-अयस्क के निर्यात की मांग में कमी आई है, खानों/रेलवे हेड/बन्दरगाहो पर लौहअयस्क के स्टाक का भारी जमाव हो गया है और खानों का यंत्रीकरण किया गया है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मंत्री महोदय ने उन कुछ खानों का उल्लेख किया है जिनमें मजदूरों की छंटनी हुई है । उन्होंने बहुत ही नपातुला उत्तर दिया है और पूरी जानकारी नहीं दी है । चिकमगलुर स्थित बाबूबुदान लौह अयस्क खान के बारे में क्या जानकारी है जहां काफी छंटनी हुई है ? बेरोजगारी का उन्मूलन करने का दावा करने वाली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री द्वारा दिए गए ऐसे हल्के उत्तर से मुझे वास्तव में दु:ख हुआ है । इस प्रश्न का यही उद्देश्य है कि यदि ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं तो बेरोजगारी के शिकार इन मजदूरों को पुन: रोजगार देने की क्या सम्भावनाएं हैं ? अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इस्पात उद्योग में आयी मन्दी को ध्यान में रखते हुए लौह अयस्क खानों को मजदूरों की पूर्ण रोजगार की गारंटी देने के बारे में उनका क्या विचार है ।

श्री बीजू पटनायक : मैंने इस प्रश्न का यहां पहले ही उत्तर दे दिया है कि मजदूरों की यह छंटनी ठेके के समाप्त होने के कारण हुई है । जब ठेकेदार से ठेका ही जाता है तो ठेकेदार कुछ अनस्किल्ड मजदूरों को काम पर लगा लेता है जो पत्थर तोड़ने, पत्थर खोदने और पत्थरों को ढोने का साधारण काम करते हैं, जैसा कि दिल्ली में भी होता है । ठेका पूरा होने के बाद यदि काम नहीं रहता है तो ये मजदूर चले जाते है । जनता सरकार की नीति है कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां से ये मजदूर आते हैं, रोजगार के अवसर पैदा किए जायें । ये स्थायी खान मजदूर नहीं हैं । मैं इतना ही कहना

चाहता हूं। मन्दी की स्थिति में एक ही विकल्प है कि मैं सभी यंत्रीकृत खानों को बन्द कर दूं और वहां के सभी मजदूरों को काम से निकाल कर इन ठेके के मजदूरों को काम पर लगा लूं। यह सम्भव भी नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। अतः जब ठेके का काम पूरा हो जाता है तो ठेके के ये मजदूर और ठेकेदार अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। देश भर में यही हो रहा है। चाहे सड़के बनती हों, मकान बनते हों या पूल अथवा बिजली घर बनते हों। मुझे विश्वास है कि यह सुझाव कोई नहीं देगा कि सभी प्रकार के निर्माण कार्य-मजदूरों को स्थायी किया जाये जबकि निर्माण कार्य समाप्त हो जाता है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : प्रश्न लौह अयस्क खानों के बारे में किया गया है। और मंत्री महोदय निर्माण कार्य पर चले गये हैं। इसी साधारण तरीके से मंत्री सदन को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मेरा प्रश्न विशेषतया लौह अयस्क खान मजदूरों के बारे में ही है। मंत्री महोदय को इसी के सम्बन्ध में उत्तर देना चाहिए। यदि ऐसा कार्य ठेके पर दिया जा रहा है, जैसा कि किया गया है, तो सम्विद श्रमिक अधिनियम को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। इस नीति के प्रति देश वचनबद्ध है। मैं मंत्री महोदय से बाबूबुदन लोह अयस्क खान के बारे में जानना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में उत्तर नहीं दिया है।

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीया सदस्य को बताना चाहूंगा कि लौह अयस्क मजदूर जैसा कोई वर्ग नहीं है। ये साधारणतया अकुशल मजदूर हैं जिन्हें अल्प समय के लिए ठेकेदारों द्वारा किराये पर भर्ती किया जाता है और जिनसे लौह अयस्क की खुदाई का काम तथा उसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तक भेजने का काम लिया जाता है। ये सड़क बनाने, नहर खोदने अथवा कलकत्ता में भूमिगत रेलवे में काम करने वाले मजदूरों की तरह ही साधारण मजदूर हैं। मुझे पूरा विश्वास है कोई ऐसा सुझाव नहीं देगा कि भूमिगत रेलवे मजदूरों को कलकत्ता महानगर निगम के स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाये और उन्हें काम समाप्त होने के बाद भी काम पर रखा जाये। इसी प्रकार ये ठेके के काम पर लगे साधारण श्रमिक है। यदि माननीया सदस्या सम्विद श्रमिक को समाप्त करने के लिए कहती है तो इस प्रक्रिया में सम्विद श्रमिक समाप्त होते जा रहे हैं। मुझे विवाद का पता नहीं है।

जहां तक बाबूबुदन की खानों का सम्बन्ध है, मैं जांच के दूसरे चरण को पूरा करने में लगा हुआ हूं ताकि ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार हो सके जिससे वहां काम पर लगे 300 मजदूर काम पर ही लगे रहे सकें।

Shri Mohan Bhaiya : The hon. Minister has said that mechanisation is one of the causes of retrenchment. It is a well known fact that we have manpower in abundance and the mechanised mining work is more costly in relation to the mining work being done by the workers. I want to know from the hon. Minister whether he would consider to abolish the system of mechanization?

The hon. Minister gave information in reply to a question that about 6742 workers will be rendered surplus because of mechanisation in Delhi-Rajhera. I want to know whether he will utilise the power of labour force by abolishing the system of mechanisation so that the problem of retrenchment & unemployment may not arise?

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले यही कहा था। यह निर्णय करना सदन का कार्य है कि क्या यंत्रीकृत खानों में स्थायी श्रमिकों को नियम्ति किया जाये या उन्हें काम से निकाला जाये या कि ठेके के मजदूरों को काम पर लगाये रखा जाये। मुझे विश्वास है यह सुझाव कोई नहीं देगा कि इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले स्थायी श्रमिकों को काम से निकाल कर उनके स्थान पर अस्थायी सम्विद श्रमिकों को काम पर लगाया जाये।

श्री के० लकप्पा : मैं श्रमिक विरोधी नीति अपनाने वाले मंत्री को भड़काना नहीं चाहता । लेकिन यह सच है कि उन्होंने विशेषकर इस लौह अयस्क खान में, जहां ठेके की प्रथा विद्यमान है और अकुशल तथा कुशल श्रमिक काम करते हैं, सम्विद (ठेके की) कार्य प्रणाली को निरस्त करने सम्बन्धी मामलों पर चर्चा की है । उनको वहां कोई सुरक्षा नहीं है और ठेका समाप्त होने पर उनका रोजगार भी सुरक्षित नहीं है । क्या आप श्रम मंत्रालय के साथ कोई सार्थक वार्ता करेंगे और यह देखेंगे कि इस वर्ग के श्रमिक कुशल और अकुशल, छंटनी के शिकार न होने पायें ? क्या आप इन खानों में काम करने का खतरा मोल लेने वाले श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : मेरे पास अपनी यह बात दोहराने के सिवाय और कुछ नहीं कहना कि ठेके के मजदूर अल्प समय के लिए सीमित कार्य करते हैं । ज्यों ही ठेका पूरा हो जाता है और काम समाप्त हो जाता है तो उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं रहता ।

श्री के० लकप्पा : श्रम मंत्रालय एक कार्य प्रणाली के द्वारा ही इस बारे में कुछ कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल सुझाव मात्र ही है ।

श्री के० लकप्पा : जो नहीं, क्या मंत्री महोदय कोई सार्थक बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि इसमें हजारों लोगों का हित है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने निःसन्देह सुझाव दिया है ।

श्री के० लकप्पा : उन्होंने क्या कहा ? उन्होंने इसका कोई उत्तर ही नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप श्रम मंत्रालय के साथ बातचीत करेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने इसका उत्तर दे दिया है । मैं इसे दोहराना चाहता हूं । हम सब आपस में इस मामले पर निरन्तर चर्चा करते रहते हैं । समूचे देश भर में सम्विद श्रमिक हैं जो ठेके पर काम करते हैं । **(व्यवधान)** सम्विद श्रमिक अधिनियम को निरस्त करने के सुझाव का अर्थ है सम्विद व्यवस्था (ठेका-प्रणाली) को समाप्त करना । यही किया जा रहा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, Sir, just now it has been stated by the hon. Minister that the link canal proposal is perhaps one of the biggest schemes of water management in the world. I want to know from hon. Minister that if this proposal is accepted by Bangladesh, then what will be the impact of this proposal on India and Bangladesh? The second part of my question is that what are other proposals and details thereof?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, there are several proposals. Some proposals have been advanced by India as well as Bangladesh. Joint Commission will consider those suggestions. My submission is that at this moment I should not be pressed for disclosing the details of the proposal as it is likely to affect our negotiations. If the proposal is accepted, what will be its implications, is such an issue about which I will not say anything at the moment. Broadly speaking, we are interested to take out a canal from Brahamputra river which will run in some area of India as well as Bangladesh. Huge amount will be spent in it. We are having dialogue with Bangladesh in this matter. It is hoped that some practical and economical plan will be chalked out which will be beneficial for both the countries and will also help in increasing the water of Farakka dam.

Shri Kanwar Lal Gupta: Mr. Speaker, Sir, hon. Minister has declined to give any details but some details have appeared in the newspapers which I do not want to repeat. I want to ask from hon. Minister whether it is a fact that our representative Mr. Menon had met the representative of Bangladesh in this connection and if so what is the reaction thereof? I would also like to know that whether it is also a fact that Tripura Grovernment has written to the Centre that near Tripura a dam has been constructed by Bangladesh which is a violation of the agreement. According to the agreement if any country builds a dam within the territory of 135 kms. under the jurisdiction of other country, it will have to do so in consultation with the other country. Bangladesh has constructed this dam within the territory of 135 Kms. Whether you have got some letter from the Tripura Government in this regard? If so, whether you have held any talks with Bangladesh in this regard or not?

Shri A. B. Vajpayee: Further talks are yet to be held on the proposals put forward. No proposal has either been accepted or rejected. But it is not possible for me to give a categorical answer. So far as Tripura is concerned, I require prior notice.

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु: मैं जानना चाहता हूं कि बंगला देश के साथ हाल में हुई बातचीत का परिणाम क्या निकला और बंगला देश के साथ पहले से किये गये समझौते की शर्तें क्या हैं? आप को मालूम है कि हुगली नदी सूखती जा रही है जिसके फलस्वरूप कलकत्ता बन्दरगाह पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यह समाप्त हो जायगी। अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा 56 करोड़ रुपये की लागत से फरक्का बांध बनाया गया और बंगला देश ने इस में एक पाई का भी सहयोग नहीं दिया। क्या मंत्री जी फरक्का बांध से जल की निकासी को 20,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 40,000 क्यूसेक करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि पहले प्रस्ताव किया गया है और जिस के लिये हम समय समय पर जोर देते रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: इसके लिये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। परन्तु बंगला देश का समर्थन भी जरूरी है और इस के लिये हम कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

श्री चित्त बसु: समझौते के अनुच्छेद 9 के अधीन दोनों सरकारों को यह सुनिश्चित करना है कि फरक्का में शुष्क मौसम में जल की मात्रा में वृद्धि करने के लिये कुछ प्रस्तावों को लागू किया जायें। संयुक्त नदी आयोग की गत बैठक में यह निर्णय किया गया कि दोनों देश अगली बैठक में, जिसको जून या जुलाई में होने की संभावना है, अपने-अपने विशिष्ट प्रस्तावों को विचारार्थ रखेंगे।

मेरा प्रश्न है यह कि क्या हमारी ओर से कोई प्रस्ताव रखा गया है अथवा बंगला देश ने कोई विशिष्ट प्रस्ताव रखा है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त किये गये इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि ये परियोजनाएं समय खाने वाली हो सकती हैं और आर्थिक दृष्टि से इन्हें व्यवहार्य होना चाहिये और इन की प्रगति के दूरगामी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय तीन वर्ष के आधार के स्थान पर वार्षिक आवश्यकताओं के आधार पर गंगा के पानी के बंटवारे की बात बंगला देश सरकार के साथ पुनः चलायेंगे, जब तक कि कलकत्ता के बेकार हो रहे पत्तन को पुनर्जीवित करने के लिये फरक्का बांध से पानी की सप्लाई उत्तरोत्तर बढ़ाने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार ने अनेक प्रस्ताव उनके सामने रखे हैं, जिनमें फरक्का पर ब्रह्मपुत्रा और गंगा को जोड़ने वाली नहर का प्रस्ताव भी शामिल है।

श्री चित्त बसु : यह तो भारत की ओर से प्रस्ताव हुआ। बंगला देश ने क्या प्रस्ताव रखा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बंगला देश ने भी अनेक प्रस्ताव रखे हैं, जो विचाराधीन हैं।

श्री चित्त बसु : मैंने समझौते पर पुनर्विचार के बारे में पूछा था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी से पुनर्विचार के लिए कहना उचित नहीं है।

श्री आर० के० महालगी : क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र को जोड़ने वाली नहर के बारे में भी बंगला देश ने कोई प्रस्ताव भेजा है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

मुझे अभी अभी कुछ जानकारी मिली है और मैं अपने मित्र श्री कंवर लाल गुप्त को बताना चाहता हूं कि बंगला देश ने ऐसा कोई बांध नहीं बनाया है, जिससे त्रिपुरा प्रभावित होता हो।

राजस्थान में दैनिक डाक सुविधाओं से वंचित ग्राम

*971. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य में एसे अनेक गांव हैं जिनमें प्रतिदिन डाक बांटने की सुविधा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में ऐसे गांवों तथा उन क्षेत्रों की जनसंख्या के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार राजस्थान राज्य के प्रत्येक गांव में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराने की स्थिति में होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : जी नहीं। राजस्थान राज्य के सभी 33,305 गांव दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri S. S. Somani : He has stated that all the villages are covered under daily dak delivery scheme. I want to know what is the nature and scope thereof?

Shri Narhari Prasad Sai : The daily dak delivery covers delivery of all letters from Branch and Divisional post offices.

Shri S. S. Somani : I feel that the present Government is also functioning like the previous Government in many ways. For instance, when I go to villages in my constituency, people complain that they do not get their dak for 15-20 days. Regarding telephone exchanges, it was declared that these would be provided in villages having a population of five thousand and more but there is no such exchange in Kapasan and Badi Sadri villages in Chittor district having a population of nearly 15,000. These are assurances which have not been implemented. This time also your schemes are very ambitious. It was announced that 50,000 post offices and 3 lakhs letter-boxes will be provided. I want to know whether daily dak delivery will be ensured in the rural areas of Rajasthan and whether timely delivery will be re-ensured?

Shri Narhari Prasad Sai : Sir, in 1974 the daily dak delivery was 51.3 per cent. This is now cent-per cent in Rajasthan. In the entire country this is 99.5 per cent.

Shri D. R. Saran : There are hundreds of such villages where no postman is seen during the day.

Shri Begaram Chauhan : There is no post office. I want to know when postal employees will start working properly?

Shri Narhari Prasad Sai : If there is any such specific complaint, we will look into it if it is brought to our notice.

अध्यक्ष महोदय : जांच करना ही बेहतर होगा क्योंकि अनेक गंभीर शिकायतें आ रही हैं।

दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की सीमा पर खनिज पदार्थ

*974. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की सीमा पर कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाये गये हैं; और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है और उस क्षेत्र में खनिजों की खोज के लिये और सर्वेक्षण कराने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के सीमावर्ती इलाकों में मुख्यत : सीसा-जस्ता-अयस्क और कोयला खनिज पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त जलपाईगुड़ी के जानिटी-बक्सा-दुरास क्षेत्र में अच्छे ग्रेड के निम्न सिलिका डोलोमाइट के पर्याप्त भंडार मिले हैं। इस क्षेत्र में चूना पत्थर, खनिजमिट्टी और चूनेदार पत्थर के भी छिटपुट भंडार होने की सूचना है।

(ख) दार्जिलिंग जिले के गोरुबाथन क्षेत्र में सीसा-जस्ता अयस्क के 15.70 लाख टन भंडार होने का अनुमान है जिनमें लगभग 4% सीसा और लगभग 6% जस्ता है। जलपाईगुड़ी जिले के जानिटी-बक्सा-दुरास क्षेत्र में डोलोमाइट के लगभग 5900 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। जलपाईगुड़ी की सीमा से लगे हुए दार्जिलिंग जिले के दक्षिणी भाग में 80 कि०मी० की लंबाई में एक पतली पट्टी मे कोयले की छिटपुट पर्तें पाई गई हैं। भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षणों से लोश नदी और चेल नदी के बीच बीच कोयले के 5–6 पतले क्षेत्रों का संकेत मिला है। भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था द्वारा 1977-78 (अक्टूबर 1977-सितम्बर, 1978) के क्षेत्रगत सत्र के दौरान दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में सीसा-जस्ता तथा कोयला हेतु आगे और खोज कार्य किया जा रहा है।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूचबिहार तथा पश्चिम दीनाजपुर उत्तर बंगाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं जो कि एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। उत्तर बंगाल में पहाड़ी इलाका है। इस क्षेत्र में असीमित मात्रा में खनिज पदार्थों के भंडार है किन्तु वहां अभी तक गंभीरता से ड्रिलिंग करके किसी प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वहां बड़ी मात्रा में डोलोमाइट, कोयला तांबा, सीसा, जस्ता के भंडार उपलब्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भारतीय भू सर्वेक्षण के मार्ग दर्शन में उस क्षेत्र में कितनी बार भौगोलिक सर्वेक्षण किए गए तथा उत्तर बंगाल का कितना क्षेत्र नियमित ढंग से मानचित्रित किया गया है और उस क्षेत्र में मार्च, 1978 तक कितना मीटर छिद्रण किया गया।

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य जानना चाहते है कि इस संबंध में क्या क्या किया गया है। यह जानकारी मैंने अपने विस्तृत विवरण में दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते है कि वहां कितनी बार सर्वेक्षण किया गया और कहां-कहां किया गया है।

श्री बीजू पटनायक : भू तथा भौगोलिक सर्वेक्षण का काम निरंतर चलता रहता है। साथ ही मानचित्रण का काम भी निरंतर हो रहा है। सर्वेक्षण कितनी बार किया गया है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। उस क्षेत्रों में खनिज भंडारों का पता चलाने के लिये व्यापक रूप से सर्वेक्षण तथा छिद्रण कार्य किया गया है। यह काम निरंतर चलता रहता है।

अध्यक्ष महोदय : कितने क्षेत्र में यह काम किया गया है ?

श्री बीजू पटनायक: यह बात मैंने विवरण में बता दी है। मैंने कहा है कि डोलोमाइट 5900 लाख टन के करीब होगा। एसा तब तक पता नहीं लग सकता था जब तक कि व्यापक रूप से सर्वेक्षण न किया होता। माननीय सदस्य को यह जानकर हर्ष होगा कि इसे निकालने का काम केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार साझेदारी से करेंगे। हम इस कम सिलीकन वाले डोलोमाइट का उपयोग इस्पात संयंत्रों के लिये कर रहे हैं। उत्तर बंगाल में पहली बार इस कम सिलीकन वाले डोलोमाइट की कुछ विशेष खोज की गई है और हम इसे उपयोग में लाने जा रहे हैं।

श्री अमर राय प्रधान : यदि उत्तर बंगाल के अयस्क को राजस्थान के खेतड़ी या बिहार के घाट शिला संयंत्रों को पिघलाने के लिये भेजा जायेगा तो इस पर बहुत लागत आयेगी। इसके अतिरिक्त सिक्किम के रांगपो क्षेत्र में तांबे, जस्ते तथा जिंक का दूसरा भंडार है जो कि गौरूबथन से अधिक दूरी पर नहीं है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी हमें यह बता पायेंगे कि क्या सरकार उत्तर बंगाल में तांबे, जस्ते तथा जिंक संयंत्र स्थापित करेगी और इसे गलाने के लिये अपेक्षित व्यवस्था करेगी।

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां कहीं विश्व में खनिज पदार्थों का कम्पलेक्स बना है, वहां इस मिश्रण को पृथक करने का काम संतोषजनक नहीं हुआ। अत: इन खनिजों का उपयोग करके आर्थिक पैमाने पर किसी संयंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। सिक्किम में खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में हैं किन्तु वे मिश्रित हैं और इसलिये उनको अलग अलग करना बहुत कठिन है। इसको संतोषजनक ढंग से पृथक करने का अभी कोई तरीका नहीं निकला है। यद्यपि हमारी राष्ट्रीय प्रयोग शालाएं तथा विश्व की प्रयोगशालाएं इसका तरीका निकालने के प्रयास में है, किन्तु वे इस कार्य में अभी तक सफल नहीं हुए हैं।

Percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes amongst persons employed in 1977

†*975. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to lay a statement showing:—

(a) the number of persons provided with employment in the Ministry in 1977, indicating the number of L.D.Cs., Stenographers, and Gazetted Officers among them; and

(b) the percentage of persons belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe, among them?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) & (b): A statement containing the required information is given below:—

Statement

Direct recruitment made to various Grades in the Ministry of External Affairs during 1977

Sl. No.	Group and Grade	Gazetted or Non-gazetted	Number of persons appointed	Number of SCs and STs among them and their percentage in relation to total recruitment made: SCs	%	STs	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	*GROUP A*						
	1 Junior Scale of I.F.S.	Gazetted	20	3	15%	3	15%
	2 Assistant Legal Adviser	Gazetted	1	..	..	..	..
	Total Group A		21	3	14·3%	3	14.3%
II	*GROUP B*						
	1 Integrated Grades II & III (Section Officers)	Gazetted	8	1	12·5%	..	..
	2 Senior Hindi Translators	Non-gazetted	2	..	..	..	..
	3 Grade IV (Assistants)	Do.	4	2	50%	..	..
	4 Grade II of Stenographers Sub-cadre (P.As)	Do.	21	..	..	..	..
	Total Group B		35	3	8.6%	..	..
III	*GROUP C*						
	1 Grade VI (LDCs)	Non-gazetted	75	10	13·3%	2	2.7%
	2 Chauffeurs	Do	17	1	6%	..	..
	Total Group C		92	11	12%	2	2·2%
IV	*GROUP D*						
	1 Peons	Non-gazetted	12*	..	..	..	..
	2 Sweepers	Do.	3	3	100%	..	..
	3 Packers	Do	2	1	50%	..	..
	Total Group D		17	4	23·5%	..	..
	Total Recruitment (Groups A to D)		165	21	12·7%	5	3·3%

*11 employed on compassionate grounds and 1 employed in Office of Minister of State.

Shri Hukam Chand Kachwai: According to the statement of the Minister, the number of Scheduled Castes and Scheduled tribes in A class is 8 per cent less, in B class 14 per cent less and in C class 10 per cent less. I want to know by what time this gap will be filled up.

Shri Atal Behari Vajpayee: We are trying our best to fill up these vacancies.

Shri Hukam Chand Kachwai: Government take extra-ordinary time in doing any thing. Will the Hon. Minister give assurance that this thing will be done within a year. I want to know whether this is due to previous Government or the present Government. If it is due to present Government, what steps are being taken to fill up these vacancies?

Shri Atal Behari Vajpayee: The wrong done during the 30 years cannot be undone within a year. But we will see that this thing is done as early as possible.

Shri Ram Vilas Paswan: I want to know from the Hon. Minister whether full quota has been given to the people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the various grades after Janata Government came to power and the same will be given to them in future also?

Shri Atal Bihari Vajpayee: The people belonging to Scheduled Castes and Scheduled tribes have not been given full quota in higher grade.

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि सत्ता में आने के पश्चात् क्या अपने उन लोगों को पूरा कोटा दिया है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have no information about it. Our desire is to give them full quota.

Shri Hukam Deo Narain Yadav: The only reason given for not appointing the persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled tribes is that competent persons are not available. But why their per centage is less from 10 to 20 per cent in class 3 and 4, because persons having less ability can be taken in such jobs. Sometimes the appointing authorities delibrately ignore these people. If the Government want that they should not be ignored, their full quota should be filled up.

Shri Atal Behari Vajpayee: Mr. Speaker, there are certain posts for which Government do not make direct appointment. Persons are selected through U.P.S.C. or other Boards. I will be happy if the Government makes any policy that until the full quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled tribes is filled up, the persons of other sections should not be appointed. But so far no such policy has been made.

Compliance of Sub-Rules under Official Languages Act

†*977. **Shri Ganga Bhakt Singh:**

Shri Nawab Singh Chauhan:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether all the officers of the Posts and Telegraphs Department are complying with rules and sub-rules framed under the Official Languages Act;

(b) if so, the number of general orders, notices, permits, etc., printed in bilingual form during the period 1 April, 1977 to 31 March, 1978; and

(c) if sub-rules are no being complied with, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) The rules and sub-rules under the Official Languages Act are being generally complied with.

(b) The total number of such documents in bilingual form during this period is about 33 thousand. In addition, the total print order for bilingual BRL and TV Licences was 15 lakhs.

(c) Does not arise.

Shri Nawab Singh Chowhan : How the Minister has come to know that orders are being carried out in every department ? Has the implementation Committee set up in every department including in your Ministry? If the Committee has not been set up, how it is known that the orders are being carried out ?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : It is examined from time to time and the report is given thereon.

Shri Nawab Singh Chowhan : I am asking whether the said Committee has been set-up or not.

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या आपने जांच करने वाली समिति की नियुक्ति कर दी है ?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : This question is under consideration.

अध्यक्ष महोदय : वह कोई जवाब नहीं है। उन्होंने पूछा है कि क्या कोई ऐसी समिति है जो इस बात की जांच करती है ? आपको कैसे पता चलता है कि ऐसा हो गया है।

Shri Nawab Singh Chowhan : According to Official Language Act, there should be a implementation committee in each department. I am asking whether such committee exists in your Department ? Only through that committee it can be find out that the rules are being followed or not.

अध्यक्ष महोदय : यही बात मैंने कही है।

The Minister of Communication (Shri Brij Lal Verma) : We have a Hindi department in our Ministry to see whether the implementation of rules are properly followed. **(Interruption).**

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न

(व्यवधान)

श्री वयालार रवि : इस तरह सरकारी दबाव से काम नहीं चलेगा।

Shri Nawab Singh Chowhan : This rule is being violated, because there is no implementation committee. It has been stated that so many documents are bilingual. I want to know whether other documents will also be made bilingual?

Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai : The number of bilingual documents is 32,535 and in Hindi there are approximately 25,000 documents.

श्री ए० सी० जार्ज : यह प्रश्न केवल फार्मों या फार्म छापने का नहीं है। इसमें व्यापक प्रश्न निहित है। संचार का अर्थ यह है कि लोग एक दूसरे को समझ सकें। मंत्रालय इस बात पर जोर दे रहा है कि वे विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को केवल एक भाषा में छापेंगे। मैं एक विशेष उदाहरण दे सकता

हूं । सभी स्थानों के विदेश डाक घरों में फार्म केवल हिन्दी में छपे हुए है । टेलीफोन के बिल केवल हिन्दी में दिए जाते हैं । यह बात सरकारी नीति के विरुद्ध है। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी इस तरह के अनुदेश जारी करेंगे कि ये सारे फार्म कम से कम दो भाषाओं में छापे जाने चाहिये।

श्री बृजलाल वर्मा : ये हमेशा ही दो भाषाओं में छपे होते है।

श्री के० गोपाल : नहीं श्रीमान नियम 377 अधीन में यह बात आपके ध्यान में लाता हूं। मैंने आपके लिये टेलीफोन किया। आप गलत बात क्यों कह रहे हैं। गलत बात मत कहिये क्या आप शर्मिन्दा नहीं हैं ? यह हम आपके ध्यान में लाये हैं वे केवल हिन्दी में ही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए ।

श्री के० गोपाल : वह झूठ बोल रहे है । आप झूठी बात क्यों कहते है । नियम 377 के अधीन मैं यह सभा का ध्यान दिलाने के लिए लाया । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर देने दीजिए। श्री जार्ज ने प्रश्न पूछा है। दूसरे लोग अकारण ही बीच में बोल रहे हैं। पहले हम उनका उत्तर सुन लें ।

श्री ए० सी० जार्ज : सभा का अपमान किया गया है । उन्होंने बिल्कुल झूठ बोला है ।

श्री के० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री के० गोपाल : नियम 377 के अधीन मैं यह बात सभा के ध्यान में लाया हूं। फार्म केवल हिन्दी में छपे हुए हैं। वह झूठ बोल रहे हैं । क्या आपको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तर सुनिए। मंत्री जी माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हें फार्म केवल हिन्दी में छपे हुए मिले हैं। वे उन फार्मों को यहां पेश कर सकते हैं। वे कहते है कि हम ऐसा कर सकते हैं। माना कि उनकी बात सही है तो क्या आप इस मामले की जांच करेंगे ?

श्री ए० सी० जार्ज : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि आपका उत्तर सही नहीं है ।

Shri Brij Lal Verma : Mr. Speaker.

श्री के० लकप्पा : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाता हूं। वह इस ढंग से कार्य नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय: उनका उत्तर है "नहीं"। सदस्य ने प्रश्न पूछा है और उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री के० लकप्पा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। **(व्यवधान)** इसे रिकार्ड में मत रखिए ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने प्रश्न पूछा है और उन्हें इसका उत्तर देना है ।

श्री बृजलाल वर्मा : पहले आप मेरी बात सुनिए। फिर आप स्वयं ही संतुष्ट हो जायेंगे। यदि कोई इस तरह की बात होगी तो मैं उसकी जांच करूंगा। किन्तु अनुदेश ये हैं कि दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाए। यदि इसमें कोई दोष होगा तो मैं उसकी जांच करूंगा और सुनिश्चित् करूंगा कि भविष्य में ऐसा न हो ।

श्री के० गोपाल : मैं नियम 377 के अधीन यह बात आपके ध्यान में लाया हूं। अब आपका क्या उत्तर है ? इस बारे में आपने क्या किया है ? वह इस तरह कैसे कह सकते हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले की जांच करूंगा। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात रिकार्ड में मत रखिए।

(व्यवधान)

Shri Yuvraj: Mr. Speaker, I rise on a point of order. The word he has used should be expanged from the record.

अध्यक्ष महोदय : "झूठ" एक गैर-संसदीय शब्द है। जहां कहीं "झूठ" शब्द आया है, उसे वहां से निकाल दीजिए।

श्री के० गोपाल : "असत्य" शब्द गैर-संसदीय शब्द नहीं है ? (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : जब मंत्री जी सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कहां तक रोका जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जहां कहीं "झूठ" शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां असत्य शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।

सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का विकास

*979. **श्री ए० मुरुगेसन** :
श्री रागावलू मोहनरंगम् :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातकोत्तर केन्द्र, अनुसंधान संस्थान/केन्द्रों आदि की स्थापना सहित सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या जनबल, इमारतें तथा अन्य सुविधाओं को दृष्टि से सिद्ध प्रणाली एवं आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी जसी अन्य प्रणालियो का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या गत पांच वर्षों में धनराशियों के आबंटन आदि के बारे में सिद्ध प्रणाली की उपेक्षा हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सिद्ध के दो स्नातकोत्तर विभाग, एक मारुतवम और दूसरा गुणमदम का, 1972 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गवर्नमेंट कालेज आफ इण्डियन मेडिसिन, पलायमकोट्टै (तमिल नाडु) में काम कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद के अधीन सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान संबंधी निम्नलिखित अनुसंधान संस्थान/अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं:—

1. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, (सिद्ध) मद्रास–29।
2. कैप्टन श्री निवास मूर्ति अनुसंधान संस्थान, मद्रास में औषध मानकीकरण यूनिट (सिद्ध)।
3. साहित्यिक अनुसंधान यूनिट (सिद्ध) पलायमकोट्टै।

2—147 LSS/ND/78

4. गवर्नमेंट कालेज आफ इण्डियन मेडिसिन पलायमकोट्टै में औषधि पादप सर्वेक्षण यूनिट।

5. साहित्यिक अनुसंधान यूनिट (सिद्ध) टी० एम० एस० एस० एम० पुस्तकालय, तंजावुर।

6. अरिगनार अन्ना अस्पताल फार इण्डियन मेडिसिन, मद्रास में क्लीनिकी अनुसंधान यूनिट (सिद्ध)।

(ख) सिद्ध आयुर्वेद, यूनानो और होम्योपैथो, किसी भी पद्धति के बारे में काम करने वाले व्यक्तियों, भवनों और अन्य सुविधाओं सबधी कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। उनका काम करने वाले उपलब्ध व्यक्तियों का अनुमान इन अलग-अलग पद्धतियों के राज्य बोर्डों/परिषदों के रजिस्टरों में दर्ज किये गये इन पद्धतियों के चिकित्सकों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

(ग) सिद्ध पद्धति की उपेक्षा नहीं की गई है और इसके विकास के लिये अपेक्षित स्नातकोत्तर अध्ययनों और अनुसंधान कार्यों के लिये पर्याप्त मात्रा में धनराशि की व्यवस्था की गई है।

श्री रागावलू मोहनरंगम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर से ऐसा लगता है कि सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की मद्रास तथा अन्य स्थानों पर पूरी तरह उपेक्षा नहीं की गई है। किन्तु तमिलनाडु में यह आमतौर पर कहा जा रहा है कि सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की सरकार ने पूरी तरह उपेक्षा की है। मेरा निवेदन यह है कि क्या इसके लिये 1977 से पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है? क्या अब तमिलनाडु में इसके लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है?

Shri Jagdambi Prasad Yadav: I have already said that required funds have been made available for this purpose and greater work is being done for sidh system of medicines in Tamilnadu. For this purpose, some thing is being done in Kerala also. I can give the figures relating to it for the last 3-4 years.

अध्यक्ष महोदय : आप केवल तमिल नाडु के बारे में ही आंकड़े दीजिए।

Shri Jagdambi Prasad Yadav: Rs. 10.86 lakhs have been provided to Tamilnadu during the current year.

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

अ० सू० प्र० सं० 7

निरस्त्रीकरण के बार में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन में भारत द्वारा भाग लिया जाना

श्री हरी विष्ण कामत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरस्त्रीकरण के बारे में राष्ट्र संघ महासभा के अगले महीने होने वाले विशेष अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा ;

(क) यदि हां, तो भारत के प्रतिनिधि मंडल में कौन-कौन व्यक्ति होंगे और उसका गठन किस प्रकार का होगा ;

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अधिवेशन में भारत जो दृष्टिकोण अपनाना चाहता है उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने कुछ देशों के प्रधानों के साथ पत्रों और/या अन्य माध्यम स इस मामले पर प्रारम्भिक विचार-विमर्श कर लिया है ;

(ङ) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और

(च) इस बारे में जो विचार-विमर्श और आदान प्रदान हुआ उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): (क) जी, हां ।

(ख) विदेश मंत्री के नेतृत्व में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल को अन्तिम रूप अगले कुछ दिनों में दिया जाएगा । विशेष अधिवेशन में हमारे प्रधान मंत्री जी 9 जून 1978 को भाषण देंगे ।

(ग) विशेष अधिवेशन के दौरान एक समान नीति अपनाने के लिये और ठोस प्रस्ताव पेश करने के लिये भारत अन्य गुट निरपेक्ष राज्यों के साथ मिलकर काम करता रहा है । जिससे कि निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से नाभीकीय निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में, वास्तविक प्रगति हो सके ।

(घ) से (च) : कई देशों के नेताओं के साथ बातचीत के क्रम में प्रधान मन्त्री और विदेश मंत्री दोनों ने ही संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण संबंधी आगामी विशेष अधिवेशन के विषय में विचार विनिमय किया जिसके दौरान बार-बार इस पर जोर दिया गया कि इस बात की हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिये कि यह विशेष अधिवेशन निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में विशेषकर नाभिकीय निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में, वास्तविक प्रगति के लिये एक अर्थपूर्ण यथार्थवादी और समयबद्ध कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में सफल हो सके ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या की गंभीरता का पता इस बात से लग जाता है कि हथियारों आदि पर विश्व का व्यय पहले ही 400 बिलियन पहुच चुका है और 40,000 इंजीनियर तथा वैज्ञानिक अधिक घातक हथियारों के निर्माण के लिये अनुसंधान कार्यों में लगे हुए हैं ।

इससे पहले मैं प्रश्न पूछूं, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी अपने आपको विदेश मंत्री, कहलवाना चाहेंगे अथवा विदेश-कार्य मंत्री । मेरा ख्याल है कि उन्हें विदेश मंत्री शब्द से कुछ घृणा है, किन्तु वह हमारे लिये विदेशी नहीं हैं । वह विदेश-कार्य मंत्री हैं और मेरा ख्याल है कि उनकी उत्तर उनके मंत्रालय ने तैयार किया है और उन्होने उसे उसी रूप में पढ़ दिया है ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत विशेष रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग करने पर विचार कर रहा है या राजनीतिक, सामरिक, जैविक तथा जीवाणिविक जैसे परम्परागत तथा परमाणु हथियारों में कमी करने को भी मांग करेगा ? क्या मंत्री जी प्रधान मंत्री की ओर से सभा को आश्वासन देंगे कि वह जगत सभा के होने वाले विशेष अधिवेशन में निरस्त्रीकरण का जोरदार समर्थन करेंगे ? चाहे अन्य देश करें अथवा न करें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्रीमान, भारत निरस्त्रीकरण के बारे में होने वाले विशेष अधिवेशन को बहुत महत्व देता है । यह अधिवेशन गुट-निरपेक्ष देशों की मांग पर बुलाया जा रहा है । एक समिति ने पहले ही एक दस्तावेज तैयार कर लिया है । निस्संदेह उस दस्तावेज में ऐसे देशों का भी नाम है जो इससे सहमत नहीं हैं । किन्तु हमारा प्रयास यह है कि इस विशेष अधिवेशन के ठोस और सार्थक परिणाम निकलें ।

(व्यवधान)

श्री कामत ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया है । किन्तु मैं इसका कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक या दो प्रश्न पूछे हैं । उन्होंने पूछा है कि आप केवल परमाणु निरस्त्रीकरण पर ही ध्यान केन्द्रित कर रहे है या सभी प्रकार के हथियारों के निरस्त्रीकरण के लिये प्रयास कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस विशेष अधिवेशन का संबंध परमाणु तथा परम्परागत दोनों ही प्रकार के हथियारों के निरस्त्रीकरण से है। हथियारों पर नियंत्रण करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। किन्तु हथियार नियंत्रण का मतलब से नहीं है। किन्तु फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हथियारों पर नियंत्रण करने से स्वतः ही शस्त्रीकरण में कमी आयेगी और शस्त्रीकरण में कमी आने से परमाणु हथियार समाप्त होंगे। किन्तु हम पूर्ण निरस्त्रीकरण चाहते हैं। किन्तु उन्होंने एक तरफा ढंग से भारत के निरस्त्रीकरण के बारे में पूछा है। श्रीमान, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् से दो महा शक्तियां तथा कुछ बड़ी शक्तियां और तथाकथित तीसरे विश्व के कुछ देशों तथा अन्य विकासशील देशों को हथियार बेच रही हैं और गत 30 वर्षों के दौरान इन शक्तियों ने अप्रत्यक्ष रूप से एशिया तथा अफ्रीका में कई युद्ध करवाये हैं। महाशक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से ये युद्ध लड़ रही हैं। इस लिये मैं इस संदर्भ में पूछना चाहता हूं कि क्या भारत राष्ट्र संघ महा सभा के अधिवेशन में यह मांग करेगा कि प्रत्येक देश को युद्ध त्यागना अपनी राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिये। क्या भारत वहां इस तरह की मांग करेगा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: श्रीमान, राष्ट्र संघ के चार्टर में यह उपबन्ध है कि राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों को आपसी मामले शांतिपूर्ण ढंगसे निपटाने चाहिये। किसी भी देश ने युद्ध की नीति का साधन नहीं माना है। परमाणु हथियारों का उपयोग करना मानवता के विरुद्ध एक अपराध समझा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या भारत मांग करेगा कि युद्ध त्यागना एक राष्ट्रीय नीति समझी जाये ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री एस० आर० दामाणी : सभी बड़े देशों का रक्षा संबंधी व्यय बढ़ रहा है। क्या इस प्रकार के अधिवेशन से रक्षा व्यय में कमी आयेगी ताकि अन्ततः पूर्ण निरस्त्रीकरण हो सके ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हथियारों पर प्रति वर्ष 400 अरब डालर खर्च हो रहे हैं। यदि हथियारों में कुछ कमी होगी तो यह धनराशि बीमारी, गरीबी और अज्ञानता दूर करने के काम आ सकती है। इसीलिये निरस्त्रीकरण पर इतना बल दिया जा रहा है।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) **:** May I know whether preparations have been made before hand for the proposed talks in disarmament? May I also know whether any other alternative to the armed conflict has been found? Will it not be proper if the Hon'ble Minister takes the House into confidence and the Prime Minister goes to participate in the proposed talks?

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are making preparation for the said special session. It would have been better if the Hon'ble Members had expressed their reactions, while speaking about disarmament on the Demands of the Defence Ministry, so that Government could formulate some policy in the light thereof. If all parties in the House agree, a resolution can be adopted unanimously and the Prime Minister can attend the World Conference with that resolution. Such a resolution can be passed before the current session is over, if all parties agree to it.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में निरस्त्रीकरण पर कोई गोष्ठी आयोजित की है और इस पर लग भग 30 लाख रुपये खर्च हुए हैं ? इसका उद्देश्य क्या था और क्या वह इस खर्च के अनुरूप थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तक नई दिल्ली में दो अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार हुए हैं, जिन्हे गैर-सरकारी एजेंसियों ने आयोजित की थी। भारत सरकार ने भी इसमें कुछ सहायता दी थी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : कितनी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये। मैं उन्हें पत्र लिख कर बता दूंगा। इन गोष्ठियों में बहुत से देशों के प्रतिनिधि आये थे और उन्होंने कुछ पत्र तैयार किये थे। हमने इन गोष्ठियों को मदद इसलिये की थी कि हम निरस्त्रीकरण में रुचि रखते हैं।

श्री वसन्त साठे : क्या भारत सरकार अन्य समान विचारो वाले देशों के साथ बातचीत करके इस 400 अरब डालर के खर्च में कमी करने के लिये कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार बचाये गये धन को नई प्रस्तावित आर्थिक व्यवस्था में लगाने का प्रस्ताव करेगी ? क्या ऐसे क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है जहां पर संघर्ष है और यदि इस संघर्ष को दूर कर दिया जाय तो इससे हथियारों में स्वतः ही कमी आ जायेगी ?

क्या हिन्द महासागर जैसे कुछ क्षेत्रों को शान्ति क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तटस्थ राष्ट्र अन्य समान विचारों वाले राष्ट्रों से हथियारों में कमी करने के लिये बातचीत कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : कितने प्रतिशत कमी करने का विचार है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसका फैसला अभी करना है। इसीलिये हम अधिवेशन कर रहे हैं। तटस्थ राष्ट्रों के ब्यूरो की बैठक काबुल में होनी थी। मुझे पता नहीं कि वह बैठक अब कहां और कब होगी।

सभी जानते हैं कि हम हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाना चाहते हैं। बहुत से संघर्ष वाले क्षेत्र हैं और यह संघर्ष समाप्त हो जाए तो विश्व तनाव रहित हो जायेगा और तभी निरस्त्रीकरण के लिये वातावरण बन सकता है।

श्री वसन्त साठे : क्या तटस्थ राष्ट्रों ने अपने ठोस प्रस्ताव तयार कर लिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is good that efforts for disarmament are afoot. But still the expenditure on armaments is on the increase. The Hon'ble Minister will agree that no effective agreement in this regard is possible unless big powers agree. Has the Hon'ble Minister also consider the super powers in this regard alongwith the non-aligned countries and if so whether he has received any encouraging response from them ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : On disarmament, negotiations before America and the Soviet Union are in progress. *Salt-one* and *Salt-two* agreement have been concluded, which are quite important. Now a danger has been posed to the humanity in regard to neutron bomb. An agreement in regard thereto seems in the offering America would not manufacture neutron bombs and, therefore, no other country would do so. But this progress is not quite satisfactory. We are pursuing them to make progress in this direction.

श्री कृष्ण कान्त : क्या सरकार अभी भी परमाणु अस्त्र विहित क्षेत्र अथवा परमाणु अस्त्र विहिन विश्व में विश्वास रखती है? इस संबंध में सरकार की नीति क्या है? पाकिस्तान के संकल्प पर अन्तिम मत दिये जाने के बाद, मैं जानना चाहता हूं कि निरस्त्रीकरण सम्मेलन में अब स्थिति क्या होगी?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम चाहते हैं कि सारा विश्व ही परमाणु अस्त्रोंसे विहित हो जाये। किन्तु किसी एक क्षेत्र अथवा उप-क्षेत्र को परमाणु अस्त्रों से विहीत घोषित करने के विभिन्न प्रस्ताव हैं। यदि कोई पड़ोसी देश परमाणु अस्त्र जमा कर रहा है तो फिर किसी क्षेत्र को परमाणु अस्त्र विहीन क्षेत्र घोषित करना निरर्थक है। इसका मतलब किन्ही अन्य क्षेत्रों में परमाणु अस्त्रों की मौजूदगी को न्यायोचित ठहराना होगा।

श्री जी०एम० स्टीफन : मंत्री जी ने बताया कि यदि अन्य दल सहमत हो तो एक संकल्प पारित किया जा सकता है जिसे लेकर प्रधान मंत्री निरस्त्रीकरण सम्मेलन जा सकते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि विपक्ष इसमें सहयोग करने के लिये तैयार है। यहां आयोजित हुई वर्कशाप के बारे में, मंत्री जी ने बताया कि यह कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं ने आयोजित की थी जिस पर सरकार ने भी धन खर्च किया। यह बात पहले न तो विदेश मंत्रालय की मांगोपर हुई चर्चा के दौरान बताई गई और नही यह दस्तावेजों में बताई गई। सरकार ने इस पर काफी धन खर्च किया लेकिन सभा को इसके बारे में नहीं बताया गया। क्या वह इस सम्मेलन की कार्यवाही का पूरा वृतान्त, गैर-सरकारी एजेंसियों और इनमें भाग लेने वाले व्यक्तियो के नामों की सूची सभा पटल पर रखेंगे?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह करने को तैयार हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्पादन के लाभ में श्रमिकों को भागीदारी

*967. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** :
श्री क० प्रधानी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन पर हुए लाभ में श्रमिकों को भागीदारी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या कुछ उद्योग इस योजना को "परीक्षण के आधार" पर पहले ही लागू कर चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अनुमानत: प्रश्न में प्रबन्ध तथा इक्विटी में श्रमिकों की सहभागिता की ओर संकेत किया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति इस मामले की जांच कर रही है।

(ख) और (ग) : श्रम मंत्रालय के पास इस सिलसिले में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

फराक्का में गंगा के पानी के बहाव में वृद्धि करने की परियोजना

*970. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का में गंगा के पानी के बहाव में वृद्धि करने के लिए किसी परियोजना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसकी लागत क्या होगी ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में बंगला देश सरकार के साथ बातचीत की है ; और

(घ) उस पर बंगला देश सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त नदी आयोग के अनुसार भारत और बंगला देश को एक ऐसी योजना के माध्यम से फरक्का पर गंगा के प्रवाह को बढ़ाने का उपाय खोजना है जो किफायती भी हो और व्यवहारिक भी । इसमें फरक्का में गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच एक सम्पर्क नहर बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है ।

(ग और घ) इस संयुक्त नदी आयोग की अगली बैठक मई अथवा जून में होगी और उसमें आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा ।

इस्पात उद्योग के श्रमिकों द्वारा विरोध दिवस मनाया जाना

*972. **श्री के० ए० राजन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में इस्पात उद्योग के श्रमिकों ने अधिकारियों को इस बात के लिए विवश करने हेतु 12 अप्रैल को विरोध दिवस मनाया था कि श्रमिक संघों से सम्बन्धित अधिकारों पर गठित अध्ययन दल के प्रस्तावों को शीघ्र लागू किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने श्रमिकों ने भाग लिया था और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) : सरकार को मिली जानकारी के अनुसार इस्पात कारखानों में कुछ मजदूर-संघों से सम्बन्धित कुछ श्रमिकों ने 12 अप्रैल, 1978 का दिन "विरोध दिवस" के रूप में मनाया था । उनकी मुख्य मांग यह थी कि कारखाना स्तर पर मजदूर संघ की मान्यता गुप्त मतदान द्वारा दी जानी चाहिए ।

सरकार का इरादा शीघ्र ही एक नया कानून बनाने का है जिसमें एक संस्थान/उद्योग में एक सौदा एजेन्ट के प्रश्न सहित मालिक मजदूर सम्बन्धों के सभी पहलू शामिल होंगे । प्रस्तावित कानून के उपबन्ध इस्पात उद्योग पर भी समान रूप से लागू होंगे ।

विभिन्न इस्पात कारखानों में 12 अप्रैल, 1978 को बहुत कम श्रमिक ही "विरोध दिवस" में शामिल हुए थे । कारखानों द्वारा इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० में अनिश्चितता का प्रभाव

*973. **श्री जी० एस० रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 11 अप्रैल, 1978 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड में अनिश्चितता के कारण इस्पात का उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० में अनिश्चितता के कारण इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इस्पात उद्योग के विकास के लिए दीर्घावधि योजना

*976. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए एक दीर्घावधि योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जुलाई, 1976 में सेल ने 2000 ई० तक इस्पात उद्योग के लिए एक दीर्घावधि योजना बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था । चूंकि इस प्रकार की दीर्घावधि योजना अकेले इस्पात क्षेत्र के लिए ही नहीं बनाई जा सकती है और इसका देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए समग्र योजना के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा अतः यह निर्णय लिया गया था कि जब तक योजना आयोग समग्र आर्थिक नीतियां न बना लें तब तक प्रतीक्षा की जाये ।

(ख) योजना आयोग ने अब 1978—83 के लिए पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर लिया है । इस कार्यक्रम की जिन मुख्य-मुख्य बातों को इस्पात विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित करने पर विचार किया जा रहा है वे इस प्रकार है :—

1. क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करके वर्तमान इस्पात कारखानों के उत्पादन में वृद्धि करना ;
2. भिलाई और बोकारो प्रत्येक की क्षमता का 40 लाख टन इस्पात पिण्ड तक विस्तार करने के कार्यक्रमों को पूरा करना ;
3. इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण करना तथा उनमें प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिक सुधार करना ;
4. बोकारो का 55 लाख टन चरण तक विस्तार करना ;

5. "उत्पादन प्रतिपूर्ति" आधार पर अथवा केवल ऋण की व्यवस्था के अधीन बन्दरगाह पर 10 लाख टन विक्रेय कच्चे लोहे की वार्षिक क्षमता को निर्यातोन्मुख धमन भट्टी कम्पलैक्स की स्थापना। पूर्ण सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने के यह प्रथम चरण होगा;

6. राउरकेला में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टिड/कोल्ड रोल्ड नान ग्रेन ओरिएन्टिड इस्पात की चादरों का कारखाना लगाना ;

7. बेदाग इस्पात को ठंडी बलित चादरों/पट्टियों के उत्पादन के लिए सेलम स्टील लि० का प्रथम चरण चालू करना ;

8. दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखानों में पिघलाने की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करके वार्षिक वर्तमान पिण्ड क्षमता को 100,000 टन मिश्र-इस्पात पिण्ड से बढ़ाकर 160,000 टन पिण्ड करना और ;

9. इस्पात कारखानों में अधिक उत्पादिता सुनिश्चित करने के लिए अनुसन्धान और विकास परियोजनाओं पर अधिक जोर देना ।

आशा है कि उपर्युक्त के अलावा लघु इस्पात क्षेत्र (विद्युत चाप भट्टी इकाइयां तथा पुनर्बेलक भी शामिल हैं) में भी उत्पादन में निरन्तर वृद्धि होगी ।

मंत्रालय के अपने मुद्रणालय की स्थापना

*978. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निर्देशिकाओं, फार्मों आदि के मुद्रण पर होने वाले अत्यधिक व्यय को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने अपना पृथक मुद्रणालय स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : विभाग की छपाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को आंशिक पूर्ति के लिए एक विभागीय प्रेस लगाने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है, इसके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री आगा शाही के साथ हुई बातचीत

*980. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के विदेशी मामलों के विशेष सलाहकार श्री आगा शाही ने हाल में भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे का उद्देश्य क्या था और उसके यदि कोई परिणाम निकले तो क्या ;

(ग) क्या दौरे पर आने वाले महानुभाव एवं भारत सरकार के नेताओं के बीच बातचीत के दौरान पाकिस्तान और भारत में पाकिस्तानी एवं भारतीय नजरबन्दियों/कैदियों के प्रश्न एवं काश्मिर के प्रश्न पर विस्तार से बातचीत हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों में क्या निष्कर्ष निकले एवं क्या निर्णय लिये गये ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) पाकिस्तान सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार श्री आगा शाही ने 10 से 14 अप्रैल, 1978 तक भारत की यात्रा की।

(ख) स (घ) : श्री आगा शाही की यह यात्रा फरवरी, 1978 में मेरी पाकिस्तान की सद्भावना यात्रा के उत्तर में हुई। पाकिस्तान की सरकार ने हमें यह भी बताया था कि वे इस बात के लिए तैयार हैं कि उक्त यात्रा के दौरान सलाल पन-बिजली संयंत्र के बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत पुनः शुरू की जाय।

श्री आगा शाही की यात्रा के दौरान हुई बातचीत के फलस्वरूप सलाल पन-बिजली संयंत्र के बारे में 14 अप्रैल, 1978 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए। इसके अतिरिक्त व्यापार संवर्धन नजरबन्दियों की अदला-बदली तथा परिवहन सुविधाओं को उदार बनाने की दिशा में भी विचार-विनिमय हुआ। श्री आगा शाही ने प्रधान मन्त्री के साथ अपनी भेंट में जम्मू कश्मीर का प्रश्न भी उठाया।

सिद्ध प्रणाली के लिए पृथक अनुसंधान परिषद्

*981. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :**
श्री ए० बाला पजनौर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनानी तथा होमियोपैथी चिकित्सा पद्धतियों के समान सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए कोई पृथक अनुसंधान परिषद गठित नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति के आयुर्वेद के साथ सम्बन्ध करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सिद्ध पद्धति के विकास के लिए एक स्वायत्तशासी बोर्ड अथवा समिति बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : सिद्ध पद्धति मुख्यतया तमिलनाडू में ही प्रचलित है और इसलिए, यह पद्धति अखिल भारतीय प्रकृति की नहीं है। यह पद्धति आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति से बहुत कुछ मिलती जुलती है। सारे देश में सिद्ध के केवल 1,559 चिकित्सक है, जिन्होंने संस्थागत अध्ययन करके अर्हता प्राप्त की है, जबकि आयुर्वेद के चिकित्सकों की संख्या 1,17,774 है, यूनानी की 10,268 है और होम्योपैथी की 19,871 है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि आयुर्वेद और सिद्ध की एक केन्द्रीय अनुसंधान परिषद का गठन कर लिया जाये।

(ग) आयुर्वेद और सिद्ध की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ सिद्ध के दो विशेषज्ञ और राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान/केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान के निदेशक भी शामिल हैं। इस परिषद के नियमों और विनियमों में यह व्यवस्था की गई है कि इस परिषद का शासी निकाय, प्रस्ताव द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थायी अथवा तदर्थ समितियां गठित कर सकता है जिनमें या तो शासी निकाय के सदस्य हों या फिर अन्य विशेषज्ञ हों जो शासी निकाय के सदस्य न हों। अतः सिद्ध पद्धति की समिति बनाने पर तभी विचार किया जायेगा जब यह परिषद बन जायेगी और वह पूरे जोर-शोर से अपना काम करना आरम्भ कर देगी। फिर भी, सिद्ध पद्धति के किसी स्वशासी बोर्ड का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोडरमा अभ्रक खानों में विस्फोटक पदार्थों की कमी

*982. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्फोटक पदार्थों की कमी के कारण कोडरमा खनन क्षेत्र में लगभग सभी अभ्रक खानों का काम ठप्प हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

तमिलनाडु तथा समुद्री तुफान से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में संचार साधनों की मरम्मत

*983. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने तमिलनाडू तथा अन्य क्षेत्रों में सभी संचार साधनों की मरम्मत कर दी है जो गत वर्ष के समुद्री तुफान से खराब हो गए थे ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक ऐसे कितने संचार साधन हैं जिनकी मरम्मत नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिए मंत्रालय को कितना खर्च करना पड़ा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अनुमानतः 92 लाख रुपये ।

मैंगनीज अयस्क के मूल्य में वृद्धि

*984. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा क्षेत्र के मैंगनीज अयस्क खान मालिकों को, जो यह अयस्क निम्न कोटि के इस्पात संयंत्रों, अर्थात् 30 एम एन प्रतिशत की सप्लाई कर रहे हैं, प्रति टन 12 रुपये मूल्य वृद्धि करने को अनुमति दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अन्य खनिक इस अयस्क की और सस्ती दरों पर सप्लाई कर सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के खनिकों को मूल्य बढ़ाने को अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्टर्न जोन माइन ओनर्स एसोसिएशन के साथ की गई बातचीत में मुख्यतः बड़ाजमदा

क्षेत्र से निम्न ग्रेड के मैंगनीज अयस्क की सप्लाई पर लगभग 12 रुपये प्रति टन की मूल्य वृद्धि स्वीकार कर ली गई थी। इस्पात और खान मंत्रालय की अनुमति आवश्यक नहीं थी और मूल्य वृद्धि अकेले उड़ीसा क्षेत्र से की जाने वाली सप्लाई तक ही सीमित नहीं है।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को सस्ती दर पर इस्पात संयंत्र ग्रेड का मैंगनीज अयस्क सप्लाई करने के लिए किसी भी खान मालिक से पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाना

*985. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली सरकार से कार्यभार ग्रहण करने के बाद हमारे मिशनों और वाणिज्य दूतावासों के जरिए विभिन्न देशों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इन देशों में रहने वाले भारतियों के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य और समाचार-पत्र उपलब्ध करने के लिए कोई प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क), (ख) और (ग) : विदेशों में अपने मिशनों के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हिन्दी अधिकारी, प्राध्यापक और आशुलिपिक भेजे गए हैं तथा अपने मिशनों के लिए और अधिक हिन्दी के टाइपराइटर, पुस्तकें, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भेजी गयी हैं। हम विदेशी राष्ट्रों को शिक्षावृत्ति भी प्रदान करते हैं ताकि वह भारत में रहकर हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर सके।

भारतीय मिशनों को विदेशों में भारतीय बच्चों के लिए हिन्दी कक्षाएं चलाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है। कुछ देशों में समाचार-पत्रों के आदान-प्रदान का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

भारतीय मिशनों के और विशेष रूप से उन देशों के भारतीय मिशनों के वाचनालयों तथा अतिथि कक्षों में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध रहती हैं, जहां भारतीय लोगों की संख्या अधिक है।

जहां तक दूसरी भारतीय भाषाओं का प्रश्न है, हमने विदेशों के विश्व-विद्यालयों में अध्यापक भेजे है तथा कई देशों को भारतीय भाषाओं की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि भेजी है।

श्रमिकों की दक्षता को आधुनिक बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यक्रम

*986. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थ व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में श्रमिकों की दक्षता को आधुनिक बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, कार्यक्रम आरम्भ करने जा रहा है जिन पर 64 लाख डालर लागत आयेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और ये किन स्थानों पर आरम्भ किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा गया हैं।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) की सहायता से भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियोजनीय कौशलों के मौड्यूलों पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली सम्बन्धी परियोजना आरम्भ की गई है। इस प्रणाली में उच्च कार्य-कुशलता प्राप्त श्रमिकों और तकनीशियनों को ऐसे अनेक उच्च तथा परिस्कृत कौशलों में प्रशिक्षण देन की परिकल्पना की गई है, जो दस्तकार और शिक्षता प्रशिक्षण योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है, परियोजना की अवधि 4 वर्ष और 6 माह होगी।

अनुमानित वित्तीय व्यय निम्न प्रकार है :--

1. भारत सरकार	181.830 लाख रुपये
2. राज्य सरकारें	243.050 लाख रुपये
3. यू० एन०डी०पी०/आई०एल०ओ० . . .	572.467 लाख रुपये (6.36 मिलियन डालर)
	997.347 लाख रुपये

यू० एन० डी० पी०/आई० एल० ओ० की सहायता परिष्कृत उपकरणों और मशीनरी, विशेषज्ञ सेवाओं तथा फैलोशिप्स के रूप में होगी। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें परियोजना के कार्यान्वय के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहय्या करेंगी, जैसे कि, भवन, स्टाफ तथा देशी उपकरण, इत्यादि। आई० एल० ओ० निष्पादन अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

यह योजना, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, मद्रास तथा बम्बई, कानपुर, लुधियाना, कलकत्ता तथा हैदराबाद में स्थित 5 केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू की गई है। अम्बातूर, बंगलौर, कालामसेरो, पुणे, बड़ौदा, जोधपुर, दुर्गापुर, धनबाद, गौहाटी, जबलपुर, विशाखापत्तनम, फरीदाबाद, रायबरेली, मेरठ, पटियाला और जम्मू में स्थित 16 चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी इस योजना को लागु किया गया है। सभी संस्थानों की सीटों की कुल संख्या 1162 होगी सी०टी० आई०-250, आई० टी० आई-912)। परियोजना की 4½ वर्ष की अवधि के दौरान, योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मिकों की संख्या का अस्थायी लक्ष्य 12,000 रखा गया है।

यह प्रशिक्षण कुछ चुने हुए व्यवसायों में दिया जाएगा, जसे प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रुमेन्टेशन, मैट्रोलोजी तथा इन्सपेक्शन, टूल डिजाइन, हीट ट्रीटमेन्ट, टूल और डाई-मेकिंग, इंडियन स्टैण्डर्डस् तथा ब्ल्यू प्रिन्ट रीडिंग, मैकानिकल और इलेक्ट्रिकल मेन्टनेन्स, माडर्न वेल्डिंग तकनीकों, इत्यादि।

ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड में एक खनिक मारे जाने के बारे में जांच

9051. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1978 के अन्तिम सप्ताह में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत "परासी ओपन कास्ट माइन में" तीव्र गति वाले कोयले के टब द्वारा कुचले जाने से एक खनिक के मारे जाने के बारे में खान और सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी द्वारा जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) मृतक व्यक्ति के परिवार को सरकार ने किस प्रकार का मुआवजा दिया है अथवा देने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) अनुमानत: प्रश्न में उस घातक दुर्घटना का उल्लेख किया गया है जो 18 मार्च, 1978 को ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की परासिया ओपन कास्ट परियोजना में हुई थी। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों ने इस दुर्घटना की जांच पूरी कर ली है।

(ख) जांच पड़ताल से पता चला है कि जब एक ओवर बर्डन बैंच में एक इलेक्ट्रिक शावल के केबल पर दो केबल मैन काम कर रहे थे, तो एक डम्पर, जिसे उसका प्रचालन नियंत्रक में न रख सका, आया और इस बैंच के लगभग किनारे पर उक्त दो केबल मैनों में से एक केबल मैन से जा टकराया। वह केबल मैन से जिससे डम्पर टकराया था, लगभग छ: मीटर नीचे नीचले बैंच पर जा गिरा और उस डम्पर से, जो उसके ऊपर आ गिरा था, कुचल कर मर गया। लगता है यह दुर्घटना इस कारण हुई क्योंकि एक त्रुटिपूर्ण डम्पर का प्रयोग खदान के छोर के बहुत ही निकट किया गया था। खान सुरक्षा महानिदेशालय को हिदायत दी गई है कि व खदान के छोर के अत्यन्त निकट त्रुटिपूर्ण डम्पर को इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करें।

(ग) मृत व्यक्ति के आश्रितों को अन्त्यष्टि के खर्च के लिए और अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में क्रमश: 200 रुपये और 500 रुपये दिए गए हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर का भुगतान करने के लिए कागजात की जांच की जा रही है।

Donation for Admission to Private Medical Colleges

9052. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of private medical colleges in the country which give admission to students by taking donation and the number of colleges out of them, affiliated to Medical Council of India;

(b) whether it is a fact that donation is taken at the rate of Rs. 25 thousands to 50 thousands and in some colleges it is about Rs. 1 lakh;

(c) whether Government propose to conduct a proper inquiry in regard to the medical colleges running on the basis of donation; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The Medical Council of India, New Delhi have stated that the following private medical colleges are admitting students to the M.B.B.S. course on the basis of donation and capitation fee:—

1. Kasturba Medical College, Manipal.
2. J. J. M. Medical College, Devangere.

3. J. N. Medical College, Belgaum.
4. M. R. Medical College, Gulbarga.

All the four private medical colleges mentioned above are approved by the Council for the award of M.B.B.S. degree granted by the respective university to which the college is affiliated.

(b) It is understood from the Medical Council of India that the Government of Karnataka has allowed the private medical colleges, being run on donation basis, to charge a capitation fee of (i) Rs. 10,000 from students within Karnataka and (ii) Rs. 35,000 from students from outside Kernataka, last year.

(c) There is no such proposal at present.

(d) Does not arise.

पोर्ट ब्लेयर में भविष्य निधि कार्यालय खोलना

9053. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पोर्ट ब्लेयर में भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय खोलने का विचार है ; और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र में नियोजकों के विरुद्ध भविष्य निधि के अनेक मामले हैं ; और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) जनवरी, 1948 से पोर्ट ब्लेयर में भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के निर्धारित किए गए पिछड़े क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विकास

9054. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा राज्य के डाक सवाओं और संचार सेवाओं में निर्धारित किये गए पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये ह ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने भारत सरकार की नीति और कार्यक्रमों के बारे में तथा वित्तीय वर्षों के विकास कार्यक्रमों में इन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इस सर्किल को अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) (i) **डाक**

डाक सुविधाओं के विस्तार के प्रयोजन की दृष्टि से जो इलाके पिछड़ इलाके के रूप में घोषित किए गए हैं उनमें डाकघर खोलने के लिए उदार मानदन्ड लागू किये जाते हैं। देहात के सामान्य इलाकों में

वार्षिक घाटे की स्वीकार्य सीमा 750 रुपये तक है। पिछड़े इलाकों के मामले में डाकघर खोलने के लिए घाटे की यह स्वीकार्य सीमा बढ़ा कर 1000 रुपये वार्षिक रखी गई है और कुछ मामलों में यह सीमा 2500 रुपये वार्षिक तक कर दी गई है। सामान्य देहाती इलाकों में न्यूनतम आय की गारन्टी उस पर होने वाले खर्चे की 25% रखी गई है जबकि पिछड़े इलाकों में आय सम्बन्धी यह गारन्टी घटा कर 15% कर दी गई है।

(ii) दूरसंचार

सामान्य इलाकों को अपेक्षा पिछड़े इलाकों में दूरसंचार को सुविधाएं देने की नीति अधिक उदार बनाई गई है मसलन सामान्य क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधाएं देन के लिए गांवों की जनसंख्या की न्यनतम सीमा 5000 रखी गई है। इसकी तुलना में पिछड़े इलाकों के लिए यह सीमा घटा कर 2500 कर दी गई है चाहे वहां कितनी भी आमदनी हो। इसी प्रकार, अन्य श्रेणीगत स्थानों पर जैसे कि पर्यटक स्थल, तीर्थ स्थान, दूरवर्ती स्थान, सब इन्सपेक्टर के अधीन थाना, बिजली/सिंचाई परियोजना स्थल पर घाटा उठा कर ये सुविधाएं देने के प्रस्ताव मंजूर करने के लिए न्यूनतम राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती व्यय के 15% के बराबर रखा गया है जब कि सामान्य इलाकों के लिए न्यूनतम राजस्व उसके वार्षिक आवर्ती व्यय का 25% रखा गया है।

(ख) और (ग) : (i) **डाक**

उड़ीसा राज्य में डाक सुविधाओं के विस्तार की दृष्टि से पिछड़ घोषित किए गए जिलों में वर्ष 1977-78 के दौरान 116 डाकघर खोले गए हैं और वर्ष 1978–79 के दौरान इन इलाकों में 100 डाकघर खोलने की एक अस्थायी योजना है।

(ii) **दूरसंचार**

नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशक सिद्धान्त अमल में लाने के लिए सर्किलों को सूचित कर दिए गए हैं। उदार नीति के अधीन 153 अतिरिक्त गांव टेलोफ़ोन सुविधा पाने के और 132 अतिरिक्त गांव तार सुविधा पाने के पात्र बनते हैं। छठीं योजना के दौरान इन सभी गांवों में उत्तरोत्तर ये सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। उड़ीसा सर्किल के लिए वर्ष 1978–79 के दौरान 40 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 40 तारघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्रोमाइट अयस्क का उपयोग

9055. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि सरकार का उसके पास उपलब्ध बहुमूल्य क्रोमाइट अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में न करके उसे तैयार माल के रूप में करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : जी, हां। सरकार को उड़ीसा सरकार के साथ मिलकर फालतू क्रोमाइट अयस्क के उपयोग पर आधारित एक निर्यातोन्मुख चार्ज क्रोम कारखाना लगाने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

Installation of battery system in Bhaliya Telephone Exchange

†9056. **Shri Dharmasinhbhai Patel**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) since when battery system has been introduced in the Bhaliya telephone exchange of Jamnagar District of Gujarat and whether even after its introduction trunk calls cannot be made during night in the absence of emergency lamp when there is failure of electricity and if so the reasons therefor; and

(b) the steps taken or proposed to be taken to remove this difficulty to ensure better service to the people from the above telephone exchange?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) and (b): The correct name appears to be Bhatia. A battery set recovered from another exchange was installed in May, 1977. However, it is not giving satisfactory service. Action is being taken to replace it by a new one.

Criteria for Opening Head Post Office

†9057. **Shri Motibhai R. Chaudhry**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the norms laid down for opening Head Post Office and whether population, area and workload are taken into account or some other criteria is followed;

(b) whether a demand has been received for opening one more head post office in Mehsana District of Gujarat Circle and if so, the decision taken thereon;

(c) whether in view of the population of Mehsana District being over 21 lakhs and higher workload the Post Master General of Gujarat has recommended two head post offices at Visnagar and Patan;

(d) if so, the decision taken thereon; and

(e) whether Visnagar and Patan have under them 16 and 20 S.Os. respectively as against only 9 S.Os. under Kota head Post Office, Rajasthan circle, 11 S.O.s under Port Blair head Post Office in West Bengal Circle and 13 S.Os. under Betul and Neemuch head Post Offices in Madhya Pradesh Circle and if so, whether, in view of this workload the said head post Office will be sanctioned?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) A Sub Office is upgraded into a Head Post Office by bifurcating existing Head Post Office when the number of S.Os. under the existing Head Post Office exceeds 60 provided that the number of S. Os. with the proposed Head Office as well as the parent H.O. is not less than 20. Further

if there is no H.O. in a Revenue District, opening of a H.O. there can be considered if atleast 20 S.Os. in the same District can with advantage be attached to the proposed H.O. and the number of S.Os. under parent H.O. does not fall belew 20 irrespective of the fact whether parent H.O. has 60 or not. In case of backward areas or in certain special circumstances, a lower standard can be adopted. Apart from these standards; work-load, availability of suitable building, better financing of offices and improvement in mail arrangements are also kept in view.

(b) to (d): A proposal for for trifurcation Mehsana Head Office and upgradation of both Visnagar and Patan Sub Offices into Head Post Offices was received from the Postmaster-General, Ahmedabad. As the proposal was not justified according to the prescribed standards, it was not accepted.

(e) As upgradation of Visnagar and Patan is not justified by bifurcating Mehsana Head Office as per standards, question does not arise.

दिल्ली में काटे गए टेलीफोन

9058. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलों का भुगतान न करने के कारण गत एक वर्ष के दौरान एक्सचेन्जवार, दिल्ली में कितने टेलीफोन कनेक्शन बन्द किये गये और इनके फिर से चालू करने सम्बन्धी शुल्क के रूप में महीनेवार, तथा एक्सचेन्जवार, कुल कितनी राशि वसूल हुई ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि टेलीफोन के प्रयोक्ताओं को नियमित रूप से बिल प्राप्त नहीं हो रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें बहुत कम अवधि के भीतर जुर्माने के रूप में पुनः स्थापन शुल्क के साथ-साथ बिलों की भारी राशि देने में कठिनाई और असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) वांछित सूचा अनुबन्ध में दे दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2237/78]

(ख) जी, हां । अपेक्षित कम्प्यूटर समय और उपयुक्त कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण बिल जारी करने में विलम्ब हुआ है । इस विलम्ब के कारण जो बिल एक तिमाही से अधिक अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, उपभोक्ताओं की प्रार्थना पर एसे बिलों की अदायगी किस्तों में करने की अनुमति दे दी जाती है । एसे मामलों में उनके टेलीफोन नहीं काटें जाते हैं और यदि काटे भी जाईं तो उनके लिए दुबारा कनेक्शन चालू करने का शुल्क नहीं लिया जाता है ।

(ग) टेलीफोन के बिल बनाने और उनके हिसाब किताब रखन का काम एक नई कम्प्यूटर एजेन्सी को सौंप दिया गया है और जब यह एजेन्सी कारगर ढंग से काम करना शुरू कर देगी, तब आशा है कि टेलीफोन के बिल नियमित रूप से जारी होने लगेंगे ।

राज्यों की राजधानियों का सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली से सम्पर्क स्थापित करना

9059. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों का डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था के माध्यम से देश की राजधानी के साथ सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा और यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) इम्फाल (मणिपुर) और अगरतला (त्रिपुरा) को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की राजधानियों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के जरिये दिल्ली से पहले ही जोड़ दिया गया है। अगरतला और इम्फाल में इस समय मैनुअल एक्सचेन्ज है। आशा है कि यह एक्सचेन्ज क्रमशः 1982 और 1983 में ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसके बाद वहां से दिल्ली के लिए उपभोक्ता ट्रन्क डायलिंग सेवा दी जा सकेगी।

माइक्रोवेव-प्रणाली के बारे में भारत-श्रीलंका के बीच वार्ता

9060. **श्री डी० अमात** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत श्रीलंका के बीच उच्च ग्रेड के टेलीफ़ोन सर्किट की व्यवस्था करने के लिए इन दो देशों के बीच माइक्रोवेव प्रणाली के प्रस्ताव के बारे में दिल्ली में अप्रैल, 1978 में वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता के क्या परिणाम रहे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : जी, हां। इण्डो-श्री लंका माइक्रोवेव प्रणाली के कार्यान्वयन के बारे में श्रीलंका सरकार के डाक और दूरसंचार मंत्रालय के सचिव श्री सी० जे० सेरासिंघे के नेतृत्व में श्रीलंका के तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल के साथ तारीख 6 और 7 अप्रेल, 1978 को नई दिल्ली में बातचीत हुई थी।

यह प्रस्ताव किया गया है कि मदुरै (भारत) और कोलम्बो (श्रीलंका) के बीच चौडी पट्टी की माइक्रोवेव प्रणाली की व्यवस्था की जाए, जिसकी 615 किलोमीटर की दूरी तक विस्तार हो। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप भारतीय डाक तार विभाग इस बारे में सहमत हो गया है कि वह आरम्भिक स्थिति में टावर स्थापित करने और टावर खड़े करने में श्रीलंका प्रशासन की सहायता करेगा और श्रीलंका के इन्जीनियरों को माइक्रोवेव प्रणाली में प्रशिक्षित करेगा। यह प्रणाली चालू करने के लिए सहमति से मार्च, 1979 का एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति तभी होगी जबकि श्रीलंका क्षेत्र में श्रीलंका के डाक-तार इन्जीनियरों द्वारा इन कामों के लिए निर्धारित सिविल कार्य निश्चित समय के अन्दर पूरे कर दिये जाएं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय दिल्ली के कर्मचारियों को हकदारी से बड़े क्वार्टरों का आबंटन

9061. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के कुछ कर्मचारियों को भविष्य निधि एन्क्लेव, नई दिल्ली में उनकी हकदारी से बड़े कर्मचारी क्वार्टर आबन्टित कर दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या तथा पदनाम क्या है ; और

(ग) क्या इनसे बाजार दर पर किराया वसूल किया जा रहा है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) जी, हां । उच्चतर टाइप के क्वार्टरों का आबन्टन नियमों के अनुसार किया गया है ।

(ख) चार व्यक्तियों को उनकी हकदारी से बड़े क्वार्टर आबन्टित किए गए हैं । उनके नाम तथा वर्तमान पदनाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री सोहन लाल, प्रधान लिपिक ।
2. श्रीमती बिमला कथूरिया, प्रधान लिपिक ।
3. श्रीमती परवेश आनन्द, उच्च श्रेणी लिपिक ।
4. श्री आर० एन० गोयल, उच्च श्रेणी लिपिक प्रभारी ।

(ग) उनसे बाजार दर पर किराया वसूल नहीं किया जा रहा । किराया नियमों के अनुसार वसूल किया जा रहा है ।

Mobile Dispensaries

9062. **Shri Keshavrao Dhondge:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the number of mobile dispensaries started by the Central Government so far in the rural areas of the country;

(b) their number, State-wise;

(c) if no such dispensaries have been started, the reasons therefor; and

(d) the policy of the Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b): During the Fourth Five Year Plan, 5 Mombile Training-Cum-Service Hospitals were set up by the Ministry of Health and Family Welfare as a pilot project. Under this project, each of these Mobile-Training-Cum-Service Hospitals was given to the States of Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu and Uttar Pradesh and attached to the following medical colleges; 1. Aurangabad (Maharashtra); 2. Medical College, Ajmer (Rajasthan); 3. Medical College, Baroda (Gujarat); 4. Medical College, Madurai, (Tamil Nadu); 5. K. G. Medical College, Lucknow (U.P.);

During the same Plan, the Ministry of Education and Social Welfare decided to establish 17 such Mobile Training-Cum-Service Hospitals known as "Chittaranjan Mobile Hospitals" at the rate of one per State which had at least one medical college. However, against 17 only 13 were established.

The States which established these hospitals were Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal.

This scheme was, however, discontinued during the Fifth Five Year Plan.

Some State Governments have mobile dispensaries/health units for rural and tribal population. These States are Gujarat, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Tripura, Dadra & Nagar Haveli and Mizoram.

(c) and (d): It is now proposed to provide mobile clinics to each of the 106 medical colleges in the country with a view to re-orienting medical education and also to enable the members of the faculty and students of these medical colleges to participate in health services to the people in the rural areas. To each of these medical colleges 3 Primary Health Centres will be attached. One mobile clinic will be meant for one Primary Health Centre area.

सुगन्धित सुपारी पर प्रतिबन्ध

9063. **श्री आर० के० महालगी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उल्हास नगर से (जिला थाना, महाराष्ट्र) वहां के घरेलू उद्योग सुगन्धित सुपारी के प्रतिबन्ध हटाने के बारे में दिनांक 30 जनवरी, 1978 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि सरकार ने नकारात्मक निर्णय किया है, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : मैसर्स शंकर शेर सेन्टिड सुपारी, उल्हासनगर (महाराष्ट्र) से 30 जनवरी, 1978 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि सुगन्धित सुपारी में सैक्रीन के प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। चूंकि सैक्रीन को जब सुपारी के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, तो इसके कोकासिनोजनिक एजेन्ट के रूप मे काने करसे की और विषैले प्रभाव उत्पन्न करने की संभावना रहती है इसलिए इन्डस्ट्री को सूचित किया गया है कि सुगन्धित सुपारी में सक्रीन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

तथापि प्रश्न के भाग (क) के शब्दों से जैसा ध्वनित होता है सुगन्धित सुपारी की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

जस्ते का उत्पादन

9064. श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान तथा इससे पहले के दो वर्ष में देश में जस्ते का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसकी प्रति टन उत्पादन-लागत कितनी है और आयातित जस्ते की तुलना में उसके मूल्य कितने न्यूनाधिक हैं ; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1977-78 में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के जस्ते का आयात किया गया और वर्ष 1978-79 में इसकी अनुमानित मांग कितनी होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) दो जस्ता उत्पादकों, अर्थात् हिन्दुस्तान जिंक लि० (सार्वजनिक क्षेत्र) तथा मे० कोमिन्को बिनानी जिंक लि० (निजी क्षेत्र का कुल देशी जस्ता उत्पादन निम्नलिखित है :--

वर्ष	उत्पादन (टन)
1975-76	27,831
1976-77	27,034
1977-78	43,128

(ख) दोनों देसी जस्ता उत्पादकों को जस्ते की अनुमानित उत्पादन लागत औसतन रु० 9760 प्रति टन है, इसके विपरित 1977-78 में लागत बिमा-भाड़ा (सी० आई० एफ०) आयात मूल्य रु० 5875 प्रति टन है (जबकि इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में काफी कमी हुई) ।

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम ने 1977-78 में लगभग 32 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 56000 टन जस्ता धातु का आयात किया ।

1978-79 के लिए जस्ता धातु की मांग 1,02,400 टन आंकी गई है ।

इण्डियन रेड क्रास सोसायटी के कर्मचारियों को मुअत्तिल किया जाना

9065. श्रीमती मृणाल गोरे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेड क्रास सोसायटी के मुख्यालय में बहुत से कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) जी; हां। दो कर्मचारियों—एक अधीक्षक और एक चपरासी को मुअत्तिल किया गया है।

(ख) भारतीय रेड क्रास सोसायटी से प्राप्त सूचना के अनुसार, अधीक्षक को सोसायटी के हितों के प्रतिकुल विभिन्न कार्य करने और अपनी कार्यालय ड्यूटी निभाने में भूल करने/अनियमितताएं बरतने/अनुत्तरदायी पूर्ण कार्य करने के लिए जिम्मेदार बताया गया है जो कि एक घोर दुराचार है।

चपरासी जो था वह सोसायटी के हितों के प्रतिकुल विभिन्न कार्यों मे लगा रहा जो एक घोर दुराचार के बराबर है। उसने सोसायटी के धन का गबन करने की कोशिश की, शराब के नशे में सार्वजनिक स्थानों में गड़बड़ो मचाई, कार्यालय को वर्दी पहनने से इन्कार किया, बिना अनुमति के स्टेशन छोड़ा और वह अपनी वर्दी आदि बेचने का दोषी पाया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) अधीक्षक ने, जिन्हें मुअत्तिल कर दिया गया है, उन आरोपों का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है जो उन्हें 10 जनवरी, 1978 को सूचित किये गए थे। उन्हें 20-1-78 तक आरोपों का उत्तर देने के लिए कहा गया था। उन्हों ने समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था जो तीन बार बढ़ाया जा चुका है। उन्होंने जांच अधिकारी के समक्ष 1-4-78 को भी उपस्थित होने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

जांच अधिकारी ने चपरासी को (क) बिना अनुमति के स्टेशन छोड़ने और (ख) धमकी देने के आरोपों को छोड़कर शेष सभी आरोपों में दोषी पाया है।

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होम्योपैथी डाक्टरों का चयन

9066. **श्री सरत कार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होम्योपैथी डाक्टरों का चयन करने के लिए सरकार ने क्या मानदण्ड अपनाए हैं ; और

(ख) क्या कुछ एसे होम्योपैथो (विशेषज्ञ/डाक्टर) हैं जिन्हें प्रतिवर्ष साक्षात्कार लेने के लिए बुलाया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जब कभी आवश्यकता होती है तो यह मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग को होम्योपैथिक चिकित्सकों के विभिन्न पदों के लिए मांग पत्र भेजता है। इन पदों के लिए आवश्यक अर्हताओं तथा अन्य अपेक्षाओं का उल्लेख मांग-पत्र में किया जाता है। इसी आधार पर आयोग पदों को विज्ञापित करता है तथा पदों को अनिवार्य अर्हताओं एवं वांच्छित अर्हताओं, कर्तव्यों, कार्य सम्बन्धो आवश्यकताओं और जिम्मेदरियों को ध्यान में रखते हुए यह आयोग आवेदन पत्रों की जांच करता है। इसके बाद यह आयोग आवेदकों की व्यक्तिगत इन्टरव्यू लेता है तथा अपनी सिफारिशें मंत्रालय को भेजता है। पता चला है कि आयोग ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि जब कभी आवश्यक होगा, उम्मीदवारों की इन्टरव्यू के लिए चुनने हेतु उनकी जांच-परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) ली जाएगी। इस इन्टरव्यू में उस मंत्रालय के सलाहकार और प्रतिनिधि आयोग की सहायता करते हैं।

(ख) सलाहकारों का चयन करने का मामला आयोग की आन्तरिक कार्यप्रणाली से सम्बन्धित है । आयोग प्रत्येक विषय के सलाहकारों का अलग अलग पेनल बनाए हुए है तथा किसी विषय-विशेष के सलाहकारों का चयन इन पेनलों में से किया जाता है । आयोग यह समझता है कि जिन सलाहकारों ने आयोग की सहायता की है, उनके बारे में किसी भी प्रकार का ब्यौरा देना जन हित में नहीं होगा ।

Financial assistance to Individuals informing about Mineral deposits in various States

9067. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme to grant financial assistance to the individuals who inform Government about the mineral deposits in the various States in the country; and

(b) whether there are a large number of individuals in the country who know about the locations of Mica, Copper, Oil deposits but they do not inform Government about these deposits?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) Yes, Sir. The Government have schemes to grant financial awards to those who supply information to the Government leading to the discovery of new minerals or petroleum deposits of economic significance.

(b) No, Sir. Although some individuals do sometimes make such claims, on investigation these claims are generally not substantiated.

Submission of report of delegations sent abroad

†9069. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is required of a member, or at least from delegation or a leader of the delegation paying official visits abroad to submit a report to Government after their return; and

(b) if so, the names thereof who submitted reports during the last one year and when the details of the reports submitted?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) and (b): Such reports are generally received by Government but necessarily they are of a confidential nature. Therefore, it is regretted, the details cannot be made public.

राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् का कार्यकरण

9070. **श्री ए० के० राय:** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संकट के बहाने राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् में बहुत समय से सुरक्षा सम्बन्धी फिल्में बनाना, सुरक्षा सम्बन्धी नाटकों का आयोजन करना तथा प्रदर्शनियों लगाना स्थगित कर रखा है, रिक्त स्थान नहीं भरे गये है, पदोन्नतिया नहीं दी गई है, जनरल बाड़ी की सिफारिशों के उपरान्त भी उपदान लाभ क्रियान्वित नहीं किए गए हैं और कर्मचारियों को स्थायी नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् की 23 लाख रुपये की राशि कोयला खान कल्याण आयुक्त, धनबाद के पास बकाया पड़ी हुई है और यदि हां, तो सरकार ने घाटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् के उचित प्रकार से कार्य करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद् एक स्वायत्त संगठन है और सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजी कृत है। इस सोसायटी के लिए अर्थ की व्यवस्था कोयला खान कल्याण निधि आदि से तदर्थ अनुदानों द्वारा की जाती है। इस परिषद् को कोयला खान कल्याण निधि से निम्नलिखित सहायक अनुदान प्राप्त हुए :

1974-75	5.50 लाख रुपये
1975-76	8.00 लाख रुपये
1976-77	9.35 लाख रुपये
1977-78	6.00 लाख रुपये

कोयला खान कल्याण संगठन के सामान्य कल्याण लेखा में निधि की उपलब्धता और वचन बद्धता को ध्यान में रखते हुए यह राशियां प्रदान की गई। अतः इन वर्षों के लिए और कोई राशि बकाया नहीं है।

जहां तक परिषद की सामान्य वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है, सभी स्रोतों से प्राप्त आय, जो 1974-75 में 6,05,200 रु० से बढ़कर 1976-77 में 10,23,300 रु० हो गई, इसके खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाई गई।

तथापि, इसके परिषद के कार्यकलाप बन्द नहीं हुए हैं, यद्यपि इसके कुछ कार्यकलापों को धीरे धीरे करना पड़ा। नाटकों और प्रदर्शनियों का आयोजन उन स्थानों पर किया जाता है जहां उनकी आवश्यकता महसूस होती है। सुरक्षा सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण के लिए केवल परिषद द्वारा ही समय समय पर प्रयास किये जाते हैं।

जहां तक प्रशासनिक पहलूओं का सम्बन्ध है, इस समय प्रशासनिक अधिकारी की केवल एक रिक्त भरी जानी है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही पहले से ही शुरु की गई है। पदोन्नतियां रोकी नहीं गई। जहां तक कर्मचारियों को स्थायी करने का सम्बन्ध है, चूंकि यह परिषद् एक पंजीकृत सोसायटी है और इसमें विलयन की स्वाभाविक व्यवस्था है, इसलिए इसके कर्मचारियों को स्थायी घोषित करना सम्भव नहीं है। तथापि इससे कर्मचारियों को उन लाभों को देने में कोई रुकावट नहीं आई है जो स्थायी सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। कर्मचारियों के लिए उपदान योजना को शुरू करने का प्रश्न परिषद् के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय सम्मेलन/विचार गोष्ठियों में भाग लेने के लिए नेत्र विशेषज्ञ की अनुमति

9071. **श्री के० लकप्पा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल के एक ही नेत्र विशेषज्ञ को हर बार सभी राष्ट्रीय सम्मेलनों/विचार-गोष्ठियों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है और अन्य किसी विशेषज्ञ को अवसर नहीं दिया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : इन सम्मेलनों/गोष्ठियों में भाग लेने की अनुमति सम्बन्धित विशेषज्ञों के आवेदन-पत्रों के आधार पर दी जाती है। विलिंग्डन अस्पताल के दूसरे नेत्र-विशेषज्ञ ने न तो कभी आवेदन पत्र भेजा है, और न ही उसे ऐसे किसी सम्मेलन / गोष्ठियों में भाग लेने की अनुमति देने से इन्कार किया गया है ।

भारत-रूस संयुक्त आयोग

9072. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत रूस संयुक्त आयोग के कार्य में क्या प्रगति हुई है और आज तक क्या (अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों ही प्रकार के) ठोस परिणाम निकले हैं ; और

(ख) भारत-अमरीका संयुक्त आयोग के बारे में ऐसा ही ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत-सोवियत संयुक्त आयोग की स्थापना 1972 में हुयी थी और अब तक इसकी चार बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में महत्वपूर्ण मामलों पर समझौते हुए हैं जिसे भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्रों तथा हरिद्वार, रांची और दुर्गापुर स्थित भारी मशीन निर्माण संयंत्र के विस्तार का कार्यक्रम, सोवियत सहायता से निर्मित इस्पात संयंत्रों और भारी मशीन निर्माण संयंत्रों की विद्यमान प्रोद्योगिकीय पद्धति में सुधार, बी० एच० ई० एल० को महत्वपूर्ण संघटक तथा सामग्री की सुपूर्दगी, रामगढ़ की विवृत खान सिंगरोली की सेन्ट्रल वर्कशाप नकरकोंडा खानों, जयन्त विवृत्त खान तथा झांझरा भूमिगत खानों के सम्बन्ध में सम्भाव्यता अध्ययन की तैयारी, हाईड्रोलिक कोलमाइन टेक्नलाजी शुरू करना, प्रतिपूर्ति के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में अल्यूमिना संयंत्र की स्थापना जिसकी क्षमता लगभग 6,00,000 टन प्रति वर्ष होगी, सुकिन्दा (उड़ीसा) के भण्डारो के बहुधात्विक अयस्को का संसाधन, ट्रोपोस्केटर संचार सम्पर्क की स्थापना, फाइण्डिग्रेड के कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए एक पतन आधारित निर्यातोन्मुखी धमन भट्ठी कम्पलैक्स की स्थापना, सोवियत सहायता से तीसरे देशो में स्थापित की गई प्रायोजनाओं के लिये डिजाइन तैयार करने और निर्माण कार्य में भारतीय संगठनो का सहयोग, वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकीय सहयोग सम्बन्धो उप-आयोग की स्थापना और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग के ब्यौरे तैयार करने के लिए कार्यकारी दल का गठन । इस पर भी सहमति हुई कि इन क्षेत्रों में और आगे सहयोग के क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए लोह और अलौह धातु कर्म के बारे में कार्यकारी दलों की स्थापना की जाएं ।

(ख) 1974 में स्थापित किये भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग की अब तक तीन बैठकें हुई है संयुक्त आयोग के अधीन आर्थिक और वाणिज्य, विज्ञान और प्रोद्योगिकी और शिक्षा तथा संस्कृति से सम्बन्धित तीन उप-आयोगों की स्थापना इन क्षेत्रों में सहयोग पर कार्रवाई करने के लिए हुई है। आर्थिक और वाणिज्यिक उपआयोग द्विपक्षीय व्यापार, अमरीका जी एस पी, निवेश नीतियों आदि विषयों से सम्बद्ध रहा है। विज्ञान और प्रोद्योगिकी के उप आयोगों ने सहकारी अनुसन्धान के क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें उर्जा, भूमि विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि शामिल है। शिक्षा और संस्कृति आयोग ने संगोष्ठियां और प्रदर्शनियां आयोजित की है और रेडियो, टेलिविजनों और फिल्मों के क्षेत्रों में कार्मिकों के आदान प्रदान का भी एक कार्यक्रम शुरू किया है ।

भारत अमरीकी संयुक्त आयोग ने जनवरी, 1978 में अपनी पिछली बैठक में तीन उप-आयोगों की रिपोर्टों की समीक्षा की तथा उनकी पुष्टि की ।

गोआ में खनन कार्यों के कारण प्रदूषण

9073. श्री अमृत कासर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र गोआ में खनन कार्यों के कारण बड़े पैमाने पर हो रहे पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण की जानकारी है ;

(ख) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र गोआ में क्षय रोगियों में से नब्बे प्रतिशत रोगी गावों में रह रहे हैं जहां खनन कार्य किए जाते हैं ;

(ग) इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या चिकित्सा सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के माध्यम से गोआ के खनन क्षेत्र में प्रदूषण के कारण कष्ट उठाने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने की सरकार की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Sri Lanka's Suggestion for Common Market

†9074. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Sri Lanka has made a suggestion for making a regional grouping or a common market :

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action being taken in this direction?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Sri Lanka has extended support to the idea of regional economic cooperation, but the Government are not aware of any formal proposal in this respect.

(b) & (c): The Government of India support the concept of regional economic cooperation, but realise that the pace of progress would be determined by the emergence of a regional consensus in its favour and its success would depend upon the willing consent and cooperation of all states concerned.

बेरोजगारों की समस्या का समाधान

9075. श्री जी०वाई०कृष्णन् : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिए उनका विचार सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : उद्योग के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच विभिन्न मंचों पर निरन्तर विचार-विमर्श चलता रहता है । इस समय विशेष विचार-विमर्श करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Pakistan's Treaty with Western Countries and Iran for supply of Arms

†9076. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of Pakistan's move to enter into a treaty with Western countries and Iran regarding the supply of arms ; and

(b) if so, the reaction of Government to this move of Pakistan?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बम्बई, के विरुद्ध एक फर्म की शिकायत

9077. **डा० बापू कालदाते :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई, (महाराष्ट्र) के विरुद्ध बम्बई की एक गैर-सरकारी फर्म केमिकल्स एण्ड फेब्रीज इण्डिया द्वारा की गई शिकायत को जांच कर ली गई है ;

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पर लगाया गया आरोप ठीक पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) से (ग) मैसर्स केमिकल्स फाईबर्स इण्डिया लिमिटेड से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तथापि, सी० ए० एफ० आई० इम्पलाइज यूनियन से 16 जनवरी, 1978 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि मसर्स केमिकल्स एण्ड फाईबर्स इण्डिया लिमिटेड, थाना को छूट प्रदान करने के मामलों में भविष्य निधि प्राधिकारियों की ओर से कोई हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिए। चूंकि इस मामले में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1) के अधीन छूट प्रदान करने के लिए समुचित प्राधिकारी महाराष्ट्र सरकार है इसलिए निस्सन्देह वह इसे मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर करेगी।

प्रति व्यक्ति चिकित्सा-व्यय

9078. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रति व्यक्ति चिकित्सा-व्यय के बारे में 6 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 626 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त उत्तर के अनुबंध-1 में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रति व्यक्ति चिकित्सा-व्यय के मामले में बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल में विषमता होने के कारण क्या है ; और क्या बिहार केवल 4.09 रुपये, नागालैंड, 8.84 रुपये, उत्तर प्रदेश, 5.08 रुपये, पांडिचेरी 38.84 रुपये तथा पश्चिम बंगाल केवल 9.78 रुपये ही खर्च कर सकते है ; और

(ख) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान समूचे देश में प्रति व्यक्ति चिकित्सा-व्यय कितने रुपये रहा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है और जिस राज्य में जितने वित्तीय संधान तथा डाक्टर उपलब्ध हुए और उसकी अपनी जैसी जरुरतें हुई उन्ही के हिसाब से देश के विभिन्न विभागों में इन सेवाओं का विकास हुआ। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि देश भर में प्रति व्यक्ति खर्च एक समान हो। प्रति व्यक्ति खर्च में विभिन्नता के कारण है :— ऐतिहासिक कारण, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की पद्धति के विशिष्ट तरीको का विकास तथा

राज्य का प्राकृतिक ढांचा। नागालैंड में प्रति व्यक्ति खर्च जो 1974-75 में 80.84 रुपये था 1975-76 में घट कर 75.84 रुपये रह गया जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रति व्यक्ति खर्च में मामूली सी वृद्धि देखी गई जो 1975-76 में 4.09 रुपये और 5.00 रुपये से बढ़ कर क्रमशः 4.46 रुपये तथा 5.36 रु० हो गया।

(ख) देश में 1975-76 में रुपये के हिसाब से स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च परिशिष्ट-1 में दिया गया है। 1976-77 के खर्च के आंकड़े संकलित किए जाने बाकी हैं।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		प्रति व्यक्ति खर्च (1975-76) (रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	43.12
3.	असम	10.27
4.	बिहार	4.46
5.	गुजरात	10.68
6.	हरियाणा	11.19
7.	हिमाचल प्रदेश	19.36
8.	जम्मू और कश्मीर	17.02
9.	कर्नाटक	11.26
10.	केरल	14.12
11.	मध्य प्रदेश	6.98
12.	महाराष्ट्र	13.41
13.	मणिपुर	16.98
14.	मेघालय	24.81
15.	नागालैण्ड	75.84
16.	उड़ीसा	9.13
17.	पंजाब	17.88
18.	राजस्थान	13.27
19.	सिक्किम	23.06
20.	तमिलनाडु	10.94
21.	त्रिपुरा	13.22
22.	उत्तर प्रदेश	5.66
23.	पश्चिम बंगाल	12.31
24.	गोआ	47.59
25.	पांडिचेरी	50.04
	भारत	10.63

पहाड़ी राज्यों में औषधी वाले पौधे

9079. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी राज्य सिकिम में औषधि वाले पौधे बहुतायत में पाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करने और इस कार्य के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद ने औषधि-वानस्पतिक क्षमता का जायजा लेने के लिए पहले ही मार्च से अप्रैल, 1977 में सिक्किम के एक भाग का सर्वेक्षण कर लिया है । परिषद् ने चालू वर्ष में भी इस क्षेत्र का और आगे सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है । सिक्किम में कौन-कौन सी परम्परागत चिकित्सा पद्धतियाँ प्रचलित हैं और कौन से औषधीय पौधे उपलब्ध हैं, परिषद द्वारा इस के बारे में आवश्यक सामग्री एकत्र कर लेने के बाद वहां किसी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की व्यावहारिकता पर विचार किया जायेगा ।

Iranian aid for development of Bauxite

9081. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Iran has made an offer of giving financial assistance for a bauxite mine development project in any part of the country;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the time by which this project is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) An alumina project based on the East Coast bauxite deposit has been identified as one of the areas of Indo-Iran economic cooperation.

(b) & (c): These details will be settled only when the feasibility studies which have been commissioned have progressed sufficiently.

सिद्ध प्रणाली

9082. **श्री पी० एस० रामलिंगम :**
श्री के० मायातेवर :
श्री पी० कानन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए प्रलेखन और सन्दर्भ सेवा में सिद्ध प्रणाली को शामिल न करने के क्या कारण है ; और

(ख) भारतीय चिकित्सा प्रणाली में प्रस्तावित केन्द्रीय फार्मेसी में सिद्ध प्रणाली को क्या स्थान दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सिद्ध चिकित्सा पद्धति के प्राचीन ग्रन्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद की प्रलेखन और संदर्भ-सेवाओं में उपलब्ध हैं ।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति को भेषजिक निगम लिमिटेड, जिसे अभी खोला जाना है, का मुख्य उद्देश्य भारतीय दवाइयों को बनाने का काम अपने हाथ में लेना है। शुरु शुरु में यह निगम आयुर्वेद और यूनानी की असली दवाइयां बनायेगा और आगे चलकर यह निगम सिद्ध की दवाइयां बनाने का काम भी शुरु कर देगा।

कांडला पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड की सदस्य संख्या का सत्यापन

9083. **श्री अनन्त दवे :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड की सदस्य संख्या का सत्यापन श्रम मंत्रालय द्वारा किया गया था ;

(ख) क्या अन्य सभी संघों की तुलना में परिवहन गोदी श्रमिक संघ, कांडला का अधिक बहुतमत है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संघ को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों ने 31 दिसम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार कांडला पत्तन में कार्य कर रही पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की यूनियन की सदस्य-संख्या का सत्यापन किया था।

(ख) परिवहन तथा गोदी श्रमिक संघ, कांडला की सत्यापित सदस्य संख्या पत्तन साइड में 3680 श्रमिकों में से 1701 और गोदी साइड में 1549 श्रमिकों में से 535 थी।

(ग) सदस्य-संख्या का सत्यापन पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड में श्रमिकों को सीटें देने के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया गया था न कि यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिए।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष

9084. **श्री अहसान जाफरी :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा अधिकारियों को भरती के लिए विभागीय चैनलों के बारे में केन्द्रीय श्रमिक बोर्ड के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इसे ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टिकट-संकलन ब्यूरो पर व्यय

9085. **श्री सूरज भान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टिकट-संकलन ब्यूरो की स्थापना और सिम्बन्धी विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण स्टाफ पर वर्ष 1976-77 और 1977-78 में विभाग द्वारा कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) किन-किन स्थानों पर टिकट-संकलन ब्यूरो की स्थापना की गई है ;

(ग) क्या वे मेल आर्डरों को शीघ्रता से निपटाने में समर्थ हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कुछ टिकट संकलन ब्यूरो के पास इस प्रकार के कोई आर्डर बकाया है। और

(ङ) यदि हां, तो सर्वाधिक अवधि का आर्डर कब का है, और उसके क्या कारण है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) फिलैटे लिक ब्यूरों की स्थापना और उससे संबंधित विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षक कर्मचारियों पर विभाग द्वारा वर्ष 1976-77 और 1977-78 में किया गया कुल खर्च इस प्रकार है :--

	रु० पै०
1976-77	5,57,763.27
1977-78	6,63,620.63

(ख) फिलैटेलिक ब्यूरो की सूची की एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखी जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1. अम्बाला
2. अहमदाबाद
3. इलाहाबाद
4. बंगलूर
5. बम्बई
6. भोपाल
7. कलकत्ता
8. कटक
9. चण्डीगढ़
10. हैदराबाद
11. इंदौर
12. जयपुर
13. कानपुर
14. लखनऊ
15. लुधियाना
16. नागपूर
17. अन्ना रोड मद्रास
18. नई दिल्ली
19. पटना
20. शिलाँग
21. शिमला
22. श्रीनगर
23. कोयम्बतूर
24. पांडिचेरी
25. पूणे
26. गोहाटी
27. त्रिवेन्द्रम
28. 1 सेन्ट्रल बेस डाकघर मार्फत 56 ए पी ओ
29. 2 सेन्ट्रल बेस डाकघर मार्फत 99 ए पी ओ

नामीबिया को सहायता

9086. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका (नामीबिया) में स्वाधीनता संघर्ष के लिये 'स्वापो' को ठोस सहायता देने का वचन पहले ही दिया जा चुका है और उनको अब तक क्या ठोस सहायता दी जा चुकी है ;

(ख) नई दिल्ली में 5 पश्चिमी देशों के मिशनों के प्रमुख जब स्वापों के अध्यक्ष समनुजोमा की हाल की नई दिल्ली यात्रा के समय विदेश मंत्री से मिले थे तब तक उनके द्वारा प्रेषित राजनयिक प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने 'स्वापो' को सैन्य सहायता देने का भी वचन दिया है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपयी) : (क) हम आशा करते हैं कि नामीबिया की समस्या पर बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण समझौता हो जायेगा और इस वर्ष नामीबिया स्वाधीन हो जाएगा। यदि दक्षिण अफ्रीकी शासन की हठधर्मिता के कारण इस प्रकार का समझौता होने के प्रयास असफल रहते हैं और परिणामस्वरूप सशस्त्र संघर्ष आवश्यक हो जाता है तो भारत 'स्वापो' को राजनीतिक, राजनयिक, नैतिक और सामग्रीगत सहयोग देता रहेगा जो कि नामीबिया का एकमात्र मुक्ति आन्दोलन है।

भारत ने अब तक 'स्वापो' को जो सामग्रीगत सहायता दी है उसमें कपड़ा, जूते, चाय, काफी, दवाई, संचार उपस्कर और अन्य सामान शामिल है। हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधायें भी देते रहे हैं। 'स्वापो', के नामजद व्यक्तियों को शिक्षावृत्तियां भी दी जा रही है।

(ख) पांच पश्चिमी देशों के शासनाध्यक्षों द्वारा दिये गये नामीबियाई समस्या के निपटारे के लिये प्रस्ताव (पांच राष्ट्रों के सम्पर्क दल का प्रस्ताव) के पाठ को सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2238/78।]

Asgandha Drug

9087. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Manasa in Mandsour District of Madhya Pradesh is the only place in India where 'Asgandha' drug is found in abundance;

(b) whether this is used in bulk in Ayurvedic system of medicine;

(c) whether the drug is also exported and a large amount of foreign exchange is earned thereby; and

(d) if so, whether measures have been taken to increase the production thereof?

The Minister of State for Health and Family Walfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Asgandha grows in many parts of the country. According to the information available, bulk of the supplies are drawn from Manasa in Mandsour District and Neemuch (Madhya Pradesh). It is popularly known as Asgand negori in the market.

(b) Yes.

(c) The information is being collected and will be placed on the Table of the sabha in due course.

(d) Government of India provides Central assistance for the development of herb gardens as part of a scheme for the development of ISM Pharmacies. However there is no provision in the scheme to provide financial assistance exclusively for cultivation of Asgandha. The Central Council of Health and the Central Family Welfare Council at their joint meeting held from 28th to 31st January, 1978 recommended that methodical steps should be taken by the State Governments to undertake cultivation of medicinal plants and to collect, store and distribute herbs. This recommendation has been forwarded to the State Governments for implementation.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के ढांचे में परिवर्तन के कारण

9088. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने के लिए सरकार को प्रेरित करने वाले मुख्य कारण क्या है;

(ख) कोयला उपभोक्ता एककों को इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(ग) पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार होंगे और कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को एक पूर्ण कम्पनी के समग्र नियंत्रण में लाना है ताकि यह एकीकृत इस्पात कम्पलक्स के रूप में कार्य कर सके और इस्पात उत्पादन कार्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके। आशा है इससे इस्पात कारखानों और अन्य इकाइयों के कार्यकरण में कार्यकुशलता बढ़ेगी और इनके प्रबन्ध में सुधार होगा ।

(ख) सेल के पुनर्गठन से इस्पात कारखानों को छोड़कर कोयला उपभोक्ता एककों पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा

(ग) सेल के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की कोई सम्भावना नहीं है । जहां तक कर्मचारियों के स्थानान्तरण का सम्बन्ध है पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1978 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि विघटित कम्पनी अथवा स्थानान्तरित इकाई में काम करने वाला कर्मचारी सेल को तद्नुरूपी इकाई अथवा स्थानान्तरित की गई कम्पनी जैसा भी मामला हो, में सेवा की उन्हीं शर्तों पर, जब तक कि इन शर्तों में विधिवत रूप से कोई परिवर्तन न कर दिया जाय, कार्य करता रहेगा ।

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी सम्बन्धी समिति

9089. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में उत्पादन कम होने के कारणों का अध्ययन करने और उनको दूर करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति अध्ययन कब तक पूरा कर लेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ङ) : सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है । इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के निदेशक-मण्डल ने कम्पनी के कार्यकरण की जांच करने के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन करने का फैसला किया है । इस दल के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

गुरगूंटा डाकघर, कर्नाटक में टेलीफोन की व्यवस्था करना

9090. **श्री राजशेखर कोलूर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कर्नाटक में रायपुर जिले के तालुक लिंगसुगर के ग्राम गुरगूंटा के निवासियों से डाकघर में टेलीफोन की व्यवस्था करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) गुरगूंटा में मार्च 1978 में एक पी०सी०ओ० खोल दिया गया था ।

विश्वायतन योगाश्रम और केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान

9091. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वायतन योगाश्रम और केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने से पूर्व उनके कर्मचारी-वृन्द में जो अनुसंधान अधिकारी (योग), अनुसंधान अधिकारी (साहित्यिक), योग प्राध्यापक और तकनीकी सहायक थे, उनके नाम क्या है ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों के पास उन पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं थी ;

(ग) क्या अधिग्रहण के बाद से उपर्युक्त कर्मचारियों में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :

(1) कु० मंजु सरीन, अनुसधान अधिकारी (योग)
(2) श्री रामपाल शर्मा, अनुसंधान, अधिकारी (योग)
(3) श्रीमती वनमाला वाचानी, अनुसंधान अधिकारी (साहित्यिक)
(4) श्री वी० एन० अग्रवाल, योग लेक्चरार
(5) श्री मुरली चौधरी, तकनीकी सहायक
(6) कु० गुरजीत गिल, तकनीकी सहायक ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) : जी हां, निम्नलिखित व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है :—

	समाप्ति तिथि
(1) कु० मंजु सरीन, अनुसंधान अधिकारी (योग)	18-2-78
(2) श्रीमती वनमाला वाचानी, अनुसंधान अधिकारी (साहित्यिक)	18-2-78
(3) कु० गुरजीत गिल, तकनीकी अधिकारी	8-3-78
(4) श्री मुरली चौधरी, तकनीकी सहायक	15-3-78

शीघ्र ही अन्य लोगों के बारे में विचार और पुनरालोकन किया जायेगा।

अधिग्रहण के पश्चात् पतन्जलि योग सूत्रों, 5 हठ पाठ्य पुस्तकों और 108 योगोपनिषदों के अनुसार विभिन्न योग की क्रियाओं को शुद्ध किया गया है। इस प्रयोजन के लिये शिक्षकों के लिये प्रतिदिन व्यावहारिक और सद्धान्तिक कक्षायें शुरू कर दी गई हैं। साथ हीं ध्यान योग की एक कक्षा भी आरम्भ की गई है। साधकों के लाभ के लिए योग के विभिन्न पहलूओं पर सैद्धांतिक कक्षाएं शुरू कर दी गई है। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिय गये हैं। अप्रशिक्षित स्टाफ जो कि संस्था के सुचारू रूप से चलने में भी बाधक सिद्ध हो रहा था को निकालने के बाद मार्च-अप्रैल 1978 के दौरान साधको को संख्या भो बढ़ गई और आशा है कि नयें स्टाफ को नियुक्ति के पश्चात् इसमें और प्रगति होगी।

डाक सुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा

9092. **श्री जार्ज मथ्यु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त डाक सुविधाएं देने के उद्देश्य से सघन जन संख्या वाले केन्द्रों के संबंध में ग्रामोण क्षेत्रों को परिभाषा के लिए डाक अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा रही सामान्य शब्दावलो को बदलने का है ;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए निर्धारित की गई 2 मील की सीमा में छूट देने का विचार है ; और

(ग) क्या केरल के जिला एर्नाकुलम में कोलेनचेरी स्थित मालनकारा आर्थोडाक्स सीरियन चर्च मेडिकल मिशन हास्पिटल में एक डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं।

(ख) देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के मानदंडों का पुनरीक्षण किया जा रहा है ; मौजूदा मानदंडों में वर्तमान डाकघर से किसी प्रस्तावित डाकघर को दुरी एक मानदंड है।

(ग) केरल के जिला एर्नाकुलम में कोलेन चेरी स्थित मालनकारा आर्थोडाक्स सीरियन चर्च मेडिकल मिशन हास्पिटल में डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच करायी गयी थी। परन्तु विभागीय मानदंडों के अनुसार उसका औचित्य नहीं पाया गया था।

जमशेदपुर इस्पात संयंत्र

9093. **श्री वसंत साठे :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा ने अपने जमशेदपुर के इस्पात संयंत्र को क्षमता दुगनी अर्थात 20 लाख मीट्रिक टन से 40 लाख मीट्रिक टन करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां तो प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या निर्णय किया गया है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० ने जमशेदपुर के अपने इस्पात कारखाने की क्षमता के विस्तार के लिए अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजदूतावासों से राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों का हटाया जाना

9094. **श्री सी० के० जाफ़रशरीफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुछ राजदूतावासों में से कुछ महान राष्ट्रीय नेताओं के चित्र हाल ही में हटाये गये है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजदूतावासों और ऐसे नेताओं के नाम क्या है ;

(ग) इन नेताओं के चित्रों को हटाए जाने का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कसौटी/नीति निर्धारित की है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (घ) : मार्च 1977 में जारी एक निर्देश में प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विदेश स्थित मिशनों में उनका चित्र न लगाया जाए और महात्मा गांधी और राष्ट्रपति के चित्रों को विशिष्ट महत्व दिया जाए। पहले की भांति अब भी महत्वपूर्ण और सम्माननीय राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों को विदेश स्थित भारतीय मिशनों में प्रदर्शित किया जा रहा है।

इंगलैंड में रहने वाले भारतीयों की समस्याएं

9095. **श्री भगत राम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हे पता है कि इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, ग्रेट ब्रिटेन ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को नवम्बर, 1977 में इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय लोगों की समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन दिया था;

(ख) उस ज्ञापन में किन मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया गया है ; और

(ग) इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी, हां।

(ख) इस ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य मांगे इस प्रकार हैं :—

(i) प्रतिनिधि भारतीय संगठनों को पासपोर्ट फोटोग्राफों को साक्ष्यांकित करने को अनुमति देकर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाय, दफ्तर-शाही और भ्रष्टाचार को खत्म किया जाये तथा आपाती परिस्थितियों में पासपोर्टों के जारी करने की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ;

(ii) पासपोर्टों को वैध अवधि समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण के लिए आवेदकों से ब्रिटिश होम आफिस से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उन्होंने ब्रिटेन को राष्ट्रिकता नहीं अपनायी है, प्रस्तुत करने की प्रथा समाप्त की जाय ;

(iii) उपनामों के जोड़ने की अनुमति दी जाय और इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर जोर नहीं दिया जाय ;

(iv) ब्रिटेन की नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के लोगों को भारत में आने और बसने का अधिकार दिया जाये और इसके लिए भारतीय संविधान में एक खंड जोड़ा जाय ;

(v) सीमा-शुल्क छूट की वर्तमान सीमा को 500.00 रुपये से बढ़ाकर 500.00 पौंड किया जाए और भारत में उत्प्रवास और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किसी को परेशान न किया जाय ;

(vi) आवेदकों से नाम-पता सहित जवाबी लिफाफों के मांगने की प्रथा समाप्त की जाय; और

(vii) पासपोर्टों की वैधता 10 साल तक बढ़ा दी जाय ।

(ग) इस ज्ञापन में उल्लिखित प्रमुख मांगों पर हमारे लन्दनस्थित हाई कमिश्नर नीचे लिखी कार्रवाई पुरी कर चुके हैं :—

(i) पासपोर्टों के फोटोग्राफों का साक्ष्याकन करने वाले व्यक्तियों को श्रेणियों में वृद्धि कर दी गयी है और हाई कमीशन ने साक्ष्यांकन करने के लिये सुविख्यात संगठनों के दो उच्च पदाधिकारियों को प्राधिकार देना शुरू कर दिया है । इसके अतिरिक्त हाई कमीशन यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले भारतीयों को तत्काल और सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के लिए अपनी कार्य-विधि को सरल और कारगर बनाता रहा है और आपाती मामलों में पासपोर्ट जारी करने के लिए विशेष व्यवस्था की है । किसी भी पासपोर्ट अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार को कोई ठोस शिकायत नहीं मिली है और ज्ञापन में भी यह स्वीकार किया गया है कि उसमें उल्लिखित आरोपों को प्रमाणित करना संभव नहीं है ।

(ii) जहां कहीं यह संदेह होता है कि आवेदक ब्रिटिश पासपोर्ट रखते हुए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, सिर्फ उन्हीं मामलों में अब हाई कमीशन ब्रिटिश राष्ट्रिकता प्राप्त न किए जाने के बारे में प्रमाण या प्रमाण-पत्र मांगता है ।

(iii) पासपोर्टों में उपनामों के जोड़े जाने के संबंध में कार्यविधि को पर्याप्त रूप से उदार बना दिया गया है । अब अधिकांश मामलों में समाचार पत्रों आदि में विज्ञापन देने की औपचारिकता को पूरा किये बिना ही पासपोर्टों में उपनाम जोड़े जा सकते हैं । हाई कमीशन अब किसी भी विख्यात अंग्रेजी या भारतीय भाषा के समाचार पत्र में नामों के परिवर्तन के बारे में प्रकाशित विज्ञापनों को सबूत के रूप में स्वीकार करता है । इसके संबंध में प्रेस में समाचार जारी करते तथा सभी भारतीय संगठनों को पत्र भेजकर हाई कमीशन ने उदारीकृत कार्यविधि का व्यापक रूप से प्रचार किया है ।

(iv) भारतीय संविधान में दोहरी राष्ट्रिकता की व्यवस्था नहीं है । भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राष्ट्रिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है । फिर भी ब्रिटिश नागरिकता वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को वीजा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती । ऐसे व्यक्ति, यदि भारत में स्थायी तौर पर बसना चाहते हों तो वे भारत में रिहायश के 6 महीने के बाद ही भारतीय नागरिक के रूप में अपने आपको पंजीकृत कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं । नागरिकों के रूप में वास्तविक रूप से पंजीकृत कराने से पहले उन्हें अपनी विदेशी नागरिकता छोड़नी पड़ती है ।

(v) विभिन्न सामान नियमों के अधीन सीमाशुल्क में छूट की अधिकतम सीमा निश्चित करने पर भारत में उपयुक्त प्राधिकारी विचार करते रहे हैं । सीमा शुल्क या उत्प्रवासन अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने वाले जिन विशिष्ट आरोपों की ओर हाई कमीशन का ध्यान दिलाया गया है, उन्हें जांच और आवश्यक कारवाई के लिए संबद्ध प्राधिकारियों को भेजा गया है ।

(vi) आवेदकों से नाम-पता सहित लिफाफे इसलिए मांगे जाते हैं कि इससे समय बचता है और इससे लिफाफों पर पता लिखने में गलती होने की संभावना नहीं रहती है। हाई कमीशन अब यह नहीं कहता कि आवेदकों द्वारा भेजे गये ऐसे लिफाफों पर वे टिकट लगायें या उन्हें रजिस्ट्री से भेजें।

(vii) सामान्यत: अब भारतीय पासपोर्ट 10 वर्ष के लिए होता है। यह आरंभ में पांच वर्ष के लिए होता है जिसे अगले पांच वर्ष के लिए नवीकृत कराया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं जान पड़ता कि भारतीय पासपोर्ट की आरंभिक अवधि 10 वर्ष कर दी जाय।

इस्पात उद्योग में मन्दी के कारण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को घाटा

9096. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग में विश्वव्यापी मन्दी आ जाने के कारण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को प्रतिवर्ष 10 से 15 करोड़ रुपये तक का घाटा होने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम खनिज तथा धातु व्यापार निगम से मिलकर लौह-अयस्क तथा इसके चूरे का विदेशों में नई मंडियों को निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है।

हिंडालको की क्षमता और उसमें वास्तविक उत्पादन की जांच

9097 **श्री सौगत राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री ने हिंडालको की क्षमता, उसमें वास्तविक उत्पादन और अन्य कदाचारों की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

रोजगार सम्बन्धी सम्मेलन

9098. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल कंफेडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन्स के एशियाई क्षेत्रीय संगठन द्वारा रोजगार पर आयोजित एक गोल मेज सम्मेलन ने केन्द्र को सिफारिश की है कि वह समस्त आर्थिक नीति को रोजगार प्रधान बनाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन करें;

(ख) यदि हां तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या उन्होंने सुझाव दिया है कि इस आयोग में कार्मिक संघों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए; और

(घ) इस बैठक में अन्य किन किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ था और क्या सरकार ने उनके सुझावों की जांच की है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (घ) : इन्टरनेशनल कंफेडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन्स एशियाई क्षेत्रीय संगठन (आई० सी० एफ० टी० यू० ए० आर० ओ०) द्वारा नई दिल्ली में अप्रैल, 5 से 7, 1978 तक रोजगार संबंधी भारतीय राष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। सरकार को गोल मेज सम्मेलन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

2. यह ज्ञात हुआ है कि सम्मेलन में रोजगार उत्पन्न करने से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श किया गया था, जैसे कि आर्थिक नीतियों का पुनर्मुल्यांकन करना, विकास की प्रक्रिया में आम लोगों तथा कमजोर वर्गों को शामिल करना, व्यापक गहन क्षेत्रीय विकास के लिए क्षेत्र-स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता संघ स्थापित करना, गरीब ग्रामीणों को संगठित करना, प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुविधाओं सहित व्यापक लाभदायक शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग करना, विकास की प्रक्रिया में श्रमिक संघ आन्दोलन का प्रभावी और उत्तरदायित्वपूर्ण सहयोग लेना, विकासशील देशों में रोजगार उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां, आदि आदि। यह पता चला है कि गोल मेज सम्मेलन की सिफारिशों में से एक सिफारिश रोजगार सम्बन्धी उच्च अधिकार प्राप्त आयोग स्थापित करने के बारे में है, जिसे पर्याप्त प्राधिकार और व्यावसायिक योग्यता प्राप्त हो और जिसमें श्रमिक संघ आन्दोलन को प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया गया हो।

Q.M.S. Service in India

†9099. **Shri Bharat Bhushan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of the places where 'Quick Mail Service' is available in the country at present;

(b) the criteria adopted to introduce 'Quick Mail Service' at any new place;

(c) the names of the places where this Service is likely to be introduced during 1978-79;

(d) whether Government have scheme to introduce this service in the District Headquarters and the important mandis in the country; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) A list is enclosed.

(b) In the national QMS network, all State Capitals, capitals of Union Territories and important air centres are interlinked. They are 45 in number. In the subsidiary Regional QMS, most of the District Headquarters and other important towns are linked with State Capitals. They number 407.

(c) There is no such specific proposal. However, examination of extension of this service is a continuous process.

(d) & (e): Most of the District Headquarters have already been linked with their respective State Capitals. In addition other important centres including important mandis have already been provided with this service. Any specific cases proposed for extension of this facility receive prompt consideration.

[Placed in Library. See No. L.T. 2239/78].

तेजपुर मेंटल अस्पताल

9100. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य को जानती है कि असम में तेजपुर मेंटल अस्पताल अब 105 वर्ष पुराना हो गया है और संपूर्ण पूर्वोत्तर त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में यह ऐसा केवल एक ही अस्पताल है ;

(ख) यदि हां, तो इसके विकास का केन्द्रीयकरण करने, बड़ी संख्या में रोगियों को देखने तथा उन्हें इलाज की सुविधाएं देने और अस्पताल में भर्ती किए गए विक्षिप्त रोगियों को देखने वाले पुरुष तथा महिला परिचारिकों की जोखिम उठाने के लिए राशि देने की मंजूरी देने हेतु क्या विशेष व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) यदि सरकार अस्पताल को अपने नियंत्रण में नहीं लेगी तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Linking Salempur Telephone Exchange with Mau or Lucknow

†9101. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government for linking Salempur Telephone Exchange in Deoria District (UP) directly with Mau or Lucknow;

(b) if so, the reasons for delay; and

(c) the obstacle in linking Salempur Exchange with Lar, Bhatyar Rani Barhaj Bajar and Bhatni?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The present trunk traffic from Salempur does not justify any other link except the existing one to Deoria Trunk exchange.

एथिकल होम्योपैथी का हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन

9102. **श्री भगवान दास राठौर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हरिद्वार से एथिकल होम्योपैथी पर 'फस्ट बीकली आफ दी बर्ल्ड' हिन्दी और अंग्रेजी में (गत लगभग पांच वर्षों से) प्रकाशित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन साप्ताहिक पत्रिकाओं को मान्यता देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : माननीय सदस्य का तात्पर्य संभवत: हरिद्वार से प्रकाशित होने वाले 'होम्योपैथी जगत' से है। इस मंत्रालय के पास इस प्रकाशन की प्रसार-संख्या और नियमितता की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। होम्योपैथी की बहुत सी पत्र-पत्रिकाएं भारत में और विदेशों में काफी समय से प्रकाशित की जा रही हैं। सरकार ऐसी पत्र-पत्रिकाओं को कोई मान्यता नहीं देती है। भारत सरकार ने कलकत्ता से प्रकाशित 'हैनमेनियन ग्लीनिंग्स', बम्बई से प्रकाशित 'जर्नल आफ होम्योपैथी' और 'जर्नल आफ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इंडिया', आदि होम्योपैथी की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं को भी मान्यता नहीं दी है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी है।

Restriction on supply of Steel to Big Industries

9103. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to restrict the steel supply to the big industries or prohibit them to manufacture steel articles which can be manufactured by the cottage and small scale industries ;

(b) whether Government have formulated any scheme to set up small mini steel plants and whether there can be set up or not and whether there are such mini steel plants in any country of the world and if so, the names thereof; and

(c) whether Government propose to take any action in this direction and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) No, Sir. However, so far as supply of steel to small scale industries is concerned, steps have already been taken to increase supplies to the States Small Industries Corporations who cater to the needs of the small industries.

(b) and (c) : The present policy of the Government is not to encourage setting up of new mini-steel plants in the country as even the existing mini steel plants are still working well below capacity. There are reported to be many mini steel plants in various countries, full details of which are not available.

Economic Cooperation with Nepal

†9104. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the details of the increasing economic cooperation between India and Nepal?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : The visit of the Prime Minister of Nepal, Rt. Hon'ble Shri Kirti Nidhi Bista, from 15th to 17th April, 1978 to New Delhi, provided an occasion to hold discussions with our Prime Minister and other Indian leaders to review and intensify the existing close economic cooperation between India and Nepal. As reflected in the Joint Communique issued on 17th April 1978, the new areas of economic cooperation are the following :

(i) The Nepalese Prime Minister expressed H.M.G.'s desire to promote Indo-Nepal joint ventures in Nepal in various fields.

(ii) The Govt. of India have decided to send a multi-disciplinary team of Indian officials to Nepal inter alia to identify area in which joint ventures could be set up in such fields as the production of cement, paper and pulp, food processing, canning, etc.

(iii) In the area of Indian economic assistance to Nepal for the development of its infrastructure apart from the on-going assistance programmes covering highway development, irrigation, small industry, etc., it was agreed that agreements will be signed by the two countries for :

(1) a 15-year soil and water conservation project in the Kosi catchment area ;

(2) a ground survey of the mid-montane Dulalghat-Dhankuta Road; and

(3) an integrated programme for development of horticulture in Napel.

(iv) Another agreement for the construction of the 14-MW Devighat Hydro-electric Project which India will be constructing on a turn-key basis will also be signed soon between the two countries.

(v) Joint Indo-Nepal studies leading to detailed investigations on three specific projects to harness the potential of rivers rising in Nepal and flowing through India are also proceeding smoothly.

मालंज खंड तांबा परियोजना में रोजगार की संभावनाएं

9105. **श्री अधन सिंह ठाकुर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलंज खंड तांबा परियोजना में रोजगार की संभावनाओं का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के चालू होने के बाद कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना के पूरी तरह चालू हो जाने पर 1862 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है ।

इंडियन रेड क्रास सोसाइटी

9106. **श्री शरद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन रेड क्रास सोसाइटीज की कर्मचारी यूनियन ने इंडियन रेड क्रास सोसाइटीज के मुख्यालय के प्राधिकारियों को एक मांग पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई है ; और

(ग) सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जैसा कि भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने बताया है, भारतीय रेडक्रास कर्मचारी संघ, नई दिल्ली ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं :—

(1) स्टाफ सदस्यों के मुअत्तली आदेश वापस लिये जाएं ।

(2) रोजगार कार्यालयों से बाहर-बाहर सीधी अनुचित तथा तदर्थ नियुक्तियां बंद करना ।

(3) तरक्कियों/वेतनों के बारे में पक्षपात रोकना ।

(4) वरिष्ठता के आधार पर तरक्की ।

(5) स्वीकृत पदों को तत्काल भरा जाए ।

(6) अर्हताप्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को श्रेणी तीन में पदोन्नत किया जाए ।

(7) सोसाइटी में जिन सेवानिवृत व्यक्तियों को पुर्नानियुक्त किया गया है उन्हें तत्काल हटाया जाए ।

(8) ऐसें व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए जो स्टाफ सदस्यों से दुव्यवहार करता है ।

(9) अनुचित ढंग से पदोन्नत हुए सभी कर्मचारियों को पदावनत किया जाए ।

(10) लोकोपकारी प्रयोजनों के लिए लोगों द्वारा दिए गए धन को कुछेक स्वेच्छाचारी अधिकारियों द्वारा सोसाइटी के धन की निकासी को रोका जाए ।

(ग) ये मांगें प्रबन्ध समिति के समक्ष रखी जाएंगी जिसकी बैठक 5 मई, 1978 को होनी निश्चित हुई है ।

डाक व तार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

9107. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक सकलों के अध्यक्षों को निदेश दिये हैं कि डाक व तार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देना कम किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निदेशों को क्रियान्वित करने तथा और अधिक नए रोजगार पैदा करने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) सभी सर्कल अध्यक्षों को हिदायत दे दी गई है वे छुट्टियों के दिनों में कार्य पर लगाये जा रहे मौजूदा कर्मचारियो की संख्या का पुनरीक्षण करे और यह देखें कि जनता को मिलने वाली सेवा पर कोई प्रभाव पड़े बिना क्या उसमें कोई कमी करना संभव है ताकि समयोपरि भत्ते की अदायगी में कुल बचत की जा सके । साथ ही मझोले और बड़े साइज के प्रचालन कार्यालयों में ओवर टाइम की मंजूरी देने के बजाए कम से कम संख्या में अतिरिक्त प्रचालन कर्मचारियों को रखने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । (यदि कार्य के मानदण्ड के आधार पर औचित्य बनता हो तो) ।

कलकत्ता स्थित दूर-संचार कारखाने का महाप्रबन्धक का संस्थापन

9108. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित दूरसंचार कारखाने का नियंत्रण करने वाले महा प्रबन्धक के संस्थापन को समाप्त करने के प्रश्न पर वह विचार कर रहे है ;

(ख) यह प्रणाली कब से चालू है ;

(ग) वे कौन सी प्रमुख कठिनाइयां हैं, जो वर्तमान व्यवस्था के संचालन में उनके समक्ष आई हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। ऐसा प्रस्ताव है कि महा-प्रबन्धक की स्थापना को विभिन्न कारखानों में बांट दिया जाये ।

(ख) दूरसंचार कारखानों के महाप्रबन्धक का कार्यालय 1-4-1951 से काम कर रहा है ।

(ग) और (घ) : आधुनिकीकरण, विस्तार और नई मदों के उत्पादन की व्यवस्था करने के लिये कलकत्ता दूरसंचार कारखाने को महाप्रबन्धक के सीधे नियंत्रण में रखने के प्रस्ताव है । यह भी प्रस्ताव है कि जबलपुर और बंबई के दो अन्य मुख्य कारखानों में महाप्रबंधकों की नियुक्ति की जाये । इन महाप्रबन्धकों को अतिरिक्त अधिकार दिये जायेंगे ताकि वे प्रभावकारी रूप से काम कर सकें ।

पोषण-कार्यक्रम

9109. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शुरु की गई योजनाओं के स्वास्थ्य आधारित पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों से राज्यवार कितने बच्चे लाभ उठा रहे हैं ; और

(ख) गांवों में रहने वाले बच्चों के चयन का आधार क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में दो स्वास्थ्य-आधारित पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं । वे इस प्रकार हैं :—

(i) बच्चों (1 से 12 वर्ष के) का अपोषणज अरक्तता से बचाव ।

(ii) विटामिन "ए" की कमी के कारण बच्चों (1 से 5 वर्ष के) में होने वाले अंधेपन से बचाव ।

इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 1975-76, 1976-77 और 1977-78 (फरवरी, 1978 तक) में जितने बच्चे लाभान्वित हुए उनकी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) (i) दैनिक आकार में आयरन और फोलिक एसिड की कमी के कारण अपोषणज अरक्तता हो जाती है । इस योजना का अभिप्राय उन बच्चों को अपेक्षित मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड देकर इस प्रकार की अरक्तता से बचाना है, जो बहुत जल्दी इसी कमी के शिकार हो जाते हैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और सूखाग्रस्त इलाकों तथा शहरों की गंदी। बस्तियों में रहने वाले बच्चों को तरजीह दी जाती है ।

(ii) उन क्षेत्रों में रहने वाले एक से 5 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले बच्चों को जिन्हें साधारणतया पोषण की अत्यल्प स्थिति और विशेषतया विटामिन "ए" की कमी के चिह्नों के आधार पर चुना जाता है, विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाले अंधेपन से बचाने के लिए इस योजना के लाभ दिए जाते हैं । इस मामले में भी मोटे तौर पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन और आदिवासी क्षेत्रों वाला माप-दण्ड ही लागू किया जाता है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1975-76 अपोषणज अरक्तता से बचाव	1975-76 विटामिन "ए" की कमी के कारण हुई अंधता से बचाव	1976-77 अपोषणज अरक्तता से बचाव	1976-77 विटामिन "ए" की कमी के कारण हुए अंधेपन से बचाव	1977-78 अपोषणज अरक्तता से बचाव	1977-78 विटामिन "ए" की कमी के कारण हुए अंधपन से बचाव
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	220,648	556,499	219,178	487,765	615,767	703,132
2	असम	60,187	..	37,569	43,742	66,296	55,980
3	बिहार	125,608	66,517	69,441	18,045	44,107	43,226
4	गुजरात	287,831	217,489	207,388	623,039	558,702	505,738
5	हरियाणा	57,931	61,692	67,412	155,359	222,449	284,778
6	हिमाचल प्रदेश	60,326	3,779	19,676	24,038	42,107	43,722
7	जम्मू व कश्मीर	46,029	--	35,745	28,000	55,592	105,714
8	कर्नाटक	156,619	--	127,775	--	265,921	224,945
9	केरल	366,545	666,759	225,391	676,234	254,524	762,052
10	मध्य प्रदेश	328,304	342,721	267,407	253,147	817,745	167,471
11	महाराष्ट्र	191,757	345,452	163,582	581,573	444,260	638,059
12	मणिपुर	2,427	--	2,559	1,433	8,611	4,706
13	मेघालय	18,239	100	54,974	59,514	55,008	32,202
14	नागालैंड	1,541	--	2,110	--	अप्राप्त	अप्राप्त

15	उड़ीसा	119,876	277,119	164,231	567,277	193,592	514,108
16	पंजाब	54,521	--	69,090	50,368	81,014	179,718
17	राजस्थान	113,545	248,754	29,545	92,889	80,838	286,594
18	तमिलनाडु	375,384	797,966	259,321	986,993	319,851	757,397
19	त्रिपुरा	3,127	--	17,524	--	1,687	563
20	उत्तर प्रदेश	213,070	216,510	240,000	751,793	321,479	742,812
21	पश्चिम बंगाल	571,753	526,158	521,174	1,144,442	1,025,302	1,068,589
22	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	3,865	--	3,464	1,519	5,314	3,077
23	अरुणाचल प्रदेश	--	--	--	--	9,318	3,213
24	चण्डीगढ़	5,054	--	7,290	22,900	9,117	8,620
25	दादरा नगर हवेली	9,475	4,004	5,910	2,651	9,028	393
26	दिल्ली	17,174	--	61,677	51,806	79,126	76,115
27	गोआ, दमन व दीव	3,360	—	12,716	1,654	19,337	38,207
28	लक्षद्वीप	262	--	112	358	अप्राप्त	अप्राप्त
29	पांडिचेरी	7,344	--	13,278	28,524	16,449	89,421
30	मिजोरम	3,109	--	1,731	--	1,418	--
31	सिक्किम	—	--	--	--	17,484	12,231

प्रशिक्षण व मार्ग निर्देशन केन्द्र

9110. **श्री ए० मुरुगेशन :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने प्रशिक्षण एवं मार्ग-निर्देशन केन्द्र कार्यरत हैं ;

(ख) वे किन स्थानों पर हैं, उनका कार्य निष्पादन क्या है, उनसे कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो रहा है और उनकी स्थापना से लेकर अब तक वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्वीकृत राशि में से एक बड़ा अंश प्रति वर्ष वापस कर दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वापस की गई राशि का वर्ष—वार ब्यौरा क्या है; और इस प्रकार राशि वापस किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) चार ।

(ख) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

कार्य निष्पादन तथा लाभानुभोगी

दिल्ली, कानपुर, मद्रास तथा जबलपुर, में स्थित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी चार अध्यापन एवं मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा उनके चालू होने से लेकर दिसम्बर, 1977 तक किए गए कार्य के बारे में आंकड़ों का सारांश

प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा	लाभानभोगियों की संख्या			
	जबलपुर	दिल्ली	मद्रास	कानपुर
1. पंजीकरन के समय प्रदान किया गया मार्गदर्शन . .	10,590	83,087	16,410	19,947
2. साक्षात्कार से पहले प्रदान किया गया मार्गदर्शन	11959	10514	12395	12596
3. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हे आजीविका कार्य अवसरों से संबंधित सूचना प्रदान की गई ।	8245	12170	16156	18188
4. माता पिता को प्रदान किया गया परामर्श	124	480	238	98
5. उन व्यक्तियों की संख्या जिन्ह रोजगार पाने मे सहायता दी गई ।	744	2412	2726	1213

प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा	लाभानुभोगियों की संख्या			
6. ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने विभिन्न व्यवसायों में कार्य के अवसरों से संबंधित विशेषज्ञों के भाषणों में भाग लिया ।	6,341	6,709	3,502	3,179

आरंभ होने के समय से वर्ष-वार व्यय के लिए मंजूर की गई राशि

(हजार रुपयों में)

वर्ष	दिल्ली रु०	मद्रास रु०	जबलपुर रु०	कानपुर रु०	योग रु०
1970–71 .	75	43	43	43	204
1971–72 .	63	54	43	48	208
1972–73 .	60	45	44	51	200
1973–74 .	61	47	51	57	216
1974–75 .	45	55	50	55	205
1975–76 .	68	67	64	72	271
1976–77 .	62	70	70	80	282
1977–78 .	64	69	71	86	290

पोर्ट ब्लेयर को भेजी जाने वाली तथा वहां से आने वाली तारें

9111. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छह महीनों के दौरान पोर्ट ब्लेयर को भेजी जाने वाली तथा वहां से आने वाली तारें विमान डाक से भेजी गई थीं, यदि इसका उत्तर हां में है तो उसका ब्यौरा तथा क्या कारण हैं ; और

(ख) यदि तारें विमान डाक से भेजी गई थीं तो क्या सरकार का विचार सम्बन्धित व्यक्तियों को तार सम्बन्धी शुल्क वापिस करने का है ?

5—147 LSS/ND/78

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पोर्ट ब्लेयर से और पोर्ट ब्लेयर के लिए हवाई डाक से भेजे गए तारों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	पोर्ट ब्लेयर के लिए		पोर्ट ब्लेयर से	
	कितनी बार	तारों की संख्या	कितनी बार	तारों की संख्या
अक्तूबर, 77 . .	3	433	2	715
नवम्बर, 77 . . .	4	353	3	1,138
दिसम्बर, 77 . .	3	394	2	547
जनवरी, 78 . . .	3	356	3	1,534
फरवरी, 78 . . .	7	1,209	5	1,638
मार्च, 78 . . .	3	223	1	150

अधिकतर रेडियो चैनलों में वातावरण संबंधी व्यवधान हो जाने के कारण इतनी बार तारों का निपटारा हवाई डाक से करने की आवश्यकता पड़ी थी ।

(ख) भारतीय तार नियमावली के अनुसार यदि कोई तुरंत तार 24 घंटे और साधारण तार 48 घंटे बाद गंतव्य स्थान पहुंचा हो और वह तार डाक से भेजा गया हो तो ऐसे तार के लिए प्रेषक को पचास पैसे कम कर के तार का शुल्क वापस कर दिया जाता है । तार पाने वाले के पास तार के साथ डाक-तार सेवा कार्ड पर रकम वापसी का प्रामाणिपत्र भेजा जाता है । किन्तु यदि प्रेषक को प्रत्याशित विलम्ब की सूचना पहले ही दे दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की रकम वापसी का नियम लागू नहीं होता है ।

जी० बी० पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में नर्सिंग प्रशिक्षण आरंभ करना

9112. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से जी० बी० पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में नर्सिंग तथा कम्पाउन्डर प्रशिक्षण आरंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में नर्सिंग और पराचिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का एक प्रस्ताव संघ शासित क्षेत्र की वार्षिक योजना 1978-79 के एक भाग के रूप में मिल चुका है और उसकी जांच की जा रही है । अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में फार्मासिस्टों का प्रशिक्षण शुरू करने का कोई विचार नहीं है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह म टेलीफोन सेवा में सुधार करना

9113. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में टेलीफोन सेवा की स्थिति बिगड़ने की सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या पोर्ट ब्लेयर को संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय होने की वजह से वहां सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सेवा आरंभ करने का सरकार का विचार है ; और यदि नहीं, तो क्यों?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं । अन्दमान और निकोबार द्वीपों की टेलीफोन सेवाओं में ह्रास नहीं आया है ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा चालू करने के बारे में तभी विचार किया जा सकेगा जब भारतीय डोमेस्टिक सेटेलाइट प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जायेगा । इस समय एच० एफ० रेडियो ही माध्यम है और यह पर्याप्त संख्या में भरोसे के चेनलों की व्यवस्था नहीं कर सकता ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा लौह-अयस्क की खरीद

9114. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र रांगड़ा रेलवे स्टेशन से बढ़े हुए मूल्य पर लौह-अयस्क खरीद रहा है, और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं जबकि भाड़े आदि में कोई वृद्धि नहीं हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत प्राप्त किए और रांगड़ा रेलवे स्टेशन से प्रेषित किए गए लौह-अयस्क का चालू वित्त-वर्ष में रेल तक निष्प्रभार मूल्य 37 रुपए प्रति टन है जो पिछले वर्ष के मूल्य से 2.07 रुपए प्रति टन अधिक है । मूल्य में वृद्धि पैट्रोल, तेल और चिकनाइयों, विस्फोटक के मूल्यों तथा परिवहन खर्च श्रम-लागत आदि में वृद्धि होने के कारण हुई है ।

Setting up of an Automatic Telephone Exchange in Gondal City, Gujarat

†9115. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Gondal Chamber of Commerce and others have sent memoranda for setting up of an automatic telephone exchange in Gondal city, District Rajkot, Gujarat;

(b) the time by which an automatic telephone exchange will start functioning there in Gondal city and the programme therefor;

(c) whether any land has also been acquired for the purpose and if so, when and the acreage of land acquired and what use is being made of this land now;

(d) the telephone call capacity of the present telephone exchange in Gondal, the number of telephone connections provided there, the number of applications for telephone connections pending as on 31-3-78 and the reasons for the pendency; and

(e) the time by which connections will be granted to the persons whose applications are pending and the date since when the oldest application among them is pending?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) No such memorandum appears to have been received recently.

(b) Due to limited supply of automatic exchange equipment there is no proposal for setting up of an automatic exchange at Gondal immediately.

(c) Efforts are being made to procure land for an automatic exchange. The existing plot of 2112 square yards area is not sufficient, and is proposed to be used for staff quarters.

(d) The present Gondal exchange has 840 lines equipped capacity with 820 working connections and waiting list for 19 connections as on 31-3-1978. These connections will be provided on expansion of exchange capacity for which a scheme for expasion to 960 lines during 1978-79 is being processed.

(e) The oldest pending demand for a long distance connection beyond the local area of the exchange is since 10-12-1975 and for local connection since 2-3-1978. These connections are expected to be provided on expansion of exchange capacity after sanction of expansion scheme being processed for 1978-79.

Constitution of Hindi Advisory Committee

†9116. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Hindi Advisory Committee has been constituted in his Ministry; and

(b) if so, the names of the members thereof and the number and names, among them, of those nominated on the recommendation of the official Languages Department?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) and (b): No, Sir. There is no full-fledged Hindi Advisory Committee in this Ministry but a Sub-Committee of the Kendriya Hindi Samiti has been set up in consultation with the Department of Official Language and Shri Ganga Saran Sinha and Dr. Malik Mohammad are the two-non-official members.

Opening of Telephone Exchanges

†9117. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of telephone exchanges opened during the last three years and the number of persons provided employment therein with break-up of Scheduled Caste and Scheduled Tribe appointees;

(b) whether Government have provided telephone lines in the rural areas as well and if so, the names of such State;

(c) if not, when this is likely to be done; and

(d) the necessary conditions laid down for giving telephone connections and the reasons therefor?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) 1333 telephone exchanges have been opened during the last three years.

The information regarding the number of persons provided employment in these exchanges with break up of Scheduled Caste and Scheduled Tribe is not available. However, the total increase in staff in the department as a whole during 3 years ending 76-77 was 60924. 28.1% of this increase was from Scheduled Castes and 3.4% from Scheduled Tribes.

(b) & (c): Both small automatic exchanges and long distance public telephone call offices have been provided in a number of rural areas in all the States.

(d) Telephone exchanges are provided on the basis of financial viability. Long distance public call offices are provided even on loss subject to certain conditions as given in the annexure. The conditions have been laid down taking into account the need to provide telecommunication facility as an item of infrastructure for the development of rural, backward and hilly areas and the financial and material resources available.

Statement

Policy of provision of PCOs & COs on Loss

Categories of Stations

(1) District Headquarters.

(2) Sub Divisional Headquarters.

(3) Tehsil Headquarters.

(4) Sub Tehsil Headquarters.

(5) Block Headquarters.

(6) Places with a population of 5000 or more in ordinary areas. (2,500 or more in backward or hilly areas).

Condition for provision of Public Call Offices	Condition for provision of Combined Offices.
Will be provided progressively irrespective of loss and without any conditions of minimum revenue.	Will be provided progressively irrespectively of loss and without any conditions of minimum revenue.

(7) Places with Police Stations under the charge of an officer of the rank of a Sub-Inspector of Police or above.

Condition or provision of Public Call Offices	Condition for provision of Combined Offices
The anticipated revenue should be at least 25% of the ARE (Annual Recurring Expenditure) in ordinary areas, and 15% of ARE in backward areas, and 10% of ARE in hilly areas.	The anticipated revenues should be at least 25% of the ARE (Annual Recurring Expenditure) in ordinary areas, and 15% of ARE in backward areas and 10% of ARE in hilly areas.

Statement—Contd.

(8) Out of the way places.

Condition for provision of Public Call Offices	Condition for provision of Combined Offices
(a) Should be beyond 40 k.ms. (radial distance) from an existing exchange.	(a) Should be beyond 20 K.Ms. (radial distance) from an existing Telegraph Office.
(b) The anticipated revenue should be at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas, and 10% ARE in hilly areas.	(b) The anticipated revenue should be at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas, and 10% of ARE in hilly areas.
	(c) The anticipated loss should not exceed Rs. 2,000 p.a. in ordinary areas and Rs. 5,000 p.a. in backward areas.

(9) Tourist/pilgrimage centres/agricultural/irrigation/power project sites/townships.

Condition for provision of Public Call Offices.	Condition for provision of Combined Offices.
(a) The anticipated revenue should be at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas and 10% of ARE in hilly areas.	(a) The anticipated revenue should be at least 25% of ARE in ordinary areas, 15% of ARE in backward areas and 10% of ARE in hilly areas.
	(b) The anticipated loss should not exceed Rs. 2,000 p.a. in ordinary areas and Rs. 5,000 p.a. in backward/hilly areas.

(10) All other Stations.

Condition for provison of Public Call Offices	Condition for provision of Combined Offices
On the basis of financial viability or on rent and guarantee terms in case of loss	On the basis of financial viability or on rent and guarantee terms in case of loss.

Note: (1) For considering the population figures, the population of the town or village alone should be taken into account and not that of a group of towns or villages.

(2) No telegraph Office should be opened on loss if another telegraph office is already working within 8 k.ms. of the proposed office.

उड़ीसा दूरसंचार सकिल में कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर न होना

8118. **श्री राम चन्द्र मलिक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा दूरसंचार सर्किल में दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 को ऐसे कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या थी जिनके लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं थे तथा क्लारिकल, जूनियर इंजीनियर और क्लर्कों के सलेक्शन ग्रेड में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उनका ऐसे कर्मचारियों को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श करके क्या मुआवजा देने का विचार है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) कुल 14 (चौदह)। क्लर्कों और जूनियर इंजीनियरों में से एक-एक और सिलेक्शन ग्रेड क्लर्कों में दो हैं।

ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बेलाडिला लौह अयस्क खानों के श्रमिकों में असंतोष

9119. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां हाल ही में सैकड़ों श्रमिकों की मृत्यु हुई ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस मामले में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और ऐसा असन्तोष दूर करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाये गये ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना में खनन और ढुलाई के लिए ठेकों के 1978-79 के दौरान भिन्न भिन्न तारीखों पर पूरा होने की आशा है। ठेकेदारों के कर्मचारियों को छंटनी का भय था और वे वैकल्पिक रोजगार की मांग कर रहे थे क्योंकि जापान लोह अयस्क के निर्यात में कमी के कारण इन ठेकों के नवीकरण किए जाने की आशा नहीं है। 31-3-1978 को अपने ठेके के समाप्त हो जाने पर इनमें से एक ठेकेदार, मैसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी, ने 1375 कर्मचारियों की छटनी की थी जिनमें से 1327 ने अपने छंटनी लाभ प्राप्त कर लिए थे और 1 तथा 3 अप्रैल, 1978 के बीच चले गये थे। छंटनी के कारण हुई कर्मचारियों की मृत्यु के संबंध में, इस्पात और खान मंत्री एक ध्यानाकर्षण नोटिस के उत्तर में 11-4-1978 को लोक सभा में एक बयान पहले ही दे चुके हैं।

(ग) और (घ) : मैसर्स अशोक माइनिंग कम्पनी के कर्मचारियों ने सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), रायपुर के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया परन्तु संराधन के माध्यम से समझौता करवाने के संबंध में उक्त आयुक्त के प्रयास असफल रहे।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा कनोई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को लोहा स्कल-स्क्रैप की बिक्री

9120. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 2 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1391 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा कनोई इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता को 11 फरवरी, 1978 को पत्र जारी किये जाने के बाद, करार की शर्तों के अनुसार उनसे समूचे 30,000 मीटरी टन लोहा स्कल तथा स्क्रैप की कुल वसूली के मामले में और आगे कोई प्रगति हुई है;

(ख) करार के अनुसार कितने मूल्य की सामग्री अभी तक वसूली नहीं की गई है, उस पर कितना हर्जाना लगाया जायेगा और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उक्त कम्पनी के विरुद्ध कुल कितने दावे हैं तथा तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) दुर्गापूर इस्पात संयंत्र के समूची देय राशि की वसूली के लिए अधिकारियों द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) से (ग) । जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली टेलीफोन्स में कार्यदक्षता और तुरन्त सेवा का मूल्यांकन

9121. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने गत 9 महीनों में दिल्ली में जनता को सन्तुष्ट करते हुए टेलीफोन विभाग की कार्य दक्षता, तुरन्त सेवा और नियमित रुप से बिल भेजने के संबंध में कोई सामान्य मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरिप्रसाद साय) : (क) और (ख) : (i) जी हां । दिल्ली टेलीफोन के पर्यवेक्षादल द्वारा कार्य कुशलता का सामान्य मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है । यह विशेष दल दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के प्रत्येक एक्सचेंज से हर महीने स्थानीयकालें और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग कालें कर कार्यकुशलता का परीक्षण करता है । जब खामियें का पता चलता है तो उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

(ii) विभिन्न विशेष सेवाओं पर परीक्षण कालें की जाती हैं और उनसे जवाब मिलने का समय नोट किया जाता है । जब भी ऐसा अनुभव होता है कि जवाब मिलने में विलंब हुआ है, तो संबंधित अधिकारियों और पर्यवेक्षण कर्मचारियों को सूचित किया जाता है जो सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं ।

(iii) शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है । बाहरी संयंत्र की खराबियां उन्हें दर्ज कराने के 25 मिनट के भीतर लाइन स्टाफ को सौंप दी जाती हैं । 90% खराबियां 4 घंटे के भीतर ठीक कर दी जाती हैं ।

(iv) दिल्ली में टेलीफोन बिल कंप्यूटरों की सहायता से तैयार किए जाते थे । कंप्यूटर समय पर्याप्त न उपलब्ध होने के कारण बिलों को जारी करने में लगभग तीन महीने का विलंब हुआ है। टेलीफोन बिल तैयार करने के लिए अब एक अन्य कंप्यूटर एजेंसी के साथ वैकल्पिक प्रबंध किया गया है । आशा है कि अब बिल तैयार करने में विलंब कम हो जाएगा और कुछ महीनों में बिल तैयार करने का काम अद्यतन हो जाएगा ।

दिल्ली में टेलीफोन का कनेक्शन काट दिये जाने और टेलीफोन बिल न मिलने के बारे में शिकायतें

9122. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) गत एक वर्ष में दिल्ली के टेलीफोन कनेक्शन काट दिये जाने और टेलीफोन बिल न मिलने की एक्सचेंज-वार कितनी शिकायतें महीनेवार, प्राप्त हुई हैं ;

(ख) कितने मामलों की जांच की गई है और जनता को कठिनाइयों में डालने के लिए कितने व्यक्तियों (कर्मचारियों) को जिम्मेदार ठहराया गया है ; और

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में किन प्रस्ता ों पर विचार किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) दिल्ली में पिछले एक वर्ष के दौरान (4/77 से 3/78 तक) टेलीफोन के बिलों की अदायगी न करने और बिल न मिलने के कारण टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाने के संबंध में प्रतिमास और एक्सचेंज वार प्राप्त शिकायतों की संख्या अनुबन्ध में दे दी गई है।

(ख) ऐसी शिकायतों के सभी मामलों की छान बीन की जाती है। बिलों की अदायगी न करने के विरुद्ध शिकायतों के मामलों में जो अधिकांशत: जबानी की जाती हैं और जो टेलीफोन बिलों का भुगतान करने के लिए टेलीफोन से याद दिहानी कराए जाने पर की जाती है, टेलीफोन के बिलों की अनुलिपियां स्वागत कक्ष में सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है। टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाने के विरुद्ध की गई शिकायतों के मामलों में भी, सभी मामलों की छानबीन की जाती है और जहां कनेक्शन काट दिए जाने के बारे में कर्मचारियों की कोई गलती पाई जाती है और उनकी लापरवाही साबित हो जाती है, वहां कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है और दोषी कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। पुनरीक्षाधीन इस वर्ष के दौरान सात कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

(ग) वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत, टेलीफोन के बिल उपभोक्ताओं के नाम साधारण डाक से भेजे जाते हैं। दिल्ली में टेलीफोन बिलों की अदायगी न होने के संबंध में उपभोक्ताओं को टेलीफोन से दो बार याद दिहानी कराई जाती है और पहली बार याद दिलाने की तारीख से लगभग एक सप्ताह तक का अतिरिक्त समय उपभोक्ताओं को टेलीफोन के बिलों का भुगतान करने के लिए दिया जाता है। टेलीफोन पर याद दिलाने के बाद भी जब निर्धारित अवधि के भीतर बिलों का भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तब टेलीफोन कनेक्शन काट लिए जाते हैं। उपभोक्ता यदि चाहें तो उनसे प्रत्येक रजिस्ट्री नोटिस के लिए एक रुपया शुल्क लेकर उन्हें रजिस्ट्री नोटिस के जरिए याद दिहानी भी कराई जाती है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2241/78]

उड़ीसा में ग्रामों को टेलीफोन कनेक्शन

9123. श्री डी० अमात: क्या संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) उडीसा राज्य में ऐसे ग्रामों की संख्या कितनी है जहां तार और टेलिफोन की सुविधाएं उपलब्ध है; और

(ख) ऐसे ग्रामों के नाम क्या है जिनमे चालु वर्ष में से सुविधाएं प्रदान करने का विचार है?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय):

(क) उडीसा के जिन गावों में तार और टेलीफोन की सुविधा है उनकी संख्या तारीख 31-3-1978 को क्रमश: 672 और 419 थी।

(ख) 86 स्थानों की एक सूची संलग्न है जहां घाटा उठा कर भी दूरसंचार सुविधाएं देने की स्वीकृती दे दी गई है इनमे से 40 स्थानों में वर्ष 78-79 के दौरान यह सुविधा दने का प्रस्ताव है।

विवरण

उड़ीसा सर्किल के उन गांवों के नाम जहां तार और टेलीफोन सुविधाएं देने का प्रस्ताव है बशर्ते कि लाइन स्टोर्स उपलब्ध हों ।

1. मुजगड्डा
2. कल्याणसिंहपुर
3. सारसकाना
4. कछकुन्डा
5. मदनपुरर-रामपुर
6. मैथिली
7. कानपूर
8. बोदेन
9. लथोकटा
10. बालोसंकारा
11. कोयरा
12. कखारा
13. सारथा
14. जमनकोरा
15. लमटापुट
16. चांदवाआश्रम
17. मछडोहा
18. अनंतपूर
19. पौडिया
20. कलोमेला
21. मोटेर
22. चंद्रपुर
23. चादाहुंडो
24. तैतुलो खुंटो (के० पो० टो०)
25. कोरकुंडा
26. कारलमुंडा
27. विसवतपूर
28. नगोडा
29. गुम्मा
30. मोहना
31. उलुंडा
32. नकटोइल
33. कोमना
34. कोलापुर
35. थोमल-रामपुर
36. कांटामल
37. गोसानो
38. कौसाला
39. केसादुरपाल
40. छरबाहल
41. बंगौरे
42. तुकिया
43. पांचुपला
44. किरलोगा
45. डुडुक्का
46. नदोगांव
47. घूसुरो
48. निहालप्रसाद
49. घुम्बाटा
50. जिराल
51. तिल्लो
52. लखाना
53. बड़ागांव
54. कांटियो कटनी
55. भारियाबाद
56. जगन्नाथपुर
57. काटियापुट्टासाहो
58. दर्रालिपालो
59. चतुरहाडो
60. महोदारपूर
61. फौरोगुमा
62. चन्द्रशखर प्रसाद
63. रसोल
64. काटोपल
65. जाजंगा
66. कांगों
67. कराडा
68. सुखा
69. बतसाना
70. दुदेरकोट्टे
71. हाथोबेड़ा
72. मेंडा
73. नौकोट्टे
74. मंगलपुर
75. अतिगान
76. बुढ़डैपाका
77. खुबुरी
78. भुसा
79. रेडोहो
80. गोटमारे
81. बालोगाव
82. बारहेपुर
83. पिगवा
84. टुबे
85. जयपुर
86. अंगालो

डाकघर तथा आर०एम०एस० लेखाकारों के वेतनमान

9124. **श्री आर० के० महालगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग में डाकघर तथा आर० एम० एस० लेखाकारों के वेतनमान का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) क्या अब इस मामले में फैसला हो गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) यदि अब तक नहीं हुआ है, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : यह प्रस्ताव पिछले कुछ वर्षों से विचाराधीन रहा है । तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अलग से किसी वेतनमान का सुझाव नहीं दिया था बल्कि आयोग ने विशेष वेतन की दरों में संशोधन करने की सिफारिश की थी । तदनुसार विशेष वेतन बढ़ाकर क्रमशः 25 रुपये (सहायक लेखाकार) और 35 रुपये (लेखाकार) से 35 रुपये और 45 रुपये कर दिया गया था । अलग से किसी वेतनमान की मंजूरी के प्रश्न का सम्बन्ध तारीख 1- 4- 76 से है। है जबकि डाक संबंधी लेखा का विभागीकरण किया गया था । समस्या के इस पहलू की गुणवत्ता के आधार पर जांच की जा रही है और आशा है कि उस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा ।

Indo-Nepal Border Pillars

†9125. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the amount allocated by the Central Government for repairs of the Indo-Nepal border pillars and the name of the agency through which this amount will be spent?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : To meet the requirements of the three State Governments, namely, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, through whose agencies the work of repairing the Indo-Nepal border pillars is being carried out, the amount allocated by the Ministry of External Affairs for this work in the year 1977-78 was Rs. 54,09,000. Their requirements for the current financial year 1978-79 are awaited.

Eradication of Diseases

9126. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the names of villages, District-wise, in Bihar in respect of the inhabitants of which the Indian Medical Council undertook a programme for eradication of diseases; and

(b) the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The Medical Council of India a statutory body established under an Act of Parliament, is responsible for the maintenance of standards of Medical Education in the country. It did not undertake any programme of eradication of diseases in Bihar.

(b) Does not arise.

Mica Mines

9127. **Shri Surendra Jha Suman:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the total number of mica mines in the country and the quantum of production thereof during the years 1975, 1976 and 1977;

(b) the ratio of the mica mines in Bihar and the production thereof to the total number of mica mines and the production thereof in the country during the last three years;

(c) whether it is a fact that most of mica in Bihar is being wasted as a result of unscientific mining; and

(d) if so, the steps being taken by the Government for its proper mining so as to check the wastage?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) & (b): The required information is given in the statement attached.

(c) No, Sir. However, during inspections by the Indian Bureau of Mines, 36 cases of unscientific mining and violation of Mineral Conservation and Development Rules, have been noticed.

(d) Prosecutions have been launched and the cases are pending in Court.

Statement

Year	No. of reporting Mica Mines			Production of Crude mica (in tonnes)		
	All India	Bihar	Percentage of Bihar to All India	All India	Bihar	Percentage of Bihar to All India
1975	387	214	55%	11,501	6,191	54%
1976	332	184	55%	9,485	5,791	61%
1977	292	177	61%	9,149	5,511	60%

Source : Indian Bureau of Mines.

House Rent Allowance to P & T. Employees

†9128. **Shri Motibhai R. Chaudhari:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the criteria adopted for the payment of house rent allowance to the employees of the Post and Telegraphs Department;

(b) the cities in Gujarat where the house rent allowance is to be paid to the Posts and Telegraphs employees; and

(c) the places from where demands for the same have been received?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) As adopted by the Central Government i.e. minimum population requirement of 50,000 at the time of 1971 Census.

(b) Classified stations declared by the Government from time to time.

(c) Palanpur and Amreli.

महाराष्ट्र में दैनिक डाक वितरण की सुविधा वाले गांव

9129. **श्री आर० के० महालगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सभी गांव दैनिक डाक वितरण योजना के अन्तर्गत आ गये हैं ;

(ख) दैनिक डाक वितरण योजना का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वतंत्र "ग्राम पंचायत" वाले अनेक गावों में डाकघर नहीं है; यदि हां; तो उनकी संख्या क्या है ; और

(घ) इन गांवों में डाकघरों के कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं । महाराष्ट्र, राज्य में दैनिक वितरण योजना के अंतर्गत तारीख 31-3-78 की स्थिति के अनुसार 35,778 गांवों में से 35,635 गांव आते हैं । शेष गांवों में एक दिन से अधिक के अंतर से डाक वितरित की जाती है ।

(ख) दैनिक वितरण योजना के अधीन वितरण डाकघर में जिस दिन डाक मिलती है उसी दिन उसे विशेष वितरण डाकघर के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बस्तियों/इलाकों में वितरण के लिए भेज दिया जाता है ।

(ग) और (घ) : महाराष्ट्र राज्य में ग्राम पंचायत वाले 14,775 गांवों में स्वतंत्र डाकघर नहीं हैं ।

इस राज्य में 8,252 ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर हैं और 1,702 ग्राम पंचायत वाले गांवों में चलते-फिरते डाकघरों के जरिए डाक काउंटर सुविधा दे दी गई है ।

ऐसा प्रस्ताव है कि ग्राम पंचायत वाले बाकी गांवों में विभिन्न चरणों में डाकघरों की व्यवस्था कर दी जाए बशर्ते कि वे निर्धारित मानदंड पूरे करते हों ।

वर्ष 1971 म पाकिस्तान को शत्रु-देश घोषित किया जाना

9130. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान को शत्रु-देश घोषित किया गया था ; और यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(ख) क्या दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान ने भारत की सीमा में अतिक्रमण किया था और यदि हां, तो यह बाह्य अतिक्रमण कब खाली किया गया था ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) : सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तान ने की थी । चूंकि बाहरी आक्रमण के कारण भारतीय सुरक्षा खतरे में पड़ गयी थी इसीलिए उसी दिन राष्ट्रपति की घोषणा द्वारा आपातकालीन स्थिति का एलान कर दिया गया था । 17 दिसम्बर, 1971 को युद्धविराम हो गया । दोनों देशों के बीच 2 जुलाई, 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे । 20 दिसम्बर, 1972 को दोनों ओर की सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हटाने का कार्य पूरा हो गया था ।

Export of Pig Iron to China

9131. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pig iron has recently been exported to Peoples' Republic of China; and

(b) the value of pig iron, in Indian currency, exported to China?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) Yes, Sir.

(b) It will not be in the commercial interest of the country to disclose the information.

भूटान राज्य की दक्षिणी सीमा

9132. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूटान राज्य की दक्षिणी सीमा के बारे में कुछ विवाद है और गत कुछ वर्षों से दोनों पक्ष के अधिकारियों के बीच बातचीत की गई है ;

(ख) विवाद के क्षेत्र कौन-कौन से हैं ; और

(ग) क्या विवाद का समाधान हो गया है और दोनों देशों की संतुष्टि के अनुरूप सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) भारत और भूटान की शाही सरकार के बीच भूटान की दक्षिणी सीमा के बारे में कोई विवाद नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत और भूटान के बीच की दक्षिणी सीमा के सीमांकन से दोनों देश संतुष्ट हैं ।

टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

9133. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान सरकारी प्रयोक्ताओं और गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं की ओर टेलीफोन बिलों की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) कुल कितने प्रयोक्ताओं की ओर राशि बकाया है तथा कितने मामलों में टेलीफोन काट दिए गए हैं ;

(ग) उन 10 बड़े प्रयोक्ताओं के नाम क्या हैं जिनकी ओर अधिकतम राशि बकाया है (कृपया नाम और पते भी दें) ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्रवाई की है कि बकाया राशि का भुगतान समय पर किया जाए ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) । यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

टेलीफोन बिलों का जारी न करना और अधिक राशि के बिल बनाना

9134. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976-77 में प्रयोक्ताओं को हजारों टेलीफोन बिल नहीं दिए गए जिसके कारण लाखों रुपयों को हानि हुई ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1976-77 और 1977-78 में सरकार को अधिक राशि के टेलीफोन बिल बनाने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ; और

(घ) प्रयोक्ताओं को कितनी राशि वापिस की गयी अथवा समायोजित की गई ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) से (घ) : यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

गत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

9135. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी की गई ;

(ख) ये परियोजनाएं कब पूरी होनी थीं ;

(ग) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) प्रत्येक परियोजना की मूल लागत क्या थी और प्रत्येक परियोजना पर कितनी राशि खर्च कर दी गई है; और

(ङ) सरकार ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुखदेव साय) : (क) से (ङ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

परमाणु रहित क्षेत्र के बारे में तटवर्ती देशों के साथ वार्ता

9136. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के साथ दक्षिण एशिया में स्थिति पर, विशेषकर इस क्षेत्र में परमाणु रहित क्षेत्र के लिये, हाल ही में विचार-विमर्श किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) : हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के नेताओं के साथ हुई बातचीत में हिन्द महासागर की शांति-क्षेत्र के रूप में घोषणा के शीघ्र क्रियान्वयन का प्रश्न हमेशा एक महत्वपूर्ण मसला रहा है । जब इस क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को विकसित और सुदृढ़ करने की सरकार की नीति को स्पष्ट करने का अवसर मिलता है तो उस विचार-विमर्श में दक्षिण एशिया की स्थिति का उल्लेख किया जाता है ।

पाकिस्तान सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार श्री आगा शाही को हाल की यात्रा के दौरान हमने यह कहा था कि दक्षिण एशिया के देशों को इस आशय की संयुक्त घोषणा करनी चाहिए कि वे नाभिकीय अस्त्र बनाने के लिए नाभिकीय उर्जा का प्रयोग नहीं करेंगे ।

आंध्र प्रदेश में डाक सुविधाओं से वंचित ग्राम

9137. **श्री जी० एम० रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोई ऐसे ग्राम हैं जिनमें डाक सुविधाएं नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उनमें डाक सुविधाएं कब तक उपलब्ध होने की संभावनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) : आंध्र प्रदेश में जनगणना के अनुसार सभी 27,221 गांवों में दैनिक डाक वितरण सुविधा दे दी गई है । बसे हुए 16,543 गांवों में स्वतंत्र डाकघर हैं या चलते-फिरते डाकघरों के जरिए वहां डाक काउंटर सुविधा उपलब्ध है ।

Post Offices in Uttar Pradesh

†9138. **Shri Ganga Bhakt Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the district-wise number of post-offices, sub-post offices and branch post offices in Uttar Pradesh at present; and

(b) the number of post offices, sub-post-offices and branch post offices proposed to be opened in 1978-79?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) and (b) : The information is given in the enclosed statement.

Statement

Name of the Districts	Post offices existing on 31-3-78			Tentative Target for opening of Branch Offices during 77-78
	H.P.O.	Sub-Offices	Branch Offices	Branch Offices
Agra	2	102	257	4
Allahabad	1	113	320	4
Aligarh	1	76	365	4
Azamgar	2	66	423	4
Almora	2	47	289	17
Barabanki	1	38	210	4
Bijnor	1	38	192	6
Bareilly	1	57	172	4
Budaun	1	25	242	4
Bulandshahr	1	50	272	4
Ballia	1	48	244	4
Bahraich	1	27	268	39
Banda	1	22	198	4
Basti	1	46	396	65
Chamoli	1	36	197	16
Dehradun	1	61	92	30
Deoria	1	48	369	4
Etah	1	28	236	4
Etwah	1	38	228	4
Fatehpur	1	27	157	3
Faizabad	2	64	423	80

Statement—*contd.*

Name of the Districts	Post Offices existing on 31-3-78			Tentative Target for opening of Branch Offices during 77-78
	H. P. O	Sub Offices	Branch Offices	Branch Offices
Fatehgar	1	57	202	4
Gorakhpur	1	67	420	10
Ghazipur	1	42	249	4
Gonda	1	42	324	39
Ghaziabad	1	50	142	4
Hamirpur	1	23	183	4
Hardoi	1	36	223	4
Jaunpur	1	48	301	4
Jhansi	1	31	143	4
Jalaun	1	23	169	4
Kanpur	2	108	258	4
Kheri	1	32	205	94
Lalitpur	Nil	12	125	4
Lucknow	2	107	39	3
Muzaffarnagar	1	41	219	4
Mainpuri	1	29	182	4
Mathura	1	52	167	4
Merrut	2	78	274	4
Mirzapur	1	37	204	12
Moradabad	1	57	229	3
Nainital	2	54	152	15
Pilibhit	1	14	95	5
Pratapgarh	1	41	231	4
Pauri	2	53	284	18
Pithoragarh	1	29	255	23
Rampur	1	20	70	3
Rai Barielly	1	45	307	4
Sahajahanpur	1	25	177	3
Saharanpur	2	77	194	4
Sultanpur	1	37	335	4
Sitapur	1	36	292	4
Tehri	1	17	166	26
Unnao	1	20	189	3
Uttar Kashi	..	10	61	25
Varanasi	1	105	278	4
Total	64	2,612	12,884	670

Sub Post Offices proposed in 1978-79. There are no specific targets. Sub-Post Offices are opened as and when found justified.

Head Post Offices proposed in 1978-79 .Aligarh Distt. 1 (at Hathras).
Uttar Kashi Distt. 1 (at Uttarkashi)
Varanasi Distt. 1 (at Kamachha).

Ayurvedic and Homoeopathic Dispensaries in Delhi

9139. **Shri Ganga Bhakt Singh:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether number of Ayurvedic and Homoeopathic dispensaries in Delhi are much less as compared to the number of Central Government Health Service dispensaries; and

(b) the number of new Central Government Health Service Ayurvedic and Homoeopathic dispensaries proposed to be opened in 1978-79 and the locations thereof?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) It is proposed to open four additional units each in Ayurveda and Homoeopathic systems of medicines under CGHS, Delhi during 1978-79. The location of these units has not yet been decided.

सिद्ध चिकित्सा पद्धति

9140. **श्री ए० मुरुगेसन :**
श्री आर० कोलनथाइवलु :
श्री पी० एस० रामलिंगम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिये निधियों का कितने प्रतिशत नियतन किया गया है ; और

(ख) इस तथ्य के बावजूद कि आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी के लिये नई योजनाएं आरंभ की गई हैं। सिद्ध चिकीत्सा पद्धति के लिये नई अनुसंधान परियोजनायें अथवा स्नातक केन्द्र न खोलने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय स्वीकृत हो जाने के बाद ही सिद्ध और अन्य पद्धतियों के अनुसंधान कार्य के लिये धन के आबंटन को अंतिम रूप दिया जायेगा। वैसे, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के अनुसंधान कार्य के उपयुक्त विकास के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की ओर पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा।

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद ने सिद्ध पद्धति के विकासार्थ निम्नलिखित संस्थान/परियोजनायें स्थापित की गई हैं :—

1. केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सिद्ध) मद्रास।
2. कैप्टन श्रीनिवासमूर्ति अनुसंधान संस्थान, मद्रास में औषधि मानकीकरण अनुसंधान एकक (सिद्ध)
3. साहित्य अनुसंधान एकक (सिद्ध) पलयामकोट्टै।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति का राजकीय महाविद्यालय, पलयामकोट्टै में औषधीय पादप सर्वेक्षण एकक।
5. साहित्य अनुसंधान एकक (सिद्ध) टी० एम० एस० एस० एम० लाइब्रेरी, थंजावर।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के ए० ए० राजकीय अस्पताल मद्रास में क्लीनिकी अनुसंधान एकक (सिद्ध)।

प्रशिक्षित कार्मिको और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखने के पश्चात् सिद्ध पद्धति की आवश्यक मांग को पूरा करने के लिये अनुसंधान परियोजनायें स्थापित की जाती हैं। यह अनुभव किया गया है कि सिद्ध पद्धति में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी होने के कारण यह परिषद विज्ञापनों के बावजूद अपने अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों में निदेशक/सहायक निदेशक और अनुसंधान अधिकारी के पद नहीं भर सकी। सिद्ध पद्धति में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार ने 1972-73 के दौरान भारतीय चिकित्सा पद्धति के राजकीय महाविद्यालय, पलयामकोटै में सिद्ध के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये दो विभागों का दर्जा बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सिद्ध पद्धति की शिक्षा का देश में यही एक महाविद्यालय है। अतः यह देखा जायेगा कि भारत सरकार अनुसंधान तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के क्षेत्रों में सिद्ध पद्धति के विकास के लिये अधिक से अधिक यथासम्भव सुविधायें प्रदान कर रही है।

सिद्ध प्रणाली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के औषधालय/अस्पताल

9141. **श्री ए० मुरुगेसन :**

श्री आर० कोलनथाइवलू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कितने औषधालय/अस्पताल खोले गये हैं और वे किन स्थानों पर हैं ; और

(ख) यदि ऐसा कोई औषधालय अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है तो उसे शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख): अभी तक सिद्ध चिकित्सा पद्धति का कोई भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय/अस्पताल नहीं खोला गया है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना मद्रास के अधीन इस पद्धति का एक औषधालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सिद्ध अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति

9142. **श्री ए० मुरुगेसन :**

श्री के० ए० राजू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विकास की देखभाल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ सिद्ध अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध) का कोई पद नहीं है। सिद्ध पद्धति के विकास संबंधी काम अनुसंधान अधिकारी (सिद्ध) देख रहा है।

वर्ष 1978 के लिये विशेष डाक टिकट

9143. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐतिहासिक घटनाओं और/अथवा महान व्यक्तियों की स्मृति में विशेष डाक टिकटें जारी करने के वर्ष 1978 के कार्यक्रम अथवा सूची में परिवर्तन किया है, उसमें और नाम जोड़े हैं अथवा उसमें संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो पूर्ण तथ्य क्या ह ;

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्ष 1979 की स्मारक डाक टिकटों के सम्बन्ध में इस प्रकार के नामों और निर्णायों पर कब चर्चा की जायेगी ौर निर्णय लिये जायेंगे ?]

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां । कुछ परिवर्तन किए गए हैं ।

(ख) कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है । जिन प्रस्तावों को बाद में जोड़ा गया है, उनका इससे उल्लेख कर दिया गया है ।

(ग) यदि बाद में प्राप्त हुए प्रस्ताव कार्यक्रम में शामिल करने के योग्य होते हैं तो कभी कभी पहले से घोषित कार्यक्रम में उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाता है ।

(घ) वर्ष 1979 के दौरान जारी किए जाने वाले डाक टिकटों का एक अस्थायी कार्यक्रम अगले कुछ महीनों में तैयार किया जाएगा ।]

विवरण

वर्ष 1978 के दौरान विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम

क्रम संख्या	डाक टिकटों के ब्यौरे	जारी करने की तारीख	डाक टिकटों की संख्या	मूल्यवर्ग (पैसों में)	
1	कांचनजुंगा पर विजय . .	15-1-78	2	25, 100	
2	प्रशांत क्षेत्र यात्रा मंस्था का 27 वां सम्मेलन	23-1-78	1	100	
3	तीसरा विश्व पुस्तक मेला .	11-2-78	1	100	
4	श्री मां पांडिचेरो . .	21-2-78	1	25	
5	गेहूं अनुसंधान . . .	23-2-78	1	25	
6	न्हाना लाल दलपतराम कवि . .	16-3-78	1	25	
7	सूर्यसेन . . .	22-3-78	1	25	
8	रुबेन्स . . .	4-4-78	1	200	
9	चार्ली चैपलिन् . . .	16-4-78	1	25	
10	श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय . .	23-6-78	1	25	
11	बेथून कालेज, कलकत्ता . .	4-9-78	1	25	बाद में जोड़े गए ।
12	ई० बी० रामस्वामी . .	17-9-78	1	25	
13	उदयशंकर . . .	26-9-78	1	25	
14	वलतोल नारायण मैनोन . .	16-10-78	1	25	
15	बालदिन . . .	14-11-78	1	25	
16	फ्रैंज शुबर्ट . . .	-11-78	1	25	बाद में जोड़े गए ।
17	रावेन्शा कालज . . .	1978	1	25	
18	दीनदयाल उपाध्याय . .	5-5-78	1	25	बाद में जोड़े गए ।

विवरण—जारी

क्रमसंख्या	डाकटिकटों के ब्यौरे	जारी करने की तारीख	डाक टिकटों की संख्या	मूल्यवर्ग (पैसों में)
	डाक टिकट माला			
1	आधुनिक भारतीय चित्रकला (समसामयिक कला की चौथी त्रैवार्षिकी के अवसर पर) . . .	23-3-78	4	25,50,100,200
2	भारत के संग्रहालय . .	-5-78	4	25,50,100,200
3	भारत के आदिवासी . .	—8—78	4	25,50,100,200
4	अजंता के भितिचित्र . .	—10-78	4	25 प्रत्येक

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

9144. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संसदीय कार्य त । श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975,1976, 1977 और 1978 में अब तक अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में कितने और किस प्रकार की बैठकों के सम्मेलन और विचार-विमर्श जनेवा और स्वीटजरलैंड में हुई; जिनमें सरकार की ओर से मंत्रियों या अधिकारियों ने भाग लिया ;

(ख) उक्त अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जनेवा में हुई बैठकों में भारतीय प्रतिनिधियों ने क्या ठोस प्रश्न उठाये ; सुझाव/प्रस्ताव दिये और क्या-क्या सफलता मिली; और

(ग) उनमें जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडलों के इन दौरों पर सरकार ने कुल कितना खर्च किया ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जनवरी, 1975 से अप्रैल, 1978 तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वावधान में जनेवा में विभिन्न निकायों की में 25 बैठकें हुई, जिनमें भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इन बैठकों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	बैठकों की संख्या
मेरीटाइम सत्र सहित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन	4
त्रिपक्षीय विश्व रोजगार सम्मेलन	1
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सत्र	7
औद्योगिक तथा सदृश्य समितियां	7
कोयला खान समिति (10 वां सत्र)	
बागान कार्य समिति (सातवां सत्र)	
भवन, सिविल इंजीनियरी और लोक निर्माण समिति (9 वां सत्र)	
धातु व्यापार समिति (10 वां सत्र)	

	बैठकों की संख्या
कपड़ा समिति (10वां सत्र)	
लोहा और इस्पात समिति (10 वां सत्र)	
रसायन उद्योग समिति (8 वां सत्र)	
अन्य बैठकें	6
प्रारम्भिक तकनीकी मेरीटाइम सम्मेलन, डाक तथा दूर संचार सेवाओं में काम तथा रोजगार के बारे में संयुक्त बैठक।	
सिविल विमानन त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक	
व्यावसायिक श्रमिकों के काम तथा रोजगार की दशाओं के बारे में त्रिपक्षीय बैठक	
सार्वजनिक सेवा के बारे में तकनोकी सम्मेलन	
कोयला खानों को छोड़कर अन्य खानों के बारे में त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक (तीसरी बैठक)।	
जोड़	25

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों में विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसी चिरकालसे स्थापित एजेंसियों के सम्मेलनों और बैठकों में खासकर भारत जैसे देश के लिए, जो संस्थापक सदस्य रहा है, किसी प्रकार के मूलतः नये अभिक्रमों या प्रस्ताओं की गुंजाईश सीमित है। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सरकारों का, श्रमिकों का तथा नियोजकों का एक-एक दल शामिल है। श्रमिकों और नियोजकों के दलों के सदस्य अपने देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि श्रमिकों तथा नियोजकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय शिष्ट मंडल के सरकारी प्रतिनिधियों का सामान्यतः यह प्रयास रहा है कि विकासशील देशों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाये तथा भारत के राष्ट्रीय हित की रक्षा की जाये।

वार्षिक सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय शिष्ट मंडल की रिपोर्ट संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) श्रम मंत्रालय द्वारा किया गया कुल खर्च लगभग 13 लाख रुपये था।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा

9145. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में प्रारम्भ की गई ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में अर्हता-प्राप्त कर्मचारी है और वह समुचित उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा और कर्मचारियों की अर्हताएं के मानदण्ड परिषद् ने उक्त सेवा की प्रक्रियाओं के मानदण्ड स्वीकार किए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो परिषद् ने कोई आपत्तियां अथवा आलोचना की हों, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत जिसे जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के नाम से जाना जाता है, अपने सामान्य अर्थ में किसी कर्मचारी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत 1,000 की आबादी वाला कोई समुदाय या गांव अपने स्वास्थ्य संबंधी रोग-रोधी, स्वास्थ्यसुधार और उपचार आवश्यकताओं को देखने के लिए अपने ही निवासियों में से एक व्यक्ति का पुरुष अथवा महिला-चयन करता है। जिस व्यक्ति का चयन किया जाना होता है वह छठी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त होना चाहिए और आयु में 30 वर्ष का होना चाहिए। वैसे, समुदाय ऐसे व्यक्ति का भी चयन कर सकता है जो अधिक योग्यता प्राप्त हो अथवा किसी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कार्य कर रहा हो। इस जन स्वास्थ्य रक्षक को तीन महीने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सुधार की बातें और छोटे-मोटे इलाज की प्रक्रियाएं सिखाई जाती हैं। प्रशिक्षण के बाद वह अपने मार्ग-दर्शन के लिए मैनुअल और दवाइयों का एक किट लेकर अपने गांव में वापिस चला जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उसे 200 रुपये मासिक शिक्षावृत्ति मिलती है, प्रशिक्षण के बाद उसे 50 रुपया मासिक मानदेय दिया जाता है। उसे 50 रुपये मासिक की दवाइयां भी दी जाती हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारी और अन्य पैरा-मेडिकल कर्मचारी जो इन्हें प्रशिक्षण देते हैं, इस प्रयोजन के लिए विधिवत् योग्यता प्राप्त होते हैं। ऐसे प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए डाक्टर का एक अतिरिक्त पद भी मंजूर कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : इस योजना के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् सरकार से सहमत है

(ड़) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय अनुसंधान परिषद में सहायक निदेशक (सिद्ध) का पद

9146. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :**

श्री के० ए० राजू :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधी और होमियोपैथी में अनुसंधान की कन्द्रीय परिषद् के मुख्यालय में सहायक निदेशक (सिद्ध) का स्वीकृत पद समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक (सिद्ध) का कोई पद नहीं है। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् में सहायक निदेशक (सिद्ध) का पद समाप्त नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया में पुनरीक्षण

9147. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया की पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महीने दर महीने बढ़ने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तयार करने की प्रक्रिया में संशोधन करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) किसी एक विशेष महीने में सूचकांक में वृद्धि उन मद्दों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि के कारण होती है जिन पर उस माह में सूचकांक संकलित करने के लिए विचार किया जाता है ।

Installation of post boxes in Saurashtra region

9348. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of the cities and villages in Vanthali, Manavadar, Kuliyana, Porbandar, Mangrol Taluks in Junagadh District, Dhoraji, Jamak Dorna, Upleta Taluks in Rajkot District and Jamjadhpur and Lalpur Taluks of Jamnagar District in Saurashtra region in Gujarat in which new Post Boxes have been installed during 1977-78 and the number of Post Boxes to be installed;

(b) the names of villages and cities in the Taluks and Districts referred to in part (a) above where new Post Boxes are proposed to be installed during 1978-79; and

(c) the number of applications pending as on the 31st March, 1978 for installing new Post Boxes in the villages and cities of the aforesaid Taluks and Districts and the reasons therefor and when new Post Boxes will be installed in those villages and cities?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) to (c): Thc information is given in the enclosed statement.

statement

Sl. No.	Distt.	Taluka	Places	New Post Boxes installed during 1977-78	No. of post Boxes proposed to be installed during 1978-79	No. of applications pending on 31-3-78 for installation of post Boxes
1	2	3	4	5	6	7
1	Junagadh .	Vanthali	Vanthali	Nil	Nil	Nil
		Manavadar	Manavadar	,,	,,	,,
		Kutiyana	Kutiyana	,,	,,	,,
		Porbandar	Porbandar	,,	,,	,,
		Mangrol	Mangrol	,,	,,	,,
2	Rajkot .	Dhcraji	Dhoraji	,,	,,	,,
		Jamkandorana	Jamkanodo-rana	,,	,,	,,
		Upleta	Upleta	,,	One cabinet of 32 P.B.'s	,,
	Jamnagar .	Jamjodhpur	Jamjodhpur	,,	Nil	,,
		Lalpur	Lalpur	,,	One cabinet of 32 P.B.'s	,,

हड़ताल की परिभाषा से सम्बन्धित कानून में परिवर्तन

9140. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हड़ताल और हड़ताल की सूचना की परिभाषा से सम्बन्धित वर्तमान कानून काफी परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : इस सम्पूर्ण मामले पर औद्योगिक संबंध विधेयक के समग्र संदर्भ में विचार किया जा रहा है ।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

9150. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** :
श्री वसन्त साठे :
श्री राजकेशर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था कर्मचारी संघ के महामंत्री ने राजघाट नई, दिल्ली पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल प्रारंभ की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के द्वारा उनकी मांगें पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था के एक गैर-मान्यता वाले कर्मचारी एसोसिएशन के एक छोटे ग्रुप की दिल्ली यूनिट के मंत्री ने 8 अप्रैल, 1978 से राजघाट में भूख-हड़ताल की थी, जो उन्होंने 13 अप्रैल, 1978 को समाप्त कर दी ।

(ख) इस गैर-मान्यता प्राप्त एसोसिएशन की मुख्य मांगें हैं :- (1) अर्द्ध कुशल तथा अकुशल आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि (2) भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था के उत्तरी क्षेत्र के लखनऊ स्थित उपमहानिदेशक कार्यालय के सहायक, श्री ए० अल्वांदन तथा लखनऊ स्थित इस गैर-मान्यता प्राप्त ग्रुप के महामंत्री के विरुद्ध निलम्बन आदेशों की वापसी (3) एक दिहाड़ी कर्मचारी को भर्ती को सहानुभूती के आधार पर नियमित करना

(ग) चूंकि यह एक गैर-मान्यता प्राप्त ग्रुप है इसलिए इसके प्रतिनिधियों से परामर्श करने का सवाल ही नहीं उठता । फिर भी, इन मांगों पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जा रहा है ।

Office and residential buildings for medical and pre-medical employees in rural areas

9151. **Shri Sukhendra Singh** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the arrangements for office and residential buildings for medical and pre-medical employees working in rural areas;

(b) the number of such buildings by the end of 1977 in Madhya Pradesh and the number of such buildings in other States; and

(c) whether such buildings have also been provided for Family Planning employees?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Assistance under Minimum Needs Programme, which is in the State Sector, is provided for construction of buildings in rural areas for :

(i) Primary Health Centres;

(ii) Residential accommodation for key personnel at the Primary Health Centres;

(iii) Bulidings for upgraded primary Health Centres into 30-beded hospitals;

(iv) Living and working accommodation for ANM at sub-centres. Similarly under Family Welfare Programme, which is a Centrally Sponsored Scheme, assistance is provided in rural areas for the following:

(i) Construction of building for rural F.W.P. Centres at Primary Health Centres;

(ii) Construction of building for residential accommodation for staff provided under F. W. Programme;

(iii) Conversion of labour room to operation theatres at 1000 selected Primary Health Centres;

(iv) Construction of six-beded sterilization ward and operation theatres at Taluk/Sub-Divisional level hospitals; and

(v) Primary Health Centre annexe for ANM trainees and staff.

(b) A statement showing detailed position in respect of buildings of Primary Health Centres and staff quarters as on 1st April, 1975 may kindly be seen at Annexure 'A' Targets during the Fifth Five Year Plan and achievements by March, 1978 may kindly be seen at Annexure 'B'.

(c) Yes.

[Placed in Library. See No. L.T. 224/78]

पुरुष तथा महिला खान श्रमिकों के औसत मूल वेतन में अन्तर

9152. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरुष तथा महिला खान श्रमिकों के औसत मूल वेतन में बहुत अन्तर है ;

(ख) क्या वेतन दरों में खानवार, तथा क्षेत्रवार बहुत असंगतियां हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन समरूप कार्य या समान स्वरूप के कार्य के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक दिया जाता है ।

(ख) और (ग) : खानों में कर्मचारियों के संबंध में मजदूरी-दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा निश्चित की जाती है या वे द्विपक्षीय समझौतों से निश्चित की जाती हैं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा निश्चित मजदूरी-दरें पूरे देश में एक समान हैं । कोयला खानों में द्विपक्षीय समझौतों से निश्चित मजदूरी-दरें भी पूरे देश में एक समान हैं ।

सरकार ने मजदूरी, आय और मूल्य नीति संबंधी एक अध्ययन दल का गठन किया है। अध्ययन दल से कहा गया है कि इसकी सिफारिशों को तैयार करते समय अन्य बातों के साथ-साथ वे इन पर भी विचार करें (i) न्यूनतम मजदूरी दर क्या होनी चाहिए, (ii) वे मानदण्ड क्या होने चाहिए जिनके सन्दर्भ में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित की जाय, और (iii) क्या संगठित क्षेत्र में विभिन्न नियोजकों और विभिन्न क्षेत्रों के बीच मजदूरी दरें एक समान होनी चाहिए या अलग-अलग होनी चाहिए।

स्टेनलस स्टील की चादरों का उत्पादन

9153. श्री अहमद एम० पटेल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्तन तथा अन्य वस्तुएं बनाने के लिए देश में स्टेनलैस स्टील की चादरों के उत्पादन के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या स्टेनलैस स्टील की चादरें आयात की जा रही हैं ;

(ग) गत वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चादरों का आयात किया गया, और वह किस एजेंसी के माध्यम से किया गया; और

(घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं में इसका वितरण किस प्रकार किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) गत पांच वर्षों में दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने का बेदाग इस्पात की चादरों का उत्पादन नीचे दिया गया है :--

वर्ष	(टन)
1973-74	3,525
1974-75	3,682
1975-76	4,314
1976-77	4,723
1977-78 (11 महीने)	2,827

32,000 टन बेदाग इस्पात की ठंडी बेलित चादरों और पत्तियों के उत्पादन के लिए सुविधाएं लगाने की सेलम इस्पात परियोजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक प्रारम्भिक कार्य तथा अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य पूर्ण हो गया है और ठंडी बेलन मिल का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है। आशा है वर्ष 1981 के अन्त तक उत्पादन होना आरम्भ हो जायगा।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1977-78 में माध्यम अभिकरण अर्थात खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लगभग 14,380 टन चादरों, प्लेटों और पत्तियों का आयात किया है।

(घ) वर्ष 1977-78 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अधिक पतली गेज की चादरों के लिए सीधी आबंटन योजना के अधीन वास्तविक उपयोक्ताओं के पंजीकरण के आधार पर माल दिया था और मोटी गेज की चादरें, प्लेटें और पत्तियों, लोहा और इस्पात नियंत्रक के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के बारे में उसके द्वारा दी गई स्वीकृति के आधार पर दी गई थीं।

विलम्ब से तार वितरित करने के बारे में शिकायत

9154. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलम्ब से तार वितरित करने के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976–77 और 1977–78 के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें की गई ; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख)	1976–77	3,533
	1977–78	4,243

(ग) शिकायतों में और कमी लाने के लिए नीचे लिखे कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) ट्रांजिट मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है और जब कभी लाइनों में गड़बड़ी पैदा हो जाने के कारण ज्यादा विलम्ब होने का अनुमान होता है तो ट्राफिक का निपटारा दूसरे मार्गों से किया जाता है ।

(2) ज्यादा से ज्यादा मार्गों पर कौएक्सिअल और माइक्रोवेव लिंकों जैसे ट्रांसमिशन के स्थायी माध्यम लागू किए जा रहे हैं ।

(3) जिन इलाकों म चोरी की घटनाएं ज्यादा होती हैं वहा तांबे के तारों को जगह धीरे-धीरे तांबा झले या अल्युमिनियम के तार लगाए जा रहे हैं ।

(4) ज्यादा से ज्यादा मार्गों पर वैकल्पिक चैनल बनाए जा रहे हैं ।

(5) ज्यादा से ज्यादा सीधे मार्ग खोले जा रहे हैं ।

गर्भ-निरोधक टीके का उत्पादन

9155. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :**

श्री पी० के० कोडियन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ-निरोधक टीके का उत्पादन करने के कार्य को धक्का पहुंचा है, जैसा कि समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उसके अब तक किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मं ी (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 12 अप्रैल, 1978 को इस संबंध में सही स्थिति बताते एक बयान जारी किया था । बयान की एक प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है ।

(ख) सभी अनुसंधान प्रयोगशालाओं और औषध कम्पनियों का यह एक आम अनुभव है कि जब एक बार किसी प्रयोगशाला में कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया जाता है तो उसे उत्पाद के रूप में तैयार करने, गुण नियंत्रण (क्वालिटी कंट्रोल) की व्यवस्था करने और परीक्षणों के विभिन्न चरणों

में उसके क्लिनीकी और सुरक्षा संबंधी परीक्षणों में लगभग 10 वर्ष लग जाते हैं। यह कार्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इसकी सम्बद्ध प्रयोगशालाओं में चल रहा है। अभी तक भारत तथा फिनलैंड, स्वीडन, चाइल और ब्राजील के चार अन्य केन्द्रों में प्रतिष्ठित क्लिनीकी वैज्ञानिकों की देखरेख में इसका प्रथम चरण अर्थात क्लिनीकी भेषजगुण संबंधी परीक्षणों का कार्य पूरा किया हुआ है। अन्तरराष्ट्रीय परीक्षणों में तालमेल रखने का काम जनसंख्या परिषद की अन्तरराष्ट्रीय गर्भ निरोधन अनुसंधान समिति, न्यूयार्क करती है । इन अन्वेषणों से पता चला है कि इस संबंध में कुछ-कुछ समय के बाद लगभग 56 विभिन्न पैरामीटरों के क्लिनिकी परीक्षण और प्रयोगशाला अन्वेषणों पर आधारित यह प्रक्रिया एक सुरक्षित प्रक्रिया है । मासिक धर्म समय पर आता रहा । डिम्बधरण में गड़बड़ी नहीं हुई जैसा कि रक्त हार्मोन प्रोफाइल सहित अनेक कसौटियों पर परख कर देखा गया। अन्य चयापचय रुधिर विज्ञान पैरामीटरो सहित गुर्दे, जिगर, एडोनल और थयराए क्रियाएं सामान्य रहीं । उच्च संवेदनशीलता अथवा आटो-एण्टिबाडीस के कोई लक्षण देखने में नहीं आए । प्रत्येक मामले में एण्टिबाडी की प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती रही ।

गर्भ रोकने में वैक्सीन की कारगरता बैबूनों में एक्टिव और पैसिव दोनो प्रकार के टीके लगाकर स्थापित की गई । इन अध्ययनों से यह भी मालूम हुआ है कि गर्भ रोकने के लिए एण्टिबाडीस के स्तरक तिपय सीमा से अधिक होने चाहिए । इस सीमा से कम स्तरों पर गर्भ ठहर सकते हैं । प्रत्येक व्यक्ति में एण्डिबाडीस का विकास भिन्न-भिन्न होता है । कुछ व्यक्तियों में इनका विकास अच्छा होता है और कुछ में तो कम ही होता है । जिन व्यक्तियों में एण्टिबाडी की उत्पत्ति कम होती है उनमें इसकी उत्पत्ति में सुधार लाने के उपायों की खोज करने संबंधी अब अनुसंधान कार्य चल रहे हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2242/78**]

आल इंडिया इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज द्वारा छेनसा में बाल मेला

9156. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छेनसा तहसील, बल्लभगढ़ (हरियाणा) में आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज द्वारा हाल ही में आयोजित किये गये बाल मेले का स्वरूप क्या था ;

(ख) कितने बच्चो ने भाग लिया और जरूरतमन्दों को किस प्रकार की सहायता दी गई; और

(ग) मेले पर कुल कितना खर्च हुआ और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज ने पृथक-पृथक कितना-कितना खर्च किया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) छेनसा एक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली चलाता है। यह बाल मेला इन्टर्नो स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और छेनसा पंचायत के प्रयत्नों से आयोजित किया गया था। इस बाल मेले के आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों में अपने पांच वर्षों से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति जाग्रति पैदा करना था ।

(ख) इस बाल मेले में सारे छेनसा गांव ने भाग लिया । मेले में सम्मिलित होने वाले बच्चों की संख्या लगभग 450 थी । इसका मूल लक्ष्य बच्चों की समस्याओं पर प्रकाश डालना और माता-पिताओं को शिक्षित करना था । स्वास्थ्य के निवारात्मक और संवर्धनात्मक पहलुओं से संबंधित स्वास्थ्य प्रदर्शनी भी लगाई गई थी । बच्चों को विभिन्न आयु-वर्गों में बांटा गया था और आयु-वर्ग के तंदुरूस्त बच्चों को पुरस्कार दिए गए थे ।

(ग) व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

शामियाना लगाने और मेले की समाप्ति पर जलपान कराने का व्यय पंचायत ने वहन किया। संस्थान ने नकद धन कुछ भी नहीं दिया, किन्तु बाल मेला लगाने में विशेषज्ञों और संस्थान से संकाय सदस्यों एवं अन्य कार्मिकों को लाने के लिए गाड़ियों की सेवाएं प्रदान कीं। बल्लभगढ़ के लायन्स क्लब ने जलपान सहित पुरस्कारों के लिए लगभग 550 रुपये प्रदान किए।

Medicinal Herbs Industries

9157. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the total number of medicinal herbs industries in the country at present;

(b) the number of medicinal herbs firms in public sector as well as in private sector in each State; and

(c) the total amount invested by Government in the firms in public sector and private sector and the amount of profit earned therefrom every year ?

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) to (c) : The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

सिद्ध चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाना

9158. **श्री आर० मोहनरंगम :**

श्री पी० एस० रामलिंगम :

श्री पी० कानन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिद्ध चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा कितने प्रकाशन निकाले जाते हैं ; और

(ख) प्राचीन सिद्ध साहित्य का हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सिद्ध भेषज कोश समिति ने तमिल भाषा में भारतीय सिद्ध फार्मूलरी के प्रथम खण्ड को अंतिम रूप दे दिया है जिसमें 242 सम्मिश्र योग हैं। इस फार्मूलरी की पांडुलिपि तैयार हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए दो प्रकाशन निकाले हैं—एक अंग्रेजी में और एक तमिल में। इन प्रकाशनों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) सिद्ध चिकित्सा पद्धति की सामान्य औषधियों की हस्त पुस्तिका (एक हैंड बुक आफ कामन रेमेडिज इन सिद्ध सिस्टम आफ मेडिसन) यह प्रकाशन अंग्रेजी में हैं।

(2) थेरियार कच्चियन (तमिल में)।

जहां तमिल का एक और प्रकाशन (थेरियर थारू नामक) के प्रेस से शीघ्र ही मिल जाने की सम्भावना है वहां तीन और रचनायें छपवाने के लिये प्रेस को भेजी जा रही हैं। छः और प्रकाशनों की पांडुलिपियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इन में से तीन तो तमिल में हैं और तीन हिन्दी में हैं।

(ख) भारत की सिद्ध फार्मलरी के प्रथम खण्ड का हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम पहले ही हाथ में लिया जा चुका है। सिद्ध के अन्य प्रकाशनों का अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद तैयार करने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय औषध और होम्योपथी में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद् का भेषजीय पौधों संबंधी एकक

9159. **श्री आर० मोहनरंगम :**

श्री पी० काननन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में भारतीय औषध और होम्योपैथी में अनुसंधान संबंधी केन्द्रीय परिषद् के भेषजीय पौधों संबंधी एकक के सर्वेक्षण के विस्तार हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : भारतीय चिकित्सा पद्धति के राजकीय महाविद्यालय पलायामकोटे, तमिलनाडु के औषधीय पादप सवक्षण एकक प्राकृतिक सम्पदा के गुणों और परिमाण का जायजा लेने के लिए 120 वन क्षेत्रों के 97 सर्वेक्षण-दौरे किये हैं । इस एकक ने 1,450 औषधीय गुणयुक्त और कम कीमत वाले 1,450 पौधों के बारे में सूचना एकत्र की है। इस एकक के पास 3,000 शीटों वाला एक हर्बेरियम है, जिसमें 770 जाति के पौधे हैं तथा 315 प्रमाणित नमूनों वाला एक संग्रहालय भी है। इस वर्ष तमिलनाडु के औषधीय पादप सर्वेक्षण एकक की गतिविधियाँ और अधिक बढ़ाने का विचार जिससे भिन्न-भिन्न मौसमों में दौरे करके प्राकृतिक सम्पदा की खोज की जा सके ।

भारतीय चिकित्सा पद्धति में केन्द्रीय फार्मेसी

9160. **श्री आर० मोहनरंगम :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धति में केन्द्रीय फार्मेसी स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) उस पद्धति में सिद्ध प्रणाली को क्या सही-सही स्थान दिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड का जिसे अभी स्थापित किया जाना है, मुख्य उद्देश्य भारतीय औषधियों व निर्माण करना है। प्रारंभ मे, यह कारपोरेशन आयुर्वेदिक और यूनानी की असली औषधियों का निर्माण करेगी तथा बाद में वह सिद्ध की औषधियों का भी निर्माण करने लग जाएगी ।

Training Institutes in the Ministry

†9161. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of training institutes in his Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses being run therein;

(c) the number of courses, out of them, run in Hindi medium and in English medium separately; and

(d) the steps taken by Government to run in Hindi medium the courses which are being run in English medium at present?

Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) 45.

(b) The number of courses being run varies from time to time depending upon the requirements for the particular year.

(c) About 20 per cent of the courses are run in Hindi in the Hindi speaking areas and in the regional language in non-Hindi speaking States. The remaining courses are run in English but in some cases where the candidates find difficulty these are supplemented by instructions in Hindi or the regional language as applicable.

(d) For the all India cadres the instructions are in English because they are transferable from State to State. For the other cadres as mentioned above where difficulties are encountered, supplementary instructions in Hindi or regional language are being given.

Medium in Training Institutes

9162. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) the total number of training institutes in his Ministry and its attached and subordinate offices;

(b) the total number of courses being run therein;

(c) the number of courses, out of them, run in Hindi medium and in English medium separately; and

(d) the steps taken by Government to run in Hindi medium the courses which are being run in English medium at present?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) to (d): The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Number of Manuals and Forms used in Ministry of External Affairs

†9163. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of manuals and forms in use in his Ministry/Department;

(b) the number, out of them translated into Hindi and of those printed in bilingual form;

(c) the reasons for not translating or printing in bilingual form the rest of them; and

(d) when they are likely to be prepared in diglot form?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee): (a) The Ministry of External Affairs uses Manuals and Forms prescribed by different Ministries/Departments of the Government of India for various purposes as well as those prescribed specifically by the Ministry of External Affairs. The Ministry of External Affairs has prescribed 7 Manuals and 20 forms approximately under its Rules and Regulations.

(b) The responsibility for translating and printing the forms in diglot edition in respect of Manuals/Forms prescribed by other Ministries/Departments does not rest with this Ministry. None of the Manuals prescribed by the Ministry of External Affairs has so far been translated into Hindi or printed in diglot form. As regards forms, 10 of these have been translated and printed in diglot edition.

(c) & (d): The Manuals are under review for up-dating. Thereafter, they will be translated and printed in diglot form. Steps are being taken to get the remaining forms translated/printed.

जिन गांवों में रोजाना डाक वितरित नहीं की जाती हैं उनकी प्रतिशतता

9164. **श्री सरत कार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने प्रतिशत गांवों में रोजाना डाक वितरित करने की सुविधा नहीं है ;

(ख) उड़ीसा राज्य के कितने गांवो में इस समय रोजाना डाक वितरित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ग) उस राज्य के प्रत्येक गांव में सरकार का यह सुविधा कब तक देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) देश में लगभग 0.5 प्रतिशत गांवों में दैनिक डाक वितरण को सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में बसे हुए सभी 46,992 गांवों में दैनिक डाक वितरण की सुविधा दे दी गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

झरिया कोयला खानों के खान मजदूरों में फेफड़े की बीमारी फैलना

9165. **श्री सरत कार :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला खानों के जो मजदूर फैफड़े की बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और खान मजदूरों को प्रभावित करने वाली ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या खान मजदूरों को प्रभावित करने वाली बीमारियों का पता लगाने के लिए अन्य खानों में भी ऐसे सर्वेक्षण करने का सरकार का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क)और (ख) : राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साईस, पटना, ने झरिया कोयला क्षेत्र में एक नमूना सर्वेक्षण किया था । इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि लगभग आठ प्रतिशत खनिक कोयले की धूलि के कारण फेफड़ के रोगों से ग्रस्त हैं ।

कोयला खान विनियमों में निर्धारित किए गए पूर्वोपायों के अलावा, जिसमें वर्किंग फे ों के 90 मीटर के अन्दर-अन्दर आने वाले क्षेत्र में पानी से धूलि को दबाना और संवातन के बेहतर मानक शामिल हैं, खान सुरक्षा महानिदेशक ने हाल ही में इस उद्योग को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें धूलि की अनुमेय सीमाएं निर्धारित की गई । खान प्रबन्धको को यह भी सलाह दी गई है कि वे तीसरे खान

सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा यूनिट स्थापित करें। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने नैशनल इंस्ट्टीयूट आफ आकुपेशनल हैल्थ, राजेन्द्र मैडिकल कालिज, पटना और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टोट्यूट, नई दिल्ली के सहयोग से कोयला खान डाक्टरों को रोगों के निदान तथा उनकी रोकथाम के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए वायुधात्विक रोग के बारे में एक अल्पावधि विशिष्ट पाठ्यक्रम का आयोजन भी किया था।

(ग) निम्नलिखित सर्वेक्षण आयोजित करने का विचार है :—

(1) कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के सहयोग से बिहार की अभ्रक खानो में सिलिकोसिस का अध्ययन।

(2) कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय के सहयोग से झरिया और रानोगंज कोयला क्षेत्रों की कोयला खानों में वायुधात्विक रोग का अध्ययन।

(3) लोहा अयस्क खानो में वायुधात्विक रोग के प्रभाव क्षेत्र का सर्वेक्षण।

(4) एस्बेस्टोसिस के महामारी होने सम्बन्धी अध्ययन।

(5) राजस्थान की अभ्रक खानों में सिलिकोसिस का अध्ययन।

अहमदाबाद सिटी डिवीजन के डाकियों और ई० डी० एजेंटों द्वारा भूख हड़ताल का नोटिस

9166. **श्री अहसान जाफरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद सिटी डिवीजन के श्रेणी चार के डाकियों और ई० डी० एजेटों ने 10 अप्रैल, 1978 से भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया है ;

(ख) क्या उक्त डिवीजन के डाकियों ने 3 जनवरी, 1978 से जब तक उनकी मांग "वन पोस्टमैन वन डिलीवरी" पूरी नहीं हो जाती नियमानुसार काम करने की घोषणा की थी ;

(ग) क्या पोस्टमास्टर जनरल ने डाकियों को यह आश्वासन दिया है कि वे अपना आन्दोलन वापिस ले लें और वह उनकी मांगे पूरी कर देगे ;

(घ) क्या आन्दोलन के वापिस लिये जाने पर 'वर्क रुल' आन्दोलन में भाग लेने वाले डाकियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं ; और

(ङ) इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) जी नहीं। व्यवस्था यह थी कि नवरंगपुर मुख्य डाकघर के पोस्टमैनो की ड्यूटियों और उनकी गश्तों में कुछ सामंजस्य लाया जायेगा।

(घ) ऐसे पोस्टमैनों से उनकी अनुशासन हीनता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो 3 जनवरी, 1978 से 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन कर रहे थे।

(ङ) यह स्थानीय अधिकारियों का काम है कि जहां कहीं अनुशासन हीनता हो और जनसेवा में व्यवधान डाला जा रहा हो, वहां उनके विरुद्ध वे कार्रवाई करें।

Indian Medical Degrees Derecognised by Britain

9167. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the British Medical Council has derecognised the Indian Medical Degrees as a result of which the Indian doctors are not able to get admission for the post-graduate degrees unless they successfully pass the qualifying examination of British universities;

(b) whether this is due to the low standard of education in many medical colleges and shortage of educational facilities and if so, the steps taken or proposed to be taken to raise the education standard; and

(c) whether the Indian Medical Council has derecognised the medical degrees of Britain and if so, the basis on which it has been done?

Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) The General Medical Council of U.P. had unilaterally withdrawn recognition of all Indian Medical Qualifications when granted on or after 22nd May, 1975. Indian doctors, who are eligible to get permanent or temporary registration as per present Rules of General Medical Council of UK, can get admission in the post-graduate courses and are not required to pass any qualifying examination of British Universities. They are, however, required to satisfy the requirements prescribed by the Royal Colleges of U.K.

(b) As per information available with the Medical Council of India, General Medical Council of U.K. de-recognised Indian Medical Qualifiactions mainly to prevent Indian doctors from going to U.K. and settling down to practise there.

(c) The Indian and British Medical Qualifications earlier were being recognised on reciprocal basis. General Medical Council of U.K. had unilaterally withdrawn recognition to the Indian Medical Qualification resulting in the termination of reciprocity. There was thus no point of continuing recognition being given to the British Medical Qualifications especially for the foreign nationals. Medical Council of India, therefore, decided to de-recognise the British Medical Qualifications after 11th November, 1975, when held by foreign nationals.

गत दो वर्षों के दौरान जारी किए गए स्मारक डाक-टिकटों का कुल मूल्य

9168. **श्री सूरज भान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976–77 और 1977–78 में जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों का कुल मूल्य कितना है और उन पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) इन दो वर्षों के दौरान कितने विशेष 'कंसोलेशन' डाक टिकट बनाए गए और उनके निर्माण तथा विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई यात्राओं सहित उद्घाटन समारोहों की व्यवस्था पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) विभाग को गत दो वर्षों के दौरान सामान्य टिकटो जिन्हें विभाग डाक प्रशुल्क के लिए जारी करता है, के स्थान पर प्रयोग में लाने के लिए इन टिकटों को की गई बिक्री को छोडकर ये डाक-टिकट जारी करने से कितनी आय हुई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान जारी किए गए स्मारक डाक-टिकटों का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

	मूल्य	व्यय
1976-77 .	753,00,000 रु०	37,27,278.36 रुपये
1977-78 .	810,00,000 रु०	41,49,495.01 रुपये

(ख) इन दो वर्षों के दौरान निम्नलिखित विशेष कैंसिलेशन स्टैम्प बनाए गए :—

	संख्या	लागत
1976-77 .	3,083	70,246.19 रु०
1977-78 .	2,190	25,549.23 रु०

उद्घाटन समारोहों में कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया गया था।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान डाक टिकटों की बिक्री इस प्रकार है :—

1976-77	1,73,25,711.55 रु०
1977-78 . . .	1,75,19,988.40 रु०

मनीआर्डर फार्म का पुनरीक्षण

9169. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग ने नई दिल्ली में इंजीनियरों की एक फार्म से मनीआर्डर फार्म के पुनरीक्षण के बारे में कोई अध्ययन कराया था और पारिश्रमिक के रुप में भारी धनराशि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो बाहर की इस एजेंसी को अध्ययन का यह काम कब और किसके आदेशों सौंपा गया था और कितना पारिश्रमिक दिया गया था;

(ग) बाहर की इस एजेंसी को प्रतिवेदन तैयार करने में कितना समय लगा था और प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का आकार कितना है; और

(घ) जब बोर्ड में ही अपेक्षित जानकारी उपलब्ध है जहां एक स्वतंत्र कार्यदक्षता ब्यूरो काम कर रहा है जो सीधा संचार मंत्रालय के सचिव के प्रति जवाबदेह है, तब इस विभागीय एजेंसी का इस प्रयोजन के लिये उपयोग न करके बाहर की एजेंसी को अध्ययन का यह काम सौंपे जाने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : डाक तार बोर्ड के आदेश से मनीआर्डरों के लेन-देन की प्रणाली के अध्ययन का काम फरवरी 1977 में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) को सौंपा गया था। इस अध्ययन पर 68,000 रुपये लागत आई थी। तथापि यह अध्ययन मनीआर्डर फार्मों में संशोधन के समिति क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। वर्ष 1976-77 के दौरान कुल 969 करोड़ रुपये मूल्य के अंतर्देशीय मनीआर्डर जारी किए गए थे। अध्ययन का उद्देश्य संपूर्ण मनीआर्डर प्रणाली की जांच करना था ताकि निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें :—

(i) दस्तावेज तैयार करने के संपूर्ण कार्य को सरल और कारगर बनाना।

(ii) एक युक्तिसंगत और वैज्ञानिक लेखा प्रणाली विकसित करना।

(iii) डाकघरों और सर्किल लेखा कार्यालयों में दुहरे काम से बचना।

(iv) लागत-लाभ के अनुपात और जांच पर आने वाली लागत के अनुपात में धोखाधड़ी। कदाचारों की संभावना से बचने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिलाना जांच की एक प्रणाली तैयार करना।

(ग) 112 पृष्ठों वाली रिपोर्ट, जिसके साथ अनेक चार्ट और ग्राफ है, दिसम्बर 1977 में पेश की गई थी।

(घ) मनीआर्डर प्रक्रिया के समुचे पहलुओं के प्रणालीगत अध्ययन के प्रकार और विस्तार को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा यही समझा गया कि इस काम के लिए अपेक्षित जानकारी और विशषज्ञता वाले ख्यातिप्राप्त परामर्शदाताओं को यह काम सौंपा जाए।

पुनः पत्र प्रेषण केन्द्र

9170. **श्री सूरज भान :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पुनः पत्र प्रेषण केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ये केन्द्र डाक मण्डलों के प्रमुखों के साथ सम्बद्ध है और सीधे उन्हीं के द्वारा प्रशासित है ;

(ग) क्या विभाग के नियमों के अनुसार वे उसी नगर में खोले जाते हैं जहां मण्डल के प्रमुख का कार्यालय होता है; और यदि हां, तो क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है जहां इस नियम का पालन न हुआ हो;

(घ) क्या कोई ऐसे डाक मण्डल हैं जहां पुनः पत्र प्रेषण केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं; और यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों के बारे में नियमो का पालन किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ड़) क्या कानूनी अपेक्षा को पूरा करने के लिये ऐसे मण्डलों में पुनः पत्र प्रेषण केन्द्र खोलने का काई प्रस्ताव है जहां ऐसे केन्द्र नही हैं; और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) देश में 15 पुनः प्रेषण केन्द्र हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। ये केन्द्र सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय स्थान से बाहर काम कर सकते हैं। दो सर्किलों, अर्थात, उत्तर-पश्चिम सर्किल और मध्य प्रदेश सर्किल में व सर्किल मुख्यालयों में स्थित नहीं हैं।

(घ) जी हां। केवल एक सर्किल, अर्थात, जम्मू-कश्मीर सर्किल में, जो उत्तर पश्चिम सर्किल के विभाजन के बाद बना था, उसका अपना पुनः प्रेषण केन्द्र नहीं है। उत्तर पश्चिम सर्किल क पुनः प्रेषण केन्द्र जो कि अमृतसर में स्थित है, जम्मू-कश्मीर सर्किल की आवश्कताओं को भी पूरा करता है।

(ङ) जी नहीं। वर्तमान प्रबन्धों से आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।

एक से अधिक डाकघर डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्टों वाले जिले

9171. **श्री सूरज भान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन जिलों के क्या नाम हैं जहां एक से अधिक डाकघर डिवीजन सुपरिन्टेन्डेंट स्वतंत्र रुप से काम कर रहे हैं और उन डाक-सर्कलों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या स्वतंत्र संगठन स्थापित करने की बजाय, जिसके कारण अतिरिक्त तथा निवास व्यय होता है एवम डाक शाखा को हानि होती है, उन्हीं कार्यालयों में अतिरिक्त अधीक्षकों के पद बना कर स्थिति से निपटा नहीं जा सकता।

(ग) क्या यह सच नहीं है कि ये अतिरिक्त स्वतंत्र एकक कनिष्ठ प्रशासनिक सर्वग में डाक सेवा निदेशकों के पदों की संख्या बढाने के उद्देश्य से बनाये गये थे; और

(घ) क्या डाक शाखा में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से उपरोक्त स्थिति की जांच करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) : यह सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Standard Ayurvedic Medicines

9172. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether any Central Ayurvedic Pharmacy is functioning to make available standard Ayurvedic medicines to common man and if so, the details thereof;

(b) if not, whether Government propose to set up such a pharmacy; and

(c) the number of Ayurvedic pharmacies at present which are run by the State Governments?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No.

(b) Yes, A Central Pharmacy is being set up at Ranikhet (Uttar Pradesh) by the Central Government. The main objective of this scheme is to make available, at reasonable rates, pattern and genuine Ayurvedic and Unani medicines to the C.G.H.S. dispensaries of these systems and other Government institution. At a later stage these medicines will be made available to the general public also. Necessary steps are being taken to complete the formalities for the registration of the proposed Public Sector Corporation under the Companies' Act, 1956, for managing the Central Pharmacy of Indian Medicines.

(c) The State Governments are running 26 Ayurvedic pharmacies.

कर्नाटक में बीड़ी कारखानों म कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू करना

9173. **श्री राजशेखर कोलूर** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में बीडी कारखानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू की गई है;

(ख) क्या इस योजना के परिणाम सन्तोषजनक रहे हैं और श्रमिकों के लिय लाभप्रद है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): (क) से (ग) : भविष्य निधि और प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के बीडी बनाने वाले 12 प्रतिष्ठानों में से, 11 प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि की देय राशि जमा करा दी है। बाकी के एक प्रतिष्ठान से अनुपालन कराने के लिए उसके विरुद्ध अधिनियम के अधीन समुचित कार्यवाही शुरू की गई है।

Construction of office and quarters for E.P.F., Indore

9174. **Shri Rameshwar Patidar:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether about 50 lakhs of rupees were spent on the construction of a building for housing the office of the Employees' Provident Fund and for the quarters for the employees at Indore in Madhya Pradesh but the building meant for office is lying vacant because it has been declared dangerous on account of serious defects due to the fault of some persons and the office has also not got any suitable place for it and it is housed in two separate rented buildings at present;

(b) the outcome of the enquiry held into this defective construction;

(c) the action taken or being taken against the persons/Officers found guilty in this regard; and

(d) whether there is a proposal to build a new building for housing this office and if so, the time by which it is likely to be built ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Singh) : (a) About Rs. 42 lakhs have been spent on office building and Staff Quarters. Construction work was stopped when certain columns of the building developed defects. The Office is functioning in two rented buildings at present.

(b) The defects developed in the building were investigated by a Committee of experts under the Chairmanship of the Chief Engineer, C.P.W.D., New Delhi. The Committee's report indicates that the building developed certain defects due to inadequacy in structural designs of the building prepared by the Architects.

(c) The matter was placed before the Central Board of Trustees Employees' Provident Fund recently. The Board advised that the legal issues involved in taking action against the Architects may be examined. The matter has now been referred to the Legal Adviser.

(d) There is no proposal to build a new building as the damaged building is repairable according to the Report of the Experts Committee.

कंजीरापल्ली एक्सचेंज, केरल को छोटे एक्सचेंजों से जोड़ना

9175. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिले में कंजीरापल्ली एक्सचेंज को 10 मील रेडियल दूरी छोटे एक्सचेंजों से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कंजीरापल्ली एक्सचेंज में नम्बर घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था इस वर्ष न करने के क्या कारण हैं और इस बारे में कब कार्य आरंभ किया जायगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) कंजीरापल्ली एक्सचेंज को 10 मील रेडियल दूरी के अन्तर्गत आने वाले अन्य छोटे आटोमैटिक एक्सचेंजों से जोड़ने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कंजीरापल्ली और कोट्टायम के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। साधन सीमित होने और ज्यादा यातायात वाले मार्गों को अधिक प्राथमिकता देने के कारण इस प्रस्ताव पर कार्यवाई नहीं की जा सकी।

मुवत्तुपुजा तथा पलाई एक्सचेंजों में एस०टी०डी० की सुविधाएं

9176. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के त्रिचुलम जिले में मुवत्तुपुजा तथा केरल राज्य के एरनाकुलम जिले में पलाई में एस० टी० डी० की सुविधाएं देने का कार्य कब आरम्भ किया जायेगा;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों के आस-पास के छोटे एक्सचेंजों को, जो 10 मील की दूरी पर हैं, मुवत्तुपुजा और पलाई एक्सचेंजों के साथ जोड़ा जायेगा; और

(ग) उपर्युक्त मामले में वर्तमान प्रस्ताव क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, किन्तु ऐसी संभावना है कि सातवीं योजना के दौरान इस प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू की जाएगी ।

(ख) और (ग) : इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

मेडिकल अध्यापकों की मांग

9177. **श्री वसंत साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1978 के "पैट्रियट" में "मैडिकल टीचर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों के वेतनमान नहीं हैं जो विश्वविद्यालय के अन्य संकायों में समान पदों के लिए हैं। चूंकि यह संस्थान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत अनुदानों से चलता है इसलिए सभी संकायों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान ही दिए जाते है और अकेले आयुर्विज्ञान के संकाय के लिए ऊंचे वेतनमान निश्चित कर पाना संभव नहीं है। इन अध्यापकों के प्रेक्टिस बन्दी भत्ते की दरों को केन्द्रीय सेवा के अन्तर्गत कार्य कर रहे अध्यापकों के भत्ते के बराबर लाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

पारपत्र संबंधी प्रक्रिया

9178. **श्री वसंत साठे :**
श्री जार्ज मैथ्यू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1978 के 'द इंडियन एक्सप्रैस' में 'न्यू प्रोसीजर फार पासपोर्ट कम्बरसम' शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : संबद्ध समाचार में मुख्य टिप्पणी का संबंध सीआईडी/पुलिस जांच से है, जोकि संसद सदस्यों तथा निर्धारित स्तर के सरकारी और न्यायिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गये सत्यापन प्रमाण-पत्रों के साथ पासपोर्ट के लिए दिये गये आवेदनों के मामले में की जाती है। इस संबंध म 9 मार्च, 1978 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2124 के उत्तर के भाग (क) और (ख) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसमें बताई गयी प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है यानी कि संसद सदस्यों द्वारा अथवा अपेक्षित स्तर के कार्यकारी या न्यायिक अधिकारियों द्वारा सत्यापित सभी पासपोर्ट-आवेदन की जांच सुरक्षा की दृष्टी से, पासपोर्ट जारी करने से पूर्व की जाती है ताकि इस बात का सुनिश्चय हो जाए कि सरकार के सुरक्षा अभिलेखो में संबद्ध आवेदक के विरुद्ध कोई बात नहीं है। यह प्रक्रिया पुलिस द्वारा आवेदक के शिनाख्त तथा पूर्ववृत के सत्यापन की प्रक्रिया से भिन्न है जोकि इन मामलों में पासपोर्ट जारी करने के बाद की जाती है। बहरहाल जिन मामलों में बहुत शीघ्रता अपेक्षित होती है उनमें अल्प अवधि के लिए वैध पासपोर्ट सुरक्षा के पहले जारी कर दिये जाते है और बाद में जांच कर लिये जाने पर इन्हें पूरी अवधि के लिए बढा दिया जाता है।

इस प्रेस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि "एक-आवेदक से यह भी कहा गया कि वह अपने नियोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाये"। इस संबंध में 1 दिसम्बर 1977 में तारांकित प्रश्न संख्या 241 के उत्तर के भाग (ख) (ग) और (घ) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र उन्हीं मामलो में मांगा जाता है जबकि आवेदक किसी सरकारी

अथवा किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी संगठन में नियोजित हो। जो लोग स्वनियोजित है या सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजित है, उनके आवेदन के सिलसिले में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाती। अगर आवेदक किसी सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी कार्यालय में नियोजित हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि नियोजक सावजनिक क्षेत्र के इस कर्मचारी के विदेश जाने के इरादे से अवगत है। लेकिन जहां आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देता या नहीं दे पाता वहां भी अगर आवेदन पत्र अन्यथा ठीक हो तो पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है और नियोजक को सूचित रखा जाता है।

दिल्ली कालेज का स्थानान्तरण

9179. **श्री वसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 अप्रैल, 1978 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "मेडिकल कौन्सिल अगेन्स्ट शिफ्टिंग आफ दिल्ली कालेज" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले से सम्बन्धित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) दिल्ली मेडिकल कालेज आफ सांइसेस संबंधी निरीक्षण रिपोर्ट (फरवरी, 1978) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने उक्त कालेज की अस्थाई मान्यता को एक वर्ष की और अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की है। परिषद् ने यह भी बतलाया है कि विभिन्न क्लिनिकी विभागों में शिक्षण कार्य का आयोजन और संचालन संतोषजनक रूप से चल रहा है। परिषद् ने जो कमियां बताई हैं उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि वह कालेज इस समय वर्तमान स्थान पर अस्थायी रूप से चल रहा है और अंततः इसे शाहदरा में अपने स्थायी भवन के पूरा होने पर जाना है, जैसा कि आरम्भ में विचार किया गया था, इसलिए शाहदरा के अलावा इस कालेज को किसी दूसरे स्थान पर अन्तिम रुप से खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

Manufacturing of Ayurvedic and Unani Drugs

9180. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of firms manufacturing Ayurvedic and Unani drugs in the country and the names of the States in which these firms are located and the number of firms among them which are Government firms and private firms separately;

(b) whether Government exercise any check over the quantity of the contents of formulations of the drugs manufactured by these firms; and

(c) whether Government have received complaints in regard to want of standard percentages and purity of some of the Ayurvedic drugs and if so, the action taken against them?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Information regarding the number of manufacturers of Ayurvedic (including Siddha) and Unani medicine as on 1-4-1977 is given below :—

Sl. No.	Name of State	No. of licensed private firms	No. of Govt. firms
1	Andhra Pradesh	22	2
2	Assam . .	1	1
3	Bihar . . .	39	1
4	Gujarat . . .	218	1
5	Himachal Pradesh .	2	2
6	Haryana .	35	1
7	Kerala . .	124	2
8	Karnataka .	73	1
9	Madhya Pradesh	Not available	3
10	Maharashtra	608	1
11	Orissa	27	2
12	Punjab .	81	1
13	Rajasthan	20	4
14	Tamil Nadu	Not available	1
15	Uttar Pradesh .	90	1
16	West Bengal .	209	1
17	Delhi	111	1

(b) Under the provisions of the Drugs and Cosmetics Act and the Rules made thereunder, a manufacturer of an Ayurvedic or Unani drug is required to display on the label of the container of the drug, the true list of all the ingredients used in the manufacture of the preparation together with the quantity of each of the ingredients incorporated therein. The manufacturer is also required to give on the label of the container a correct statement of the net content in terms of weight, measure or number, as the case may be. The records maintained by licenced manufacturers should show the quantities of different ingredients used for manufacture, the quantity of finished product manufactured in each batch, the number of containers and the net content of each container. These records are subject to inspection by the Drugs Inspector appointed by the State Governments/Central Government.

(c) Complaints as and when received in regard to the substandard Ayurvedic Arugs have been referred to the concerned State Governments for appropriate action.

Appointment of Female Doctors and Engineers

9181. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of female M.B.B.S. doctors in the Central Government Health Services and engineers in Engineering Department appointed to higher posts in the country separately, and the percentage thereof as compared to the number of males; and

(b) the steps taken by Government to provide more posts to female in these Departments in future?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) Information is not readily available.

(b) The policy relating to the employment of women has been spelt out in the Draft Five Year Plan Document 1978-83 (Vol. II). Government has also constituted a Working Group on Employment of Women to examine various issues relating to their employment.

दिल्ली टेलीफोन की स्वतः समय बताने वाली घड़ी का खराब होना

9182. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलिफोन कार्यालय से स्वतः समय बताने वाली घडी एक वर्ष से अधिक समय से बकार पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) कनाट प्लेस एक्सचेंज भवन में दिसम्बर 1976 में आग लग जाने के दौरान आयात की गई समय बताने वाला घडी के कुछ पुर्जे खराब हो गये थे। तब से यह घडी काम नहीं कर रही है।

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये धन

9183. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिये इस वर्ष एक करोड़ रुपये निर्धारित किये है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बाते क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) । जी हां। इस मंत्रालय के बजट में वर्ष 1978-79 के संबंध में बंधित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प से संचालित एक योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये का व्यवस्था का गई है ताकि बराबर का अनुदान प्रदान करके वर्ष 1978-79 के दौरान कार्यान्वित का जाने वाली पुनर्वास संबंध, राज्य सरकारों की योजनाओं के लिए धन जुटाया जा सके। उक्त पुनर्वास योजनाएं ग्राम स्तर पर लागू की जाएगी और वे भूमि, कौशल/दस्तकारी पर आधारित योजनाएं या अन्य प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं।

Telephone calls booked from Salempur and Deoria

*9184. **Shri Ram Naresh Kushwaha:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of calls which were booked in Salempur and Deoria Telephone Exchanges from January to March, 1978, separately and the number of calls which actually materialised;

(b) whether it is a fact that all the calls which were booked have materialized, but all of them have not been recorded and the employees have put the Department to loss by accepting illegal gratification, and if so, the facts thereof and action taken thereto; and

(c) whether he has received any proposal for replacing the present telephone board of Salempur Exchange by a 50 line board and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) The number of calls booked from Salempur and Deoria Telephone Exchanges and the calls which actually materialised is as per table given below:—

		Total booked	Total effective
Salempur	Jan.	216	168
	Feb.	474	197
	March	614	223
Deoria	Jan.	4460	3610
	Feb.	4046	2786
	March	4119	2870

(b) No Sir. The number of calls which have materialised is given in para (a) above. No case of illegal gratification has come to the notice of the department so far.

(c) Yes Sir. A proposal for replacement of existing 25 line SAX by a 50 line SAX is under examination.

Complaints Against S.D.O. (T) Gorakhpur

†9185. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether some written or oral complaints have been made against the S.D.O.(T), Gorakhpur;

(b) if so, the action taken thereon;

(c) whether the number of complaints made by subscribers of Salempur Telephone Exchange has increased after March, 1977 as compared to the period before March, 1977 but no action has been taken thereon; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Yes, Sir.

(b) The complaints have been enquired into and appropriate action will be taken in consultation with the Central Vigilance Commission.

(c) No Sir.

(d) Does not arse.

मारुति लिमिटेड में कर्मचारी भविष्य निधि का अधिनियम लागू किया जाना

9186. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम मारुति लिमिटेड पर भी लागू किया गया था और यदि हां, तो कब से; और

(ख) क्या मारुति लिमिटेड ने इस अधिनियम के सभी उपबन्धों का पालन किया और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) मैसर्स मारुति लिमिटेड, गुड़गांव पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 पहली फरवरी, 1975 से लागू किया गया था।

(ख) इस प्रतिष्ठान ने अप्रैल, 1977 से जून, 1977 तक भविष्य निधि को देय राशियों के भुगतान में चूक की थी और उसका 31 जुलाई, 1977 को दिवालिया हो गया। सरकारी परिसमापक ने इन बकाया राशियों का भुगतान कर दिया है। पहले से लगाये गए हरजानों के भुगतान सम्बन्धी दावे उच्च न्यायालय में दायर कर दिये गए हैं। इसके अलावा इस प्रतिष्ठान ने अधिनियम के उपबन्धों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

आपात स्थिति के दौरान इस्पात संयंत्रों में सेवा से हटाये गये व्यक्ति

9187. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपात स्थिति के दौरान बोकारो, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों में अनुपस्थिति के आधार पर कितने व्यक्ति सेवा से हटाये गये और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत कितना है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को उक्त चार संयंत्रों में पुनः सेवा में वापस ले लिया गया तथा उनमें अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिशत कितना है; और

(ग) क्या यह सच है कि जनवरी, 1978 में पटना में समझौता-वार्ता के दौरान भारत स्टील लिमिटेड (बी० एस० एल०) के प्रबन्धकों ने ऐसे सभी व्यक्तियों को पुनः काम पर ले लेने का आश्वासन दिया था, यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रखदी जाएगी।

कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय, धनबाद के बारे में जांच

9188. **श्री ए० के० राय** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थित कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, अकार्यकुशलता के बारे में बहुत सी शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, क्या सरकार का विचार इस समस्त मामले की जांच कराने का है ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) इस प्रकार की शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Workers Becoming Jobless due to use of Automatic Machines

9189. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether the need for human labour is diminishing and workers are becoming jobless due to introduction of giant-sized automatic machines;

(b) whether keeping in view the labour availability in abundance, Government propose to formulate any rule to ensure employment to more and more workers and avoid use of such machines which require minimum labour; and

(c) whether Government propose to give this proposal a practical shape and if not, the reasons therefor?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) to (c): Automation is being introduced only in areas which meet the needs of national security, export, educational, research and scientific establishments, etc. While giving clearance for the introduction of computers their socio-economic impact is taken into account. In particular, it is to be ensured that there is no retrenchment or loss of earnings off the existing employees, that there is an equitable sharing of benefits of automation as between the community, the employers and the workers, and that there is a proper assessment of work load by experts, mutually agreed upon, and also there are suitable improvements in the working conditions.

नसबन्दी के कारण मृतकों के आश्रितों को या अक्षम हुए व्यक्तियों को पेंशन

9190. **श्री भक्त राम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसबन्दी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितो अथवा कोई काम करों में अक्षम हुए व्यक्तियो को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बीप्रसाद यादव) : (क) (से) (ग) : नसबन्दी आपरेशन के कारण मरने वाले व्यक्ति के प्राकृतिक उत्तराधिकारी । जीवित पति या पत्नी को 5,000 रुपये को अनुग्रहपूर्वक सहायता देने को सरकार की योजना है। किन्तु नसबन्दी के कारण मरने वालों के आश्रितो को अथवा उन व्यक्तियों को जो नसबन्दी के कारण कोई भी काम नहो कर सकते हैं, पेंशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेंशन योजना मंजूर करना प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरे, इसमें मुख्यत: विपुल धन राशि की व्यवस्था निहित होने के कारण भी यह व्यावहारिक नहीं है। वैसे कम आय वाले परिवार एकमुश्त भुगतान को साधारणतया पसन्द करते हैं। फिर भी, ऐसे सारे मामलों में सरकार द्वारा आपरेशन के उपरांत होने वाली जटिलताओं के मुफ्त इलाज के लिए पूरी सुविधाओं को व्यवस्था की गई है।

होम्योपैथी पर बाहरी भाव

9191. डा० भगवान दास राठौर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होम्योपैथी में बाहरी प्रभावों को दूर करने के लिए बाहरी औषधियों (एक्सटरनल्स) को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। (आर्गेनान आफ मेडिसिन छटा संस्करण फुटनोट संख्या 2 और सेक्शन 185-203);

(ख) क्या बाहरी औषधि (एक्सटरनल मेडिसिन) का प्रयोग बढ़ता जा रहा है जिससे लोगों और इस विज्ञान दोनों को हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो एक्सटरनल मेडिसिन के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) यह कहना सही है कि स्थानीय रोगों के उपचार में बाहरी औषधियों (एक्सटरनल्स) को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए (देखिए "आर्गेनान आफ मेडिसिन" सेक्शन 185-203, छटा संस्करण)। तथापि, हेनेमन ने अपने "आर्गेनान आफ मेडिसिन" के सेक्शन 290 में यह बतलाया है कि हमारे शरीर के सभी संवेदनशील भाग औषधीय प्रभाव को ग्रहण करने के लिए लगभग समान रूप से समर्थ होते हैं। जो भाग छिल जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं अथवा जो फोड़े वाले होते है, उन पर दवाइयों का प्रयोग करने से प्राय; अवयव पर वैसा ही गहरा प्रभाव पड़ता है जैसा कि औषधि का मुख से सेवन करने पर। तथापि, कुछेक मामलो में हनेमन ने होम्योपैथिक उपचार बाहरी औषधियों के प्रयोग को अनुमति दी है जैसा कि उन्होंने आर्नीका के संदर्भ में अपनी मैटोरिया मैडिका पुरा (पृष्ठ 89, अमेरिकन संस्करण, वाल्यूम-1) में तथा अपनी मैटीरिया मेडिका पुरा के कम्फोरा संबंधी अपनी टिप्पणी पृष्ठ 305, अमेरिकन संस्करण, वाल्यूम–1 में भी बतलाया है।

आर्निका के में मामले उन्होने यह बतलाया है कि गम्भीर और बड़ी अन्त: क्षतियों/चोटोंमें पहले 24 घंटों में प्रभावित भागों पर कम शक्ति वाली आर्निका (2×) बाहरी प्रयोग करनेपर तेजी से लाभ होता है जबकि आर्निका को छोटी खुराकें खाई जाती हो। इसी प्रकार कम्फोरा के मामले में उन्होने यह बताया है कि जब केम्फर का बाहरी लेप किया जाता है तो वह एरिसिपलस को तरह उत्तेजित करता है इसलिए गम्भोर बीमारियों में अब भी एरिसिपेलस भी होता है और यदि कैम्फर के लक्षणों के साथ साथ आन्तरिक रोग के अन्य लक्षण मौजूद होते हैं तो फिर इसका बाह्य प्रयोग लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त उन्होने स्थानीय लेपो द्वारा बीमारी को विभिन्न हालतो के उपचार में चुम्बकत्व के प्रयोग को सिफारिश की है। इस प्रयोजन के लिए उन्होने यह सिफारिश की है कि एक चुम्बकीय छड़ी को यदि उसका छोर रोग के लक्षणों के अनुसार चुना गया हो, रोग से पीड़ित भाग से एक मिनट के लिए छुआया जाए या उसके बिल्कुल निकट रखा जाए अथवा यहां तक कि अंगुली के पौर से भी स्पर्श करके रोग ठीक हो सकता है। (मेटीरिया मेडिका पुरा पृष्ठ 62, अमेरिकन संस्करण, वाल्यूम-2)।

(ख) क्षतियों, दुर्घटनाओं आदि के मामले में बाहरी औषधि के प्रयोग से रोगियों अथवा विज्ञान को कोई हानि नहीं होती है बशर्ते कि दवाई होम्येपैथीकी चिकित्सा पद्धति के अनुसार निर्दिष्ट की गई हो।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में परिवार नियोजन संवर्धन प्रचार कार्यक्रम

9192. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिनांक 30 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परिवार नियोजन संवर्धन कार्यक्रम के लिये जमा की गई कुल 52,12,263 रु० की राशि और 33,43,821 रुपये के कुल व्यय का हिसाब ठीक प्रकार से रखा गया है और उसकी लेखा-परोक्षा की गई है ;

(ख) इस आय और व्यय पर लेखा-परोक्षा प्रतिवेदन क्या है ;

(ग) शेष धनराशि का प्रयोग किस प्रकार से हुआ, और

(घ) सरकार की प्राप्त ऐसी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है जिसके अनुसार में उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए धनराशि एकत्र की गई और बहुत से कांग्रेसजनों एवं अन्य लोगों द्वारा उसे हड़प लिया गया ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के उत्थान के लिए कितना धन इकठ्ठा किया गया और उस में से कितना खर्च किया गया, इसका लेखाशाखा भारतीय रेडक्रास सोसाइटी की दिल्ली शाखा ने ठीक प्रकार से रखा हुआ है। इस खाते की लेखा-परोक्षा में के० के० सोमी एण्ड क०, चार्टर्टर्ड अकाउटेंट्स द्वारा की गई है ।

(ख) इस रिपोर्ट में कोई लेखा-परोक्षा आपत्ति नहीं उठाई गई है ।

(ग) शेष धन को भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा और बचत खाते में रखा गया है। ऐसी दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा बनाई गई उप-समिति की सिफारिशों पर किया गया था।

(घ) विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

इंडियन रेडक्रास सोसाइटी कर्मचारी संघ की मान्यता देना

9193. **श्री शरद यादव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत इंडियन रेडक्रास सोसाइटी कर्मचारी संघ को इन्डियन रेडक्रास मुख्यालय अधिकारियों द्वारा अभी तक मान्यता नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जैसा कि भारतीय रेडक्रास सोसाइटी ने बतलाया है, भारतीय रेडक्रास सोसाइटी कर्मचारी संघ को मान्यता देने का प्रश्न 5 मई, 1978 को होने वाली सोसाइटी की प्रबन्ध निकाय की बैठक के समक्ष रखा जायेगा ।

डाक-तार कर्मचारियों द्वारा आम प्रदर्शन

9194. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट् एण्ड टैलीग्राफ एम्लाईज ने अपनी मांगों पर बल देने के लिये डाक-तार भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली के सामने हाल में एक आम प्रदर्शन किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकर की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी, हां।

(ख) उनकी मांगों के ब्यौरे और प्रत्येक मांग की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

मांग	वर्तमान स्थिति
1. डाकतारतार कर्मचारियों के लिए बोनस	1. यह केन्द्रीय सरकार क सभी कर्मचारियों से संबंधित है ।
2. विभागेतर कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मंजूरी और विभागीय परिषद् (जे०सी० एम०) में उनकी मांगें उठाने की अनुमति ।	2. विभागेतर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की मांग पर विचार किया जा चुका है और उसे नामंजूर कर दिया गया है फिर भी उनके न्यूनतम और अधिकतम भत्ते बढाने के आदेश जारी कर दिये गए हैं । विभागेतर एजेंटों अंशकालिक कर्मचारि हैं और वे जे०सी०एम० योजना के दायर में नहीं आते ।
3. नर्मित्तिक मजदूरों और विभागेतर सार्टरों आदि को तृतीय श्रेणी के नियमित पदों पर खपाना ।	3. कुछ शर्तों के आधार पर नैमित्तिक मजदूरों और विभागेतर कर्मचारियों को तृतीय । चतुर्थ श्रेणी के नियमित पदों पर खपाने के लिए हिदायतें पहले से मौजूद हैं ।
4. 1968 और 1974 की हड़तालों में भाग लेने के कारण कर्मचारियों पर जो अयोग्यताएं लगा दी गई हैं उन्हें दूर करने के लिए मंत्री श्री जार्ज फर्नाडिस के फैसले का क्रियान्वयन ।	4. 1974 की हड़ताल संबंधी अयोग्यताएं दूर करने के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं और उनका कार्यन्वयन किया जा रहा है । जहां तक 1968 की हड़ताल संबंधी अयोग्यताओं का प्रश्न है मार्च 1970 में जो उदारता पहले बरती जा चुकी है उसके अलावा आगे और उदारता बरतना आवश्यक नहीं समझा गया
5. तदर्थ मानदंड रद्द करना	5. विभागीय परिषद् में यह मसला विचाराधीन है ।

विवरण—जारी

मांग	वर्तमान स्थिति
6. सभी वेतन मामों में गतिरोध दूर करना और गतिरोध वेतन वृद्धियां मंजूर करना	6. यह मसला केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियोंसेसंबंधित है औरयह विचाराधीन है ।
7. पन्द्रहवें वर्ष में पहली पदोन्नति और पच्चीसवे वर्ष में दूसरी पदोन्नति ।	7. विभागीय परिषद् में मसला विचाराधीन है ।
8. रजिस्टर्ड चिकित्सकों के चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्वीकार करना ।	8. रजिस्टर्ड चिकित्सकों के प्रमाणपत्र स्वीकार करने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं।
9. डाक-तार विभाग में वरिष्ठता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करना।	9. यह कार्य पूरा किया जा चुका है ।
10. वर्दी पानेवाले कर्मचारियों को सिलाई के साथ कपड़ा सप्लाई करना ।	10. यह मसला विभागीय परिषद् में विचाराधीन है ।
11. डाक-तारविभाग मेंछुट्टी रिजर्वकर्मचारियों का प्रतिशत बरकरार करना और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में भी समान प्रतिशत लागू करना ।	11. इस मसले पर पहले विचार किया जा चुका है और इसे नामंजूर कर दिया गया है ।
12. चपरासियोंके पदों सहित पदों की रचना पर लगा प्रतिबंध हटाना ।	12. प्रतिबंध में ढील देने के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।
13. काम के घंटे, समयोपरि भत्ता, विभक्त ड्यूटी खाने की छुट्टी अल्प छुट्टी रात्रि गुणांक (नाइट कोएफिशिएट) संबंधी सभी मसलों का निपटान ।	13. यह मामला विभागीय परिषद् में विचाराधीन है ।
14. डाकतार कर्मचारियो के लिए रेलवे विभाग के पैमाने पर क्वार्टर बनाना ।	14. निधियां उपलब्ध होने के अनुसार कर्मचारियो के क्वार्टर बनाए जा रहे हैं ।
15. पुष्टि परीक्षा समाप्त करना	15. इस मसले पर पहले विचार किया जा चुका है और इसे नामंजूर कर दिया गया है ।

महाराष्ट्र डाक-तार मंडल में कर्मचारियों की कमी

9195. **श्री आर० के० महालगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकतार विभाग के महाराष्ट्र मंडल में कर्मचारियों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार पदों की संख्या कितनी है और उक्त पदों के लिये कर्मचारियों की कब से कमी है ;

(ग) यह कमी दूर करने के लिये गत वर्ष में क्या विशेष कदम उठाये गये थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) : यह सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में औषधियों की कमी

9196. **श्री राम नरेश कुशवाह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में गत एक महीने से आवश्यक औषधियां उपलब्ध नहीं है और रोगियों से, यहां तक कि हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों से भी "स्टाक नहीं है" कह दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि औषधालयों द्वारा दिये गये 'इन्डेन्टों' के अनुसार औषधियों की पूर्ति नहीं की गई है और गत एक से दो महीने की अवधि से मांगपत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न औषधालयों द्वारा किन-किन तारीखों को मांग पत्र भेजे गये और इन मांगपत्रों के अनुसार औषधियों की कब तक पूर्ति होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : जी नहीं । अधिकांश औषधियां हमेशा उपलब्ध रहती हैं और मांगों के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न औषधालयों को सप्लाई की जाती हैं । हृदय रोग से पीड़ित रोगियों की दवाइयां औषधालयों को नियमित रूप से सप्लाई की जा रही हैं और उनका स्टाक कभी भी समाप्त नहीं होता है । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भण्डार में जो औषधियां उपलब्ध न हों उनके संबंध में औषधालयों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थानीय खरीद की अनुमति दे दी जाती है ।

मेडिकल स्टोर्स डिपुओं को औषधालयों द्वारा भेजे गये मांगपत्र पूर्ति के लिए एक सप्ताह या दस दिन से अधिक समय तक रुके पड़े नहीं रहते हैं । नियमित तिमाही मांग पत्रों के अतिरिक्त प्रभार चिकित्सा अधिकारी आवश्यकता होने पर पूरक मांगपत्र भी भेजते हैं और अपेक्षित औषधियां कुछ दिनों के अन्दर सप्लाई कर दी जाती हैं । तत्काल अपेक्षित मदों के लिए प्रत्येक औषधालय सप्ताह में दो बार 'दस्ती' मांगपत्र भेजते हैं और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भंडार में इन औषधियों की रसीद मिलने के अगले दिन ये औषधियां सप्लाई कर दी जाती हैं ।

(ग) अप्रैल के महीने में विभिन्न औषधालयों द्वारा भेजे गये मांगपत्रों की तारीखों और उन पर औषधियों के वितरण की तारीखों का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा / देखिए संख्या एल० टी० 2243/78**]

राजस्थान में पब्लिक काल आफिस प्रदान करना

9197. **चौ० हरीराम मक्कासर गोदार :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ग्राम विकास नीति के अधीन ग्राम पंचायत भवनों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो उक्त योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ; और

(ख) राजस्थान के कितने गांवों में अब तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है और क्या यह सुविधा और आगे सभी गांवों में प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सभी ग्रामपंचायत भवनों में टेलीफोन सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राजस्थान में अभी तक 718 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की सुविधा दी जा चुकी है। अन्य जो गांव विवरण में दी गई शर्तों को पूरा करेंगे वहां भी उत्तरोत्तर यह सुविधा देने का प्रस्ताव है।

विवरण

घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलिफोन घर और संयुक्त डाक तार घर जैसी दूरसंचार सुविधाएं देने के बारे में निती

क्र० सं० श्रेणीगत स्थान	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में शर्त	तारघर खोलने के बारे में शर्त
1. जिला मुख्यालय 2. उपमंडल मुख्यालय	इन स्थानों पर घाटे के बावजूद और न्यूनतम आय की किसी शर्त के बिना लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था उत्तरोत्तर कर दी जाएगी।	इन स्थानों पर घाटे के बावजूद और न्यूनतम आय की किसी शर्त के बिना तारघरों की व्यवस्था उत्तरोत्तर कर दी जाएगी।
3. तहसील मुख्यालय		
4. उप तहसील मुख्यालय		
5. खंड मुख्यालय		
6. सामान्य क्षेत्रों में 5000 या इससे अधिक (पिछडे और पहाड़ी क्षेत्रो में 2500 या इससे अधिक) आबादी वाले स्थान		
7. ऐसे पुलिस थानों वाली जगहें जो किसी पुलिस दरोगा या उससे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी के चार्ज में हों	सामान्य क्षेत्रो में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रो में 15 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होनी चाहिए।	सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होनी चाहिए।

विवरण —जारी

क्र०सं० श्रेणीगत स्थान	लम्बी दुरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने के बारे में शर्त	तारघर खोलने के बारे में शर्त
8. दूर दराज के स्थान	(क) किसी मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० (अरीय दूरी) से अधिक दूर होना चाहिए ।	(क) किसी मौजूदा तारघर से 20 कि०मी० (अरीय दूरी) से अधिक दूर होना चाहिए ।
	(ख) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होनी चाहिए।	(ख) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होनी चाहिए।
		(ग) अनुमानित घाटा प्रति वर्ष सामान्य क्षेत्रों में 2000 रु० और पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए ।
9. पर्यटक/तीर्थ केन्द्र कृषि / सिंचाई/ बिजली परियोजना स्थल/ बस्तियां	(क) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्र० श० पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्र० श० और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होनी चाहिए ।	(क) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्र०श० और पहाड़ी क्षेत्रों में 10 प्र०श० होनी चाहिए ।
		(ख) अनुमानित घाटा प्रतिवर्ष सामान्य क्षेत्रों में 2000 रु० और पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में 5000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
10. अन्य सभी स्थान	वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होने पर	वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होने पर।

टिप्पणी- 1. आबादी के आंकड़ों पर विचार करते समय केवल कस्बे या गांव की आबादी पर विचार करना चाहिए न कि कस्बे या गांव के समूह की आबादी पर।

2. श्रेणी 8 और 9 के अंतर्गत खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में 200 तक सीमित रहेगी ।

3. श्रेणी 9 के अंतर्गत खोले जाने वाले तारघरों की संख्या 100 तक सीमित रहेगी जो कि इस श्रेणी के अंतर्गत खोले जाने वाले 200 सार्वजनिक टेलीफोन घरों के अलावा होगी ।

4. यदि प्रस्तावित तारघर से 8 किलोमीटर के भीतर पहले से ही एक दूसरा तारघर काम कर रहा हो तो कोई भी तारघर घाटे पर नहीं खोला जाना चाहिए ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

9198. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन करने और उनके कार्यकरण संबंधी नीति की सरकार ने समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य में जो टेलीफोन सलाहकार समितियां गठित की जा रही है, उनकी संख्या, स्थान और सदस्यों के नामों संबंधी पृथक पृथक ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) अब प्रत्येक टेलीफोन जिले के लिए एक और टेलीफोन जिलों को छोड़कर प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है। बंबई, कलकत्ता और दिल्ली की टेलिफोन समिति में 31 सदस्य, मद्रास की समिति में 21 सदस्य, अन्य प्रत्येक बड़े जिले और राज्य की समिति में जहां की एक्सचेंज क्षमता 50000 लाइनों से अधिक है, 16 सदस्य तथा छोटे जिलों और अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सलाहकार समिति में 12 सदस्य होंगे। फिलहाल टेलीफोन सलाहकार समितियों की कुल संख्या 50 होगी। इन समितियों में संसद्, राज्य विधान मंडल, राज्य प्रशासन, स्थानीय निकाय, प्रेस, चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य हितों के प्रतिनिधि होंगे। टेलीफोन सलाहकार समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं:—

(1) टेलीफोन का उपयोग करने वाली जनता और डाक-तार विभाग के बीच निकट का संबंध स्थापित करना।

(2) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतें उचित ढंग से प्रस्तुत की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है।

(3) स्थानीय और ट्रंक सेवाओं को बेहतर बनाने के बारे में विभाग को सलाह देना।

(4) टेलीफोन सेवा को बेहतर बनाने और उसका विकास करने के लिए विभाग जो कार्रवाई कर रहा है, उसका प्रसार करना।

(5) जनता के सहयोग और सहनशीलता से टेलीफोन उपस्कर और लाइनों की वर्तमान कमी पर काबू पाने के लिए विभाग की सहायता करना।

(ग) महाराष्ट्र में पांच टेलीफोन सलाहकार समितियां है :

1. बंबई टेलीफोन जिले के लिए बंबई में (गठित)
2. पुणे टेलीफोन जिले के लिए पुणे में (गठित)
3. नागपुर टेलीफोन जिले के लिए नागपुर में (गठित)
4. महाराष्ट्र राज्य के लिए (नागपुर, पुणे और बम्बई टेलीफोन जिलों के अलावा) बंबई में (गठन किया जा रहा है)
5. गोवा, दमण और दिव के लिए पणजी में (गठन किए जाने की प्रक्रिया में) उपर्युक्त टेलोफोन सलाहकार समितियों के गठन का ब्यौरा विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

टेलीफोन सलाहकार समिति से संबंधित वर्तमान नीति के अनुसार महाराष्ट्र में 5 टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जाना है। इनके ब्यौरे निम्नलिखित है :—

टेलीफोन सलाहकार समिति के स्थान का नाम	गठन		कैफियत
1. बम्बई (बम्बई टेलीफोन जिला)	1. राज्य प्रशासन .	1	
	2. राज्य विधान मंडल .	3	
	3. जिले में नगर निगम नगर निकाय . .	2	24-1-78 को गठित
	4. संसद् सदस्य . .	3	
	5. प्रेस . . .	3	
	6. चिकित्सा व्यवसाय .	1	
	7. कानूनी व्यवसाय .	1	
	8. अन्य व्यवसाय—इंजीनियर, वास्तुक आदि . .	1	
	9. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग . .	8	
	10. सार्वजनिक कार्यकर्ता और अन्य .	8	
	योग .	31	
2. नागपुर (नागपुर टेलीफोन जिला)	1. राज्य प्रशासन .	1	
	2. राज्य विधान मंडल .	1	
	3. नगर निगम या नगर निकाय . .	1	
	4. संसद् सदस्य . .	2	
	5. प्रेस . .	1	
	6. चिकित्सा व्यवसाय .	1	9-12-77 को गठित
	7. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग . .	2	
	8. सार्वजनिक कार्यकर्ता .	3	
	योग .	12	
3. पुणे (पुणे टेलीफोन जिला)	वही	वही	17-12-77 को गठित

विवरण—जारी

टलीफोन सलाहकार समिति के स्थान का नाम	गठन		कैफियत
4. बम्बई (महाराष्ट्र राज्य टेलीफोन सलाहकार समिति सिवाय ऊपर बताई गई (1), (2), (3) और (5) के अलावा)	1. राज्य प्रशासन .	1	
	2. राज्य विधान मंडल .	2	गठन के संबंध में कार्रवाई चल रही है।
	3. संसद् सदस्य . .	2	
	4. प्रेस . .	1	
	5. चिकित्सा व्यवसाय .	1	
	6. कानूनी व्यवसाय .	1	
	7. इंजीनियर, वास्तुक आदि जैसे अन्य सभी व्यवसाय .	1	
	8. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग . .	3	
	9. सार्वजनिक कार्यकर्ता तथा अन्य .	4	
	योग	16	
5. गोवा, दमण और दिव	1. राज्य प्रशासन .	1	
	2. राज्य विधान मंडल .	2	
	3. संसद् सदस्य . .	2	गठन के संबंध में कार्रवाई चल रही है।
	4. प्रेस . .	1	
	5. चिकित्सा व्यवसाय .	1	
	6. व्यापार, वाणिज्य और उद्योग . .	2	
	7. सार्वजनिक कार्यकर्ता .	3	
	योग	12	

क्रम सं० 5 के संबंध में यह सूचित करना है कि संघ शासित प्रदेश गोवा, दमण और दिव के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन महाराष्ट्र दूरसंचार के जनरल मैनेजर करेंगे। हालांकि दमण और दिव गुजरात दूरसंचार के जनरल मैनेजर के सीमाक्षेत्र में आते हैं फिर भी महाराष्ट्र दूरसंचार के जनरल मैनेजर इसके संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी द्वारा मेकोन के विरुद्ध भारतीय राजदूत से विरोध प्रकट किया जाना

9199. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी ने भारतीय राजदूत के सामने एक सरकारी उपक्रम 'मेकोन' के बारे में उसके द्वारा राउरकेला इस्पात संयंत्र को 'थाइरस्टर कन्ट्रोल्ड ड्राइव्ज' की सप्लाई किये जाने पर विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का विरोध प्रकट किया गया है और उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

आपात स्थिति के दौरान इस्पात संयंत्रों में सेवा से हटाये गये कर्मचारी

9200. **श्री ए० के० राय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री दिनांक 30 मार्च, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सेवा से हटाये गए और बाद में बहाल किये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कथित आरोप क्या थे; और

(ख) क्या यह सच है कि बोकारो जैसे अन्य इस्पात संयत्रों में अधिकतर पीड़ित कर्मचारी अभी भी सेवा से बाहर हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) आपात स्थिति के दौरान दुर्गापुर इस्पात कारखाने के जिन 19 कर्मचारियो को नौकरी से हटाया गया था, उनमें से 7 कर्मचारियों को अंसुका (मीसा) / भारत रक्षा नियम (डी० आई० आर०) के अन्तर्गत पकड़े जाने से उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण नौकरी से हटाया गया था। शेष 12 कमचारियों को नौकरी से इसलिए हटाया गया था क्योंकि उनका सम्बन्ध उन पार्टियों आदि से था जिन पर उस समय प्रतिबन्ध लगा हुआ था ।

(ख) जी, नहीं ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) इस्पात (सीमेंट) आदी जैसी मकान निर्माण सामग्री की कमी का समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : वर्ष 1977 के लिए 190 लाख टन सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जबकि उत्पादन केवल 160 लाख टन ही हुआ और लगभग 30 लाख टन का उत्पादन कम हुआ। हाल ही में दक्षिण भारत में आये समुद्री तूफान से स्थिति और भी बदतर हो गई। पुनर्वास कार्य के लिए सीमेंट की मांग में और अधिक वृद्धि हो गई, जो कि पहले ही उपलब्ध नहीं हो रही थी । इसके फल स्वरूप सीमेंट की चोर-बाजारी बड़े पैमाने पर होने लगी ।

इस्पात की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। वर्ष 1977-78 के लिए 80-60 लाख टन लौह पिंड इस्पात तथा 70 लाख टन बेचे जाने वाले इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। उत्पादन के इस लक्ष्य में भी क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 5.1 प्रतिशत की कमी हुई है ।

कुछ राज्यों में बिजली की कटौती, उपयुक्त मात्रा में कोयला न मिलने तथा असंतोष-जनक औद्योगिक सम्बन्धों के फलस्वरूप इस्पात तथा सीमेंट के उत्पादन में कमी हुई है।

विशाखापट्टनम् तथा विजयानगरम् में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो लघु इस्पात संयंत्र लगाये जाने थे, अभी तक दुर्भाग्यवश उनका कार्य आयोजना चरण में है। दक्षिण राज्यों में स्थिति केवल गंभीर ही नहीं है अपितु वहां सभी प्रकार के विकास कार्य ठप्प हो गये है। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह सम्पूर्ण स्थिति का पुनर्बेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि भवनों, सडकों और अन्य आर्थिक कार्यों को जारी रखने के लिए कर्नाटक सहित सभी राज्यों को सीमेंट तथा इस्पात उपलब्ध करवाया जाये।

(दो) मलयालम प्लांटेशन्स लिमिटेड नामक एक ब्रिटिश कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके एक भारती कम्पनी को शेयरों का कथित अन्तरण

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मलयालम प्लांटेशन्स लिमिटेड नामक कम्पनी ब्रिटेन में पंजीकृत है जिसका पंजीकृत कार्यालय लंदन में है। संसद द्वारा वर्ष 1973 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के पारित होने से लेकर अब तक यह कम्पनी इस अधिनियम को पारित करने के उद्देश्य को समाप्त करने का प्रयत्न करती चली आ रही है तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करके शेयरों का अन्तरण करती जा रही है। मलयालम प्लांटेशन्स का सारा खर्चा वर्ष 1977 से मलायालम प्लांटेशन्स (होलिडंग्ज) लिमिटेड; द्वारा चलाया जाने लगा जिसके अधिकांश भागीदार ट्रस्ट तथा बैंक आदि थे।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार मलयालम प्लांटेशन्स को 31 मार्च, 1978 तक अपनी सम्पूर्ण पूंजीनिवेश भारतीय मुद्रा में करना होगा। अब हमें यह पता चला है कि जो इस कम्पनी से सम्बद्ध है, उनका सम्बन्ध एक अन्य भारतीय कम्पनी से भी है। मलयालम प्लांटेशन्स (इंडिया) लिमिटेड कोचीन का उद्देश्य ब्रिटेन स्थित कम्पनी के परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में लेना चाहती है। नई कम्पनी का अधिकृत पूंजी-निवेश 5 करोड़ रुपये का है जबकि तुलना-पत्र के अनुसार ब्रिटेन की कम्पनी की परि-सम्पत्तियां 7 करोड़ रुपये की है तथा यदि उनका वर्तमान मूल्यों के अनुसार मूल्यांकन किया जाये तो उनका मूल्य 20 करोड़ रुपये से भी अधिक होगा। ऐसा भी समाचार है कि कुछ समय पूर्व रिजर्व बैंक को दिये गये विवरण में इस कम्पनी ने 25 करोड़ रुपयों की परिसम्पत्तियां दर्शायी थी। यदि जाली आंकड़ों के आधार पर यह प्रस्तावित सौदा होने दिया गया तो इससे सरकार को स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य करों सम्बन्धी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

इस कम्पनी का अधिकांश व्यापार रबड़ का होता है तथा इसीलिए इसे रबड़ कम्पनी के नाम से जाना जाता है। अब यह कम्पनी बेबदाश्त तरीके से बिना पकी हुई रबड़ की फसल को काटती जा रही है ताकि इसे लाभ कम्पनी घोषित किया जा सके। चूंकि इससे संसद तथा सरकार को विदेशी पूंजीनिवेश पर निर्भरता समाप्त करने की आशा धूमिल हो जायेगी, अतः वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये।

(तीन) उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रूद्रपुर में लड़कियों के अनैतिक व्यापार का समाचार

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Recently, an inter-State gang of criminals engaged in trafficking of girls has been arrested in Rudrapur in Deoria District of Uttar Pradesh. During the last 6 months, 120 innocent girls have been sold most of whom were brought from non-Hindi speaking states such as Kerala, Karnataka and West Bengal and tribal areas. This is a matter of national concern. Let the Government set up a special crime cell to eradicate this immoral trade.

(चार) आर०बी०एच०एम० जूट मिल्स, कटिहार के बन्द होने का समाचार

Shri Yuvraj (Katihar) : For the last two years about 4000 workers of the R. B. H. M. Jute Mills, Katihar and the members of their families have been starving as a result of closure of the Mill. When the condition of these people became serious the District Magistrate ordered for distribution of foodgrains worth Rs. 6 lakh among them. But after two months this was stopped. As a result, these people are dying of starvation. It is high time for the Government to take over the Mill and restart it so that these people can be saved.

(पांच) कोयले की भारी कमी के कारण महाराष्ट्र राज्य में बिजली की स्थिति का समाचार

श्री वसंत साठे (अकोला) : समाचार है कि कोयले की भारी कमी के कारण महाराष्ट्र में बिजली का संकट पैदा हो गया है। कोरडी के सुपरताप बिजली घर के पास केवल 1 दिन के लिए बिजली पैदा करने का स्टाक है। यदि अगले 24 घंटे में कोयला वहां नहीं पहुंचता तो 120 मेगावाट का एक यंत्र सेट बंद करना पड़ेगा जैसा कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के एक टेक्निकल सदस्य ने बताया है। कोरडी स्टेशन से बिजली पश्चिमी महाराष्ट्र के शोलापूर खरड आदि स्थानों तक पारेषित की जाती है। अतः बिजली की कमी का राज्य के सभी भागों पर बुरा प्रभाव होगा।

बोर्ड ने डब्ल्यू सी एल से बार-बार अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र में बिजली घरों को कोयले की पूरी मात्रा दी जाये लेकिन उसका कोई फल नहीं निकला। केन्द्रीय अधिकारियों को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा को विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1978, जो लोक सभा द्वारा 27 अप्रैल, 1978 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

कार्य-मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

17 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 17 वें प्रतिवेदन से जो 3 मई, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 17 वें प्रतिवेदन से, जो 3 मई, 1978 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित
TOBACCO BOARD (AMENDMENT) BILL—INTRODUCED

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री मोहन धारिया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० राममूर्ति (धरमपूरी) **:** तारांकित प्रश्न संख्या 977 के, जिसका उत्तर आज सुबह दिया गया है, सम्बन्ध में मैं अपना टेलीफोन बिल भेज रहा हूं जो हिन्दी में छपा हुआ है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री जी को गलती ठीक करने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

'पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1978–83' के बारे प्रस्ताव—**जारी**
MOTION *RE:* DRAFT FIVE YEAR PLAN 1978—83—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब 3 मई, 1978 को श्री मोरारजी आर० देसाई द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी :

"कि यह सभा 'पंचवर्षीय योजना की प्रारुप 1978-83' पर, जो 26 अप्रैल, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री० पी० के० देव अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : 9 अप्रैल को अपर इन्द्रावती परियोजना का शिलान्यास रखे जाने से मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है । आशा है यह पिछड़ा क्षेत्र भी अब समृद्ध हो जायेगा । लेकिन खेद है कि योजना के प्रारुप में इस परियोजना कोई उल्लेख नहीं है । अतः मेरा सुझाव है कि इस परियोजना को प्रारुप में शामिल किया जाये ।

तापीय केन्द्र कोयला, लिगनाइट या परमाणु इंधन जैसे स्रोतो पर आधारित होते है जिन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । साथ ही उनसे पर्यावरण भी दूषित होता है । अतः पन-बिजली संसाधनों का पूरा लाभ उठाया जाये । इन्द्रावती परियोजना की सभी तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है उसका कार्य अविलम्ब शुरू किया जाये ।

योजना के प्रारूप में क्षेत्रीय असमानता दूर करने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है । इसी पुरानी बात को पिछले 25 वर्षों के आयोजन में दोहराया जाता रहा है और अमीर-गरीब के बीच खाई चौड़ी होती गई है । पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु साहसिक उपायों की जरूरत है ।

राज्यवार योजना परिव्यय को देखने से लगता है कि समृद्ध राज्यों को अधिक धन आवंटित किया गया है । आशा थी कि इस योजना में तो यह प्रवृत्ति बदल जायेगी । लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है ।

योजना के प्रारुप में यह ठीक ही कहा गया है कि मुख्य पूलों, सड़कों, विपणन सुविधाओं, श्रम प्रशिक्षण में निवेश, ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों तथा अन्य ऐसे ही संस्थानों को विकसित किया जाये और भूमि सुधारों, प्रशासनिक परिवर्तनों तथा योजना कार्यान्वियन क्षमताओं के विकास हेतु सहायता दी जाये । लेकिन इस में मद्य निषेध नीति के कार्यान्वियन को शामिल नहीं किया गया ।

प्रधान मंत्रीजीने जब नीति घोषित की तो सबसे पहले समर्थन करने वालों में मैं भी था और मैंने उन्हें लिखा था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आई टी डी पी के कार्य वाले आदिवासी क्षेत्रों में इस नीति को तुरंत अमल में लाया जाये । प्रधान मंत्री ने लिखा कि मुझे राज्य सरकार पर दबाव डालना चाहिये । लेकिन दुर्भाग्य से शराब बंदी की नीति लागू करने की जगह उड़ीसा सरकार स्वयं ईस्ट कोस्ट बरेडरी की सहायता से शराब बना रही है । कहनी और कथनी में कुछ तो साम्य होना चहिये । निर्धनों की दशा सुधारने के लिये हमें शराब बंदी करनी पड़ेगी ।

प्रारूप में सरकार ने दक्षिणी उड़ीसा, विशेषकर कालाहांडी, कोरापुट और फूलबनी जिलों की पिछड़े क्षेत्र बता कर वहां की स्थिति स्पष्ट की है जहां 45% आदिवासी रहते हैं । लेकिन संवैधानिक संरक्षण दिये बिना इन क्षेत्रों का विकास संभव नहीं ।

खेद है कि प्रारूप में दक्षिणी उड़ीसा के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों के लिये अलग विकास बोर्ड गठित करने, विकास व्यय के लिए समान रुप से धन का आवंटन करने, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सेवाओं में रोजगार के समान अवसर देने के लिए संवैधानिक संरक्षण (महाराष्ट्र और गुजरात के सम्बन्ध में अनुच्छेद 371) का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज): विपक्ष ने विभिन्न आधारों पर पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की आलोचना की है। इस योजना में एक सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें लोगों को भागीदार नहीं बनाया गया है। किसी भी चरण पर भी ब्लाक समितियों से परामर्श करने की व्यवस्था नहीं रखी गई है। अतः इस योजना के बारे में राज्य तथा जिला समीतियों से परामर्श करना उपयोगी होगा और तत्पश्चात् ही राष्ट्रीय विकास परिषद् नवम्बर में अपनी बैठक में इस पर विचार करे अन्यथा इसे नौकर शाही योजना की संज्ञा दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखें।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 14 बजे तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after lunch at five minutes past Fourteen O Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधियों के संशोधन के संबंध में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING THE AMENDMENT OF THE ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY ACT AND STATUTES

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): 1965 और 1972 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में जब से संशोधन हुआ, तभी से मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में संशोधन अधिनियमों द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में वाद-विवाद रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि संशोधन अधिनियमों से विश्वविद्यालय के बुनियादी और ऐतिहासिक स्वरूप पर असर हुआ है और उसकी स्वायत्तता कम हुई है।

संसद में और संसद से बाहर दोनों ही ओर से बराबर यह मांग रही है कि विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्वरूप और उसके लोकतांत्रिक संचालन को फिर से स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने स्वयं एक समिति नियुक्त की जिसमें विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रों अर्थात् संकाय और छात्रों, पूराने छात्रों और गैर शिक्षण कर्मचारियों आदि का प्रतिनिधित्व था, और उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम और संविधियों के संशोधन के लिये अपने सुझाव देने के लिये कहा। समिति की रिपोर्ट अप्रैल, 1977 में सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

सरकार ने उपर्युक्त समिति और 1972 के संशोधन अधिनियम के पारित होने से पहले नियुक्त हुई बेग समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रश्न पर विचार किया।

इस मामले को लेकर भारत के मुसलमानों के एक बड़े वर्ग और विश्वविद्यालय के भूतपूर्व और वर्तमान कर्मचारियों और छात्रों में जो भारी प्रतिक्रिया पैदा की गई है इसमें उन पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार का यह विचार बना है कि संशोधन अधिनियमों

[श्री प्रताप चंद्र चंद्र]

द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति को यथा संभव ठीक करना चाहिए और 1951 में विद्यमान स्थिति की पर्याप्त रुप से पुनः स्थापना की जानी चाहिए। सरकार का यह भी विचार है कि समय बीतने के कारण कुछ संशोधन आवश्यक हो गए है तथा उसके एतिहासिक स्वरूप को पुनः स्थापित करना आवश्यक हो गया है । संशोधन विधेयक के मुख्य लक्षण इस प्रकार होंगे :—

(1) संविधि बनाने के अधिकार के साथ, कोर्ट की सर्वोच्च शासी हैसियत को पुनः स्थापना ।

(2) कोर्ट तथा कार्यकारी परिषद तथा वित्त समिति के 1951 के गठन का कुछ मामूली संशोधन के साथ पुनः स्थापन।

(3) अवैतनिक कोषाध्यक्ष के पद तथा कुलाधिपति और समकुलपति के कोर्ट द्वारा चुनाव की पद्धति का पुनः स्थापन।

(4) कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन ताकि कोर्ट तथा कार्यकारी परिषद दोनों उनके चुनाव में सही मायनों में भाग ले सकें।

(5) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निकायों के साथ छात्रों का सहयोजन।

(6) संविधियों में छात्र संघों, कर्मचारी संघों आदि से संबंधित उपबंधों को शामिल करना ।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के विशेष लक्षण—अर्थात् भारत के मुसलमानों को विशेषकर शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति की प्रोन्नति की संशोधन विधेयक में और स्पष्ट करने का प्रस्ताव है। शब्द "विश्वविद्यालय" की परिभाषा में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सके कि भूतपूर्व एम० ए० ओ० कालेज, अलीगढ़ जिसकी स्थापना भारत के मुसलमानों द्वारा की गई थी, 1920 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के रुप में निगमित किया गया था। 'स्थापना और' शब्दों को प्रस्तावना से निकाल देने का प्रस्ताव है। सरकार का प्रस्ताव विधेयक को संसद के चालू अधिवेशन में ही पेश करने का है ।

पंचवर्षीय योजना का प्रारुप 1978-83 के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION *RE:* DRAFT FIVE YEAR PLAN 1978—83—*Contd.*

श्री डी० एन० तिवारी: जहां तक योजना के प्रमुख उद्देश्यों का सम्बन्ध है, उनमें कोई अन्तर नहीं हो सकता । अब यह देखना है कि क्या योजना दस्तावेजों में निर्धारित योजनाओं द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है अथवा नहीं । यद्यपि पिछड़ेपन की सही रूप से परिभाषा नहीं बनाई जा सकती फिर भी पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिए चार या पांच मापदंडो को ध्यान में रखना चाहिए । वे चार पांच मापदंड इस प्रकार हैं। प्रति व्यक्ति आय, क्षेत्र में आधार भूत ढांचे का स्तर जनसंख्या घनत्व तथा शिक्षा तथा रोजगार की स्थिति। इन मापदंडों के आधार पर उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े क्षेत्र कहलाए जायेंगे। इन क्षेत्रों के विकास के अब तक पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए है अतः उनकी निर्धनता को दूर करने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जानी

चाहिए। इन पिछड़े क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों के आर्थिक पिछड़ेपन को दुर करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन कोई अधिक नहीं हुआ है। इस देश में पैदा होने वाले खाद्यानों की कोटि तथा मात्रा में सुधार करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने चाहिएं । यद्यपि कृषि अनुसंधान क्षेत्र में कुछ कार्य किया गया है फिर भी इस पर जितनी धनराशि व्यय की गई है तथा जितना समय लगाया गया है उसके बराबर काम नहीं हुआ है । अतः सरकार को कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि सुचारू रूप से वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान चलता रहे।

लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। अखिल भारतीय औसत प्रति व्यक्ति 100 यूनिट है। किन्तु बिहार में यह प्रति व्यक्ति केवल 10 यूनिट है। यद्यपि बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, किन्तु वे योजनाएं अधिकांशतः दक्षिण बिहार में हैं। उत्तरी बिहार में नहीं है। प्रधान मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तरी बिहार में बिजली के लिए प्रावधान बढ़ाया जाये और लोगों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उन्हें प्रति-वर्ष प्रति व्यक्ति 25 यूनिट बिजली मिलेगी।

उत्तरी बिहार में औसत साक्षरता 16.91 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय औसत 35 प्रतिशत है। साक्षरता के मामले में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय औसत के समान लाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। अतः शिक्षा के मामले में उत्तरी बिहार को अन्य राज्यों या अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए धन का अधिक प्रावधान करना चाहिए ।

उत्तरी बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है। किन्तु इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है। पटना को बाढ़ से बचाने के लिए कम से कम 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिए । गंगा की दक्षिण दिशा की ओर थोड़ा बहुत काम हुआ है किन्तु उत्तरी भाग में कुछ नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए गंगा के उत्तरी क्षेत्र में भी उसी तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों को बाढ़ से पीड़ित न होना पड़े ।

उत्तरी बिहार में रोजगार प्रतिशतता बहुत कम है जो कि केवल 3.9 प्रतिशत है। उत्तरी बिहार में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण का विशेष कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए ताकि इन क्षेत्रो में रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकें।

श्री बी० अरूणाचलम (तिरूनेलवली) : राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को मतैक्य से स्वीकार किया गया है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना तैयार करते समय योजना आयोग ने सही भावना से काम किया हैं। यह एक अपरिहार्य आर्थिक प्रवृत्ति है कि बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ती हुई लागत तथा मुद्रास्फीती के कारण छटी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय से अधिक होगा।

[श्री वी० अरुणाचलम]

योजना आयोग ने योजना में बेरोजगारी दूर करने, बेसिक सेवाओं का उपबन्ध करने और आय तथा सम्पत्ति में वर्तमान असमानता को दूर करने के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं।

यदि हम प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारुपों को देखे तो हमें पता चलेगा कि इनमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं किए गए हैं। प्राथमिकता का क्रम इस ढंग से व्यवस्थित किया गया है जिससे ऐसा लगता है कि पुराने निर्लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए गतिशिल दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

योजना में प्रत्याशित समग्र विकास दर 4.7 प्रतिशत वार्षिक है जबकि चुनाव के समय जनता पार्टी ने विकास दर को बढ़ाकर 7 प्रतिशत वार्षिक करने का आश्वासन दिया था । परन्तु इसमें भी सन्देह है कि योजना अवधि में इस विकास दर की भी पूर्ति हो।

ताजा आंकड़ों के अनुसार बेकार व्यक्तियों की कुल संख्या 20.6 मिलियन है। आशा की जाती है कि इस सूची में प्रतिवर्ष 5 मिलियन की वृद्धि होगी। बेरोजगारी की राज्य-वार समीक्षा करने से पता चलता है कि कुल बेरोजगार व्यक्तियों का 67% 6 राज्यों में है। ये राज्य हैं--तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल। राज्यों में तेजी से बेकारी को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। विभिन्न कारणों से संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की गति बहुत धीमी है । अत: आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये हमारे योजना आयोग ने कृषि और सम्बन्धित क्षेत्रों जैसे सिंचाई आदि और लघु उद्योगों म उपबंध करके सही कदम उठाया है ।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास सन्तोषजनक नहीं है। धीमी प्रगति का एक कारण भूमि सुधारों को कारगर ढंग से लागू न करना है। प्रारूप योजना में उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार वितरित की गई भूमि का क्षेत्रफल अनुमानित फालतू भूमि के एक चौथाई से भी कम है। हमे मालूम नहीं कि सरकार शेष तीन चौथाई को अपने हाथों में लेने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ।

योजना आयोग ने कृषि जोत कर लगा कर, सिंचाई दरों में संशोधन करके और बिजली शुल्क बढ़ाकर तथा बसों के किराये बढ़ाकर राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने का सुझाव दिया है। राज्यों के लिये राजस्व बढ़ाने के ये साधन ठीक नहीं है । जनता से निकट का सम्बन्ध रखने वाली सरकार के लिये ऐसे सुझावों को लागू करना व्यावहारिक नहीं है ।

पहली चार योजनाओं में योजना आयोग ने राज्य योजनाओं के लिये धन आवंटित करने, राज्य योजनाओं के पूंजी व्यय, विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे और राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं और राज्य योजनाओं के लिये केन्द्र की सहायता आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है । जहां तक इस प्रारूप की सम्बन्ध है, राज्य योजनाओं सम्बन्धी ये सब बात जानबूझ कर छोड़ दी गई हैं। हमें प्रत्येक

राज्य की उपलब्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वित्त का संघीय ढांचा तथा आर्थिक ढांचा सदैव के लिये समाप्त कर दिया गया है। प्रधान मंत्री सभा को स्पष्ट करें कि प्रारूप योजना में राज्य योजनाओं का वर्णन क्यों नहीं किया गया है? हमें आशंका है कि यह सरकार हमारी राजनीतिक पद्धति की संघीय ढांचे को समाप्त करने के लिये सभी कदम उठा रही है।

जब तक राज्य सरकारों को पर्याप्त राजस्व संसाधन नहीं दिये जाते, तब तक योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। अतः प्रधान मंत्री को समय को देखते हुए राज्यों की शक्तियों को बढ़ाने के लिये कदम उठाने चाहिए। राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन और शक्तियां देने के बिना कोई योजना सफल नहीं हो सकती।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : कुछ वक्ताओं ने कहा है कि पिछली सरकार का ध्येय विकास 3% को सात प्रतिशत करने का था और वर्तमान सरकार ने इसे कम कर दिया है। परन्तु पिछली सरकार की वास्तविक उपलब्धी लगभग 3 प्रतिशत थी। अब हमने कहा है कि विकास दर सम्बन्धी हमारा लक्ष्य 4.7 प्रतिशत का है और हम 4.7 प्रतिशत अधिक उपलब्धी करेंगे, यदि योजनाओं को उसी भावना से लागू किया जाता है जिससे वे बनाई गई थीं।

गत 30 वर्षों में आयोजना के परिणामस्वरूप वास्तव में असमानताओं में वृद्धि हुई है और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है।

हमें इस बात पर गर्व है कि खाद्य के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु देश में कुपोषिण की क्या स्थिति है? कुपोषित बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अतः उत्पादन तथा योजना की उपलब्धि का लोगों के कल्याण तथा भलाई से जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए कुछ करने के लिए वर्ष योजना में कुछ प्रयास किया गया है।

श्री स्टीफन ने कहा है कि वर्तमान योजना के कोई आश्चर्यजनक उपलब्धि नहीं होगी। यह सच है कि स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या 40 प्रतिशत से बढ कर 60 प्रतिशत हो गई है, परन्तु साथ साथ यह भी सच है कि अशिक्षित प्रौढ़ों की संख्या बढ़ कर 20 करोड़ हो गई है।

अतः इस बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। शिक्षा के समूचे ढांचे में आमूल-मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा से लोग आत्मनिर्भर बन सके और असन्तुष्ट न रहें। असमानता ो दूर करने के लिए लम्बी चौड़ी बातें की जा रही है। यह अच्छी बात है कि इस योजना में क्षेत्रीय आयोजना के सिद्धांत पर जोर दिया गया है और विकास के मार्ग में असमानता को दूर करने के लिये अधिकतम ध्यान दिया गया है। फिर भी क्षेत्रीय स्तर पर आयोजना की जानी चाहिए। क्षेत्रीय आयोजना न केवल उत्पादन के लिये ही ठीक होगी अपितु खपत के लिये भी ठीक रहेगी।

यह खुशी की बात है कि श्री तिवारी ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का एक कम जन संख्या वाला क्षेत्र है, अच्छी भूमि काफी मात्रा में है और यदि इसकी सिंचाई की व्यवस्था की जाये तो यह सारे उत्तर प्रदेश को अनाज सम्बन्धी जरुरतों को पूरा कर सकता है। छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये बहुत संभावनाएं हैं, इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान दने का यह समुचित असवर है ताकि बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त इन छोटी योजनाओं

[डा० सुशीला नायर]

को भी लागू किया जा सके जहां तक बड़ी योजनाओं का सम्बन्ध है हमारे क्षेत्र में राजघाट योजना बहुत वर्षों से लंबित पड़ी है । अतः मंत्री महोदय को राजघाट योजना को यथाशीघ्र पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए ।

बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में छोटे तथा कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। हथकरघा, खादी तथा कारखाने से कपड़ों के लिये पृथक पृथक क्षेत्र निर्धारित किये जाने चाहिये । छोटे उद्यामियों को उचित दर पर ऋण दिया जाना चाहिये । उन्हें मार्केट तथा स्टोर की सुविधायें भी दी जानी चाहिये । शुष्क खेती तथा बनों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाये बिना हमें सफलता नहीं मिलेगी । इसे क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर किया जाना चाहिये लेकिन इसके लिए जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जाना चाहिये और भूतपूर्व सरकार के गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिये । लेकिन छोटे परिवार वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : कृषि और ग्रामीण विकास के लिये 1978-83 की पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसका कारण यही नहीं कि देश की अधिकांश जन संख्या कृषि पर निर्भर करती है बल्कि यह भी है कि हमारी खपत की जरुरतें कृषि से पूरी होती है और इससे कृषि पर आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलता है । एक अथवा दूसरे रूप में देश मे लगभग 70 प्रतिशत लोगों को कृषि से रोजगार मिला हुआ है ।

पहली योजनाओं के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह पर्याप्त नहीं है । कृषि उत्पादन के उतार चढ़ाव के कारण कुछ वर्षों में काफी मात्रा में आयात करना पड़ा जिसका हमारे साधनों पर काफी भार पड़ा । उतार चढ़ाव से मुद्रास्फिती भी हुई और जन पूंजी निवेश में भी कमी हुई अतः नई योजना के अन्तर्गत हमारा उद्देश्य उत्पादन के बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन को स्थिर करना भी है ।

इससे पहले मुख्य सिंचाई क्षेत्रों के विस्तार को अधिक महत्व दिया गया । अब हमें मालुम हुआ है कि विस्तार की अधिक सम्भावनायें नहीं हैं । अतः हम प्रति एकक उत्पादन में वृद्धि करते ने का प्रयास कर रहे हैं । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यम दर्जे की तथा बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये 3089 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है और इस योजना में इसे बढ़ाकर 7280 करोड़ रुपये कर दिया गया है। छोटी सिंचाई के लिये भी वित्तीय व्यवस्था के 792 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1725 करोड़ रुपये कर दिया गया है । बाढ़ नियंत्रण के लिए भी वित्तीय व्यवस्था 345 करोड़ रुपये से 675 करोड़ रुपये को गयी है । अगले पांच वर्षों के दौरान हमारा विचार 170 लाख हैक्टर जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाने का है जिसमें से 90 लाख हेक्टेयर छोटी सिंचाई तथा 80 लाख हेक्टेयर बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई द्वारा होगी ।

पिछली योजना के दौरान कृषि तथा अन्य तत्संबंधी कार्यक्रमों के लिये 4644 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी । इसे अब बढ़ाकर 9535 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

[**डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई ।**
DR. SUSHILA NAYAR *in the Chair.*]

कुटीर उद्योगों के लिये प्रावधान 330 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण आवास के लिये पांचवीं योजना के दौरान 55 करोड़ रुपये रखे गये थे जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है ।

हम फसल की सघनता अधिक उपज की पैदावार, अच्छे जल प्रबन्ध आदि आदि के लिये प्रयास कर रहे हैं। हम जल संरक्षण सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान कर रहे हैं।

राष्ट्रीय बीज योजना के अन्तर्गत अच्छे बीजों के विकास तथा प्रचार के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि अनुसंधान के लाभ ग्रामिणों तक पहुंचन चाहिये जिसके लिये विस्तार सेवा को मजबूत करना जरूरी है।

हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों को ऋण सुविधायें देने का प्रयास भी कर रहे हैं। हम मार्केटिंग स्टोर तथा प्रोसेसिंग सुविधायें प्रदान करने के प्रयास भी कर रहे हैं।

जहां तक भूमि सुधारो का सम्बन्ध है देश में 53.20 लाख एकड़ भूमि फालतू है जिसमें से पिछली सरकार ने 21.00 लाख एकड़ अपने कब्जे में ले ली थी और उन्होने वास्तव में केवल 12.90 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया। सरकार ने सत्ता संभालने के आठ महीने के अन्दर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि वितरित की है। कुछ ऐसी फालतू भूमि भी है जिसका पता नहीं है। इस योजना-मसौदे में हमने कहा है कि ऐसी भूमि का पता लगाया जाएगा। भूमि सम्बन्धी खातों को ठीक करने और वास्तव में फालतू भूमि के वितरण का काम पांच वर्ष में पूरा हो जाएगा।

हम भूमि सुधारों की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं। हम चकबन्दी के काम में भी सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा यह काम कुछ राज्यों में शुरू हो गया है। भूमिहीन लोगों को जो भूमि दी गई है वह बहुत खराब किस्म की है। इसलिए भूमि सुधार के साथ-साथ हम इन लोगों को दी गई भूमि को सुधारने का प्रयत्न भी कर रहे हैं।

हम विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। जिन प्रदेशों में विशेषकर असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में जहां सिंचाई सुविधाएं अच्छी हो हैं उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

भूमि के अपर बहुत सा पानी उपलब्ध है परन्तु उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हम इसके पूरे उपयोग के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

पिछली पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 1600 करोड़ रुपया रखा गया था। इस योजना में हमने यह राशि बढ़ाकर 3557 करोड़ रुपया कर दी। हम उस क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां बिजली उत्पादन क्षमता है परन्तु अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है।

ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

1978-83 की पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को 4 प्रतिशत तक बढाने का प्रयत्न है। पिछले दस वर्ष में यह वृद्धि 1.8 प्रतिशत रही है।

बहुत से क्षेत्रों में रोजगार आदि के अवसर बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। कृषि के साथ-साथ हमने डेयरी, मुर्गीपालन, पशुपालन, मछलीपालन, सुअरपालन और बहुत सी मदों के लिए भी प्रावधान किया है।

[श्री सुरजीतसिंह बरनाला]

हम ब्लाक, जिला और प्रान्तीय स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं। इस प्रकार हम नीचे से ही योजना का काम शुरू कर रहे हैं जिससे योजना लोगों की आवश्यकताओं के अनुरुप बन सकें।

देश के 5,100 ब्लाकों में से 3,000 ब्लाकों को किसी न किसी केन्द्रीय योजना की सेवाएं प्राप्त हैं। इनमें से 2000 ब्लाकों को हमने पूर्ण विकास के लिए लिया है। 20 प्रतिशत के लगभग अनुसूचित जातियों और जनजातियों वाले ब्लाकों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रतिवर्ष इसमें 300 ब्लाक लिए जाएंगे जिससे योजना के अन्त तक केवल 1600 ब्लाक शेष रह जाएंगे ।

श्री नानासाहिब बोंडे (अमरावती) : संसद के विचारार्थ एक अधूरी योजना रखी गई है। इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने दो दिन विचार कर यह निर्णय किया था कि राज्यों से परामर्श किया जाए और उनकी राय जानकर फिर गाडगिल फार्मूले पर भी विचार किया जाए। मैं माननीय प्रधान मंत्री से आशा करता हूं और उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि इस सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस मामले को फिर संसद के सामने रखा जाए।

इस मसोदे में निहित सिद्धान्तों से सभी सहमत हैं।

इस प्रारूप में इतने आश्वासन, इतनी योजनाएं दी गई हैं कि उनके कार्यान्वियन में सन्देह होने लगता है । हमें केवल धन के अधिक आवंटन से ही संतुष्ट नहीं होना चहिये । कृषि के लिए भी अधिक धन आवंटित किया गया है लेकिन देखना है कि क्या इससे दूर गांवों में रहने वाले गरीब किसान को कोई लाभ होगा। हमारा अनुभव है कि पिछले वर्षों में किसान की हालत सुधारने के लिए प्रभावी कार्य कुछ भी नहीं किया गया। कृषक को सदा ही आर्थिक कठिनाइयां रही हैं। इसका कारण उचित प्रशासन और प्रबन्ध व्यवस्था की कमी है। यह सुनिश्चित किया जाये कि जो भी योजना बने उसका अच्छी तरह कार्यान्वियन किया जाये ।

योजना तो ठीक है लेकिन उसे लागू करने के लिए जब तक सरकार प्रभावी कार्यक्रम नहीं बनाती और नितियों को लागू करने के लिए उचित तंत्र का निर्माण नहीं करती तब तक हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। क्या सरकार ऐसे तंत्र का केन्द्रीय स्तर पर निर्माण करेगी जो योजना कार्यों के कार्यान्वियन की प्रगति पर नजर रखे ? तभी हम अपना उद्देश्य पूरा कर पायेंगे और लक्ष्य प्राप्ति कर सकेंगे ।

अनवरत योजना से तात्पर्य यही है कि उसकी प्रगति की उपयुक्त जांच हो और उस पर नजर रखी जाये । मैं प्रधान मंत्री जो से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसके लिए तैयार हैं ?

योजना सही है । परन्तु योजना के परिणाम तभी उपलब्ध हो सकेंगे, जब उसके कार्यान्वियन के लिए उपयुक्त और स्वायत्त तंत्र हो। इस के लिए एक पृथक मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए, तभी हम यह आशा कर सकते है कि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। योजना प्रारूप में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि योजना को प्रगती पर नजर रखन के लिए कोई समिति आदि होगी ।

Shri Harikesh Bahadur (Gorakhpur) : Madam Chairman, I fell that such a concrete programme to remove economic disparities, as was required to be brought under the circumstances prevailing in the country, had not been brought forward in this Plan.

While taking steps for the development of cottage and small scale industries, attention should also be paid to see that the concentration of economic power in the hands of big industrialists was removed and also that they extended their cooperation in the development of cottage and small scale industries.

To accelerate the pace of rural development, more attention is required to be paid on irrigation facilities, construction of roads and flood control measures, than that stipulated in the draft Plan.

Educational facilities, transport facilities and medical facilities should also be provided in all villages, particularly in the backward areas, like eastern parts of U.P. It should be ensured that the schemes formulated for the uplift of backward areas are implemented effectively and properly.

It should be seen that the cottage industries are developed on the basis of local resources of different areas. I appreciate the programme being launched by the Ministry of Industry in this regard.

It is observed that the research being carried out in our Universities and research institutions is often of academic importance only. Direction should be issued to all of them that they should conduct their research programme keeping in view the practical requirements of the country.

Unemployment among our engineers is a big problem before the country today, and it has caused a great deal of frustration among them. It should be seen that the schemes envisaged in the Plan are implemented in a manner which did not further aggravate their unemployment problem.

Results of reservations in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes had been good. But the condition of Harijan colonies is pitable today. Adequate steps should be taken to provide sanitation, roads electricity etc. in those colonies early.

For the economic development of the country three things are most essential to eradicate corruption, to control and remove the negligence and feelings of irresponsibility developed among the bureaucracy during the past so many years; and, to control the increase in population. Adequate and more effective steps should be taken in these diections.

श्री बलवंत सिंह रामुवालिया (फरीदकोट) : इस प्रारूप में बताया गया है कि 1971 से 1978 तक गैर-कृषि कार्यों में 3.5 करोड़ बेरोजगार व्यक्तियों में से 90 लाख लोगों को ही लगाया गया है। देश के सम्मुख मुख्य प्रश्न यह है कि यह बेरोजगारी कृषि क्षेत्र द्वारा ही दूर को गई है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं, ग्रामोण सड़कों, पेय जल और आवास सुविधाओं की उत्तरोत्तर अधिक आवश्यकता है। अतः कृषि सम्बन्धो क्रिया-कलापों पर वास्तविक जोर देने की महती आवश्यकता है।

गरीब किसानों को बिना जमानत लिए ही ऋण दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने और देश को प्रगति के लिए कुछ कर सके।

किसान को सस्ते दामों पर उपादान उपलब्ध किए जाने चाहिए।

[श्री बलवंतसिंह रामुवालिया]

योजना आयोग ने फसल काटने के मौसम में कम्बाईनों के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं दिया है। यह उचित निर्णय नहीं है। फसल कटाई के मौसम में श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। कृषि फसलों के लिए यदि कम्बाइनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाती तो फसलों को बहुत घाटा हो सकता है। ओलावृष्टि तथा बारिश से फसलों की और हानि हो सकती है। यदि पहली फसल समय पर नहीं काटी गई तो अगली फसल में विलम्ब हो जायेगा।

योजना आयोग की यह नीति है कि नये चीनी मिलों की स्थापना करने के कार्य को हतोत्साहित किया जाये। पंजाब में ऐसे क्षेत्र हैं जहां गन्ने के अलावा और कोई खेती नहीं हो सकती। अतः पंजाब में और अधिक चीनी मिलें खोली जानी चाहिए। जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके।

पंजाब में थीन बांध के निर्माण के लिए विशेष निधि मंजूर की जानी चाहिए। इस बांध को पिछली सरकार ने गत 16 वर्ष से अधिक अवधि तक विलम्ब किया है।

पंजाब में कीटनाशी दवाओं के निर्माण करने के लिए एक संयुक्त क्षेत्र का कारखाना खोलना चाहिए।

राज्यों के राजस्व को बढाने वाले संसाधनों को सशक्त किया जाये।

हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत उतार-चढाव आ रहे हैं। मूल्य स्थिर होने चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं होने दी जानी चाहिए।

आज राजनीतिक और नौकरशाह एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि हम सभी को इस महान देश की जनता की सेवा करने के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए।]

सरकारी निधियों का घोटाले को रोकने के लिए कठोर कदम उठाये जाने चाहिएं। योजना पर खर्च करने से अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे जब तक कि इस घोटाले को नहीं रोका जाये।

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापूट) : पंचवर्षीय योजना प्रारुप में मुझे आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए मुश्किल से अलग आवंटन दिखाई दिया है।

केवल कृषि मंत्रालय ने ही आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को समझा है और आदिवासी विकास खण्डों पर कार्य कर रहा है। लेकिन परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि जैसे दूसरे मंत्रालयों ने आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को नहीं पहचाना है। मंत्रालय को आदिवासी क्षेत्रों का विशेष रूप से विकास करना होगा क्योंकि इन सभी आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए संवैधानिक गारंटी दी गई है।

इस योजना प्रलेख प्रारूप में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यद्यपि छठी योजना का एक वर्ष समाप्त हो चुका है। उप-योजना में लगभग 178 आई० टी० डी० पी० तैयार किए जाने थे लेकिन केवल 126 परियोजनाएं ही भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है। जब समस्त देश के व्यापक विकास के लिए अधिक आवंटन किया गया है तो आदिवासी क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक आवंटन किया जाना चाहिए।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए निर्धारित धन राशि अन्य क्षेत्रों पर खर्च नहो की जानी चाहिए बल्कि यह समूची राशि आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर ही खर्च कर देनी चाहिए।

आदिवासी और पिछड़े लोगों के विकास के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति को संविधान के अन्तर्गत विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। फिर भी हमने योजना के गत 25 वर्षों में आशा-ीत प्रगति नहीं की है। कम से कम आगामी 5 वर्षों में तो हम पिछड़ क्षेत्रों और पिछड़े लोगों का विकास करने में कुछ प्रगति कर सकते है यदि हमें इनपर खर्च करने के लिए धन मिलेगा।

हमने सरकार को सुझाव दिया था कि शराब की दुकाने बंद की जाये और आदिवास क्षेत्रों में विकास व्यय में वृद्धि की जाये।

परन्तु हम देखते हैं कि ऐसा नहीं किया गया है। यदि स्थिति ऐसी ही रहती है, तो विकास नहीं हो सकता। इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

आदिवासी लोगों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों से आये संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिये जैसा कि कृषि मंत्री ने किया है।

मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्तावों में अनेक सुझाव दिये है जिन पर सरकार को विचार करना चाहिये।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa) : Madam Chairman, this plan is very good. If the aims envisaged therein were achieved, our country would really advance and poverty of the people would also be removed to some extent.

Shri Stephen had criticised that through this Plan we would be taking our country back, but the fact is that during the previous Five Year Plan periods the rich had become more rich and the poor had become more poor and the number of persons living below the poverty line has increased. A large number of both the educated and uneducated people is facing unemployment problem today, as a result of the previous planning. Hence the opinion expressed by Shri Stephen was not correct.

I am doubtful if the target stipulated in the draft Sixth Plan for removal of unemployment would be achieved. The reason for this is that the targets of schemes were fixed by officials sitting in air-conditioned rooms in the Secretariats and they were not realistic. This is the reason why poverty and unemployment could not be removed even after completion of five Five Year Plans. This Plan also, in my opinion, was completely a bureaucratic plan. In this case even the State Governments had not been consulted.

There is acute backwardness in some areas in our country. Regional imbalances are also there. Bihar is richest in mineral resources, but it is perhaps the poorest State of the country. Bihar has no headquarters of any industry, although it provides all raw material to many industries. This aspect should be kept in view and more attention should be paid on rapid development of such backward areas.

About one crore hectares of waste land is lying idle in the country. There is no provision in this plan to make it cultivable. Steps should be taken in this direction so that agricultural production can be increased and more employment opportunities are made available.

[**Shri Vinayak Prasad Yadav**]

A scheme should be implemented to utilise the services of matric pass persons, by paying them nominal monthly amount, for removal of illiteracy from the country.

Shri Ram Murti (Bareilly) : The basic objective of planning is to achieve all-round development of our society. After 27 years of our planning we find that 51 percent of our population is below the poverty line. This shows that there is some shortcoming in our planning process that we cannot achieve our basic objective.

It is not that we have not achieved anything during the last 30 years. Our agricultural production has increased. But fruits of our planning had benefited small percentage of our population. 50 per cent of our population made use of the major portion of our agricultural production, textile production and housing and other facilities developed as a result of our planning.

Cities have developed and villages have remained neglected. There is large scale unemployment among our educated youth. All this shows failure of our planning to achieve the basic objectives. People have now given a chance to Janata Party to solve our basic problems and if this party fails to meet the aspirations of the people there will be great dissatisfaction among them.

Our country cannot progress if we do not pay attention to agriculture and rural areas. The Draft Five Year Plan 1978-83 has rightly laid emphasis on development of rural areas and small scale industry. It has paid special attention to the problems of the poor people. Certainly with the development of small scale and cottage industries in rural areas there will be more employment opportunities created.

According to 1971 census 70.5 lakhs of people in our country have land-less than one hectare. The Government will have to pay special attention to the problems of these people. They will have to be provided all necessary inputs. That will increase our agricultural production and help in making our plan a success.

Our block agencies have become out-moded. They are no longer inspired by the objectives set forth by Mehta Committee. We will have to create necessary enthusiasm among the concerned people by giving them honorarium.

We will have to exercise control on dividends and management of big factories. We will have to replace family type ownership by professional management. The relations between employers and workers will have to be improved.

We will have to pay special attention to increase the production of consumer goods and also to keep prices of essential goods in check.

We will have to pay more attention to labour-intensive industries as compared to capital-intensive industries. We have to provide employment to our large manpower.

The Leader of the Opposition has said that we are going to get a large foreign aid and our country will become a dependent nation. We have been getting foreign aid all these years. It is not that now only we will be getting foreign aid.

It is doubtful whether States will be able to mobilize resources worth 4 thousand crores. The Government should keep this in view lest we should face any difficulty later.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : योजना प्रारूप को देखकर ऐसा लगता है कि हम अभी भी उन बातों का अनुसरण कर रहे हैं जो कि पूर्व की योजनाओं में रही हैं। यद्यपि अब अधिक बल कृषि पर दिया गया है किन्तु यह भी उतना अधिक नहीं जिससे वास्तव में कुछ प्रभाव पड़ सके। हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि केवल संसाधनों की व्यवस्था करके या योजनाएं तैयार करके हम उसी ढंग से काम नहीं कर पाये हैं। हमने देखा है कि अतीत में हमें पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। अब हम आगे के लिए अपनी योजना बेहतर ढंग से चलायेंगे।

कृषि उत्पादन आदि के लिए हमारी जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए 48 इंच वर्षा काफी है। हमें कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि अधिक उत्पादन के फलस्वरूप अन्ततोगत्वा उत्पादक को घाटा होता है। कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत कृषि उत्पादन मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड, वस्तु ऋण निगम तथा विनाश तिथि आदि जैसे निकायों की स्थापना की जानी चाहिए।

नवीकरण योग्य संसाधनों से हमें समृद्धि प्राप्त हो सकती है। अधिक धूप, वातावरण में कार्बन डाइअक्साइड तथा छोड़ा जल से सभी-प्रकार के उत्पादन होते हैं और इनसे हमें समृद्धि मिल सकती है।

यह मई का महीना है और अभी तक समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं हुई है। आनेवाली खरीफ की फसल के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा शीघ्र कर देनी चाहिए।

उर्वरकों कीटनाशी दवाओं, अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के अलावा ऋण एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारे लिए वित्त की समस्या प्रमुख बाधा है। उद्योगों को जिनका अंशदान लगभग 18 प्रतिशत है, 1400 करोड़ रुपये का ऋण मिला है जबकि कृषि क्षेत्र को कुल ऋण 1700 करोड़ रुपये का मिला है।

हम यह मान सकते हैं कि 800 लाख टन का कुल उत्पादन स्थिर रहा है। वहां हमें विकास का प्रभाव नजर नहीं आया है। केवल कृषि में हमें थोड़ी बहुत सफलता मिली है। हम और अधिक अनुसंधान कर सकते हैं। इस दस्तावेज में छोटे पैमाने के उद्योगों कुटीर उद्योगों तथा कृषि पर अधिक बल दिया गया है। छोटे पैमाने के उद्योगों पर जरूरत से ज्यादा बल देने की आलोचना की गई है। किन्तु हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे उत्पादन का अधिक भाग पैदा करने के लिए जिम्मेदार हों। कुछ थोड़े से ऐसे उत्पाद हैं जिनका निर्माण छोटे पैमाने के उद्योगों में नहीं होता। बड़ी संख्या में ऐसे औद्योगिक उत्पाद हैं, जिनका उत्पादन ग्रामीण स्तर पर हो सकता है और ये उद्योग अन्ततोगत्वा हमें बेरोजगारी की समस्या हल करने में हमारी सहायता करेंगे। छोटे पैमाने के उद्योगों पर बल देने और कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को अधिकतम धन राशि देने के लिए कदम उठाने हेतु सरकार बधाई की पात्र है।

[श्री डी० डी० देसाई]

कुछ किसानों के धनी होने के बारे में कहा गया है और सफल किसानों के विरुद्ध कुछ कहा गया है । हमें इन लोगों को ऋण देना चाहिए। यदि कोई गरीब किसान अपने कठिन परिश्रम से छोटे खेतों पर अधिक उत्पादन करता है और धनी बन जाता है तो इस बात को समाज विरोधी या देश के हितों के विरुद्ध नहीं समझा जाना चाहिए। मानव उपयोग के लिए हमें गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का प्रयोग करना चाहिए और मोटे अनाज से चारे का काम लेना चाहिए।

Shri Ram Kishan (Bharatpur) : There are a number of welcome features in this plan document. We are giving new direction to our planning in the light of experience gained during the last 27 years. The greatest defect of our planning has been that purchasing power of majority of our people has not gone up. Only big industries and cities have developed. Rural areas were neglected. The Janata Government is therefore laying stress on the development of rural areas and small scale industries. The Government's policy is not against cities or big industries. The real need is to increase the purchasing power of our masses.

The policy of development pursued by the previous Government had increased unemployment and encouraged capitalistic system. There are about 10 to 12 million unemployed persons in our country and there are 36 crores who are below the poverty line. If we are able to improve the lot of these people our planning would succeed.

The previous Government had spent 15,000 crores of rupees on rural development and agriculture. 60 per cent of this money was spent on administrative expenditure and not more than 20 per cent was spent on agriculture. The benefit of this 20 per cent expenditure was reaped by big farmers. Now the central point of our programme of rural development should be improvement of the lot of Harijans, landless and agricultural labour and poor people.

The affluent section among farmers are not contributing their due share to resources of the country. There should be no hesitation in imposing more tax on this section.

The leader of the Opposition has objected to foreign aid being taken. During the first four plans we had taken foreign aid to the extent of 28 per cent. In this plan we would not take more than 4 per cent foreign aid.

The progress made in the matter of land distribution has been slow. It should be stepped up.

We will have to increase our savings for purposes of resource mobilization. Well-to-do sections both in urban and rural areas should contribute to our effort for resource mobilization.

An amount of Rs. 600 crores has been allotted for irrigation in the plan document. This amount should be increased as there is need for creating more and more irrigation facilities.

At present even drinking water is not available in certain parts of our country. We should provide adequate funds for this item so that we are able to provide drinking water in all areas.

Landless people do not have houses. We have to allot adequate funds for providing houses to needy people.

श्री चित्त बसु (बारसाट) : भारतीय स्थिति के निंदनीय पहलू हैं :—

(1) सम्पत्ति तथा उत्पादन अथवा उत्पाद वाली सम्पत्ति के साधनों का असमान वितरण; और

(2) सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं का शोषण करने वाला स्वरुप । भावी समाज के लिये यह मुख्य बाधा है । हमारे आयोजन, जिसका मसविदा तैयार हो चुका है, का लक्ष्य इन बाधाओं को दूर करना होना चाहिये । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम मसविदे को देखकर निराश हुये हैं। इस मसविदे में पहली बातें दोहरायी गयी हैं और कोई भी नई चीजें इसमें नहीं लायी गयी है।

20 व्यापार गृहों के पास अत्याधिक सम्पति केंद्रित हुई है। राष्ट्रीयकरण ही इस संचित की गई सम्पत्ति के उचित वितरण का समाधान था। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकारी नीति के बारे में कोई जिक्र नहीं आया है। सरकारी क्षेत्र ने आज अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है जो गैर सरकारी क्षेत्र ही की तरह कार्यकुशल है । लेकिन इसका विस्तार करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं जिसका कारण जनता पार्टी का सैद्धान्तिक पहलू है जो राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है ।

आयोजकों ने समझा है कि कृषि भूमि की मलकीयत के मामले में काफी विषमता है लेकिन भूमि सुधारों के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। भूमि सुधार से ही गांव में विषमता दूर हो सकती है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के बारे में काफी चर्चा हुई है । इसके बारे में ऐसे ही प्रचार हो रहा है जैसा कि पहली सरकार के समय होता था। इसका उद्देश्य संस्थागत परिवर्तन के मूलभूत प्रश्न को पीछे रखना है।

कृषि की ओर अधिक बल देने के बारे में काफी कुछ कहा गया है। यह कहना ठीक नहीं है कि कृषि की अवहेलना की गई है । कृषि कार्य के लिए किय गये अधिक आवंटन के फलस्वरूप अन्ततः ग्रामीण समुदाय के समृद्ध वर्ग को ग्रामीण क्षेत्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी ।

यद्यपि हम छठी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित कर भी दे, तो भी गरीबी ज्यों की त्यों बनी रहेगी । छठी पंचवर्षीय योजना की सफलतापूर्वक क्रियान्विती के बाद भी 38 प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो वर्ष 1982-83 तक गरीबी की रेखा से नीचे ही रहेंगे । वर्ष 1987-88 तक भी हमारी जनसंख्या का 27 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे रहेगा। छठी योजना का उद्देश्य गरीबी को स्थिर रखना है। सारी योजना का उद्देश्य ही गरीबी को स्थिर करना, उद्योगीकरण से समाप्त करना तथा आधुनिकीकरण के लिए अपनाई गई सम्पूर्ण प्रक्रिया को विपरित दिशा में बदलना है ।

योजना मंत्री को योजना का मसौदा फिर से तैयार कर, उसे सदन के समक्ष रखना चाहिये ताकि उस पर लाभप्रद चर्चा की जा सके। अन्यथा यह योजना केवल कागजों पर ही रह जायगी। क्या जीवन की वास्तविकताओं से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होगा ? क्या इससे हमारी किसी प्रकार की प्रगति नहीं होगी अपितु इससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया विपरित दिशा में मोड़ दिया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Hazari (Rosera) : The draft of the new Plan clearly shows what had been the attitude of the former Government in regard to the problems of the country. Ours is an agricultural country. But how much allocation was made by that Government for the 1974-79 Plan. They had given only Rs. 3109 crores. But the new Government has allocated Rs. 5800 crores for the 1978-83 Plan. Similar is the position in regard to irrigation and power. It also gives an indication that the new Government has paid attention to the problems of the country and the farmers and poor people.

However, it has to be pointed out that the provision of electricity made for the North-Eastern region is not adequate. The Prime Minister should pay special attention to the need of that region and see that it is fulfilled.

Yesterday the Leader of the Opposition said that Indira Gandhi had brought a new light for the country. But what was that new light? From 1969 to 1975 the assets of 20 big industrial houses went up from Rs. 2500 crores to Rs. 4500 crores. This shows what that new light was. So there is no use talking about such a thing.

So far as industries are concerned, an agitation is going on in many countries that workers should get adequate participation in their management. We will like to draw the attention of the Prime Minister to this and also like our workers to get the same.

It has also to be pointed out that while we had various development schemes even in the past they were not being properly implemented. It is very essential to implement these schemes properly and Government should pay attention to it. We would also like that the schemes should be time-bound. Only then will they be properly implemented? Otherwise, they will remain confined to papers.

So far as Bihar is concerned, it is a very backward State. It can make progress only when the head offices of the various mines and factories running in the State are opened in the State itself. There are about 450 such offices which are running in Delhi, Bombay, Calcutta and other places. If they are opened in the State itself it will be very beneficial for that State.

The people in the rural areas need three things namely roads, electrification and irrigation. If these three things are made available to those people in a planned manner, development will come about automatically and no special effort will have to be made for it. The previous Government did not pay attention to these things. Let the Janata Government make these things available so that the people become happy.

Shri S. R. Reddy (Gulbarga): The Janata Party had made some promises in their election manifesto. It is regrettable that we do not find anything in this Plan for the fulfilment of those promises. If a government do not fulfil its promises it has no right to govern.

As regards the Plan priorities, they are in no way different from the priorities of the previous government. It is being said that the previous government did not pay attention to agriculture. This is quite wrong. Agriculture is not something which can be developed in the course of 6 months. It is the result of continuous efforts made during the last 30 years that today we have been able to produce so much foodgrains that we are not getting warehouses for storing them.

So far as rural development is concerned, we have to keep in mind that 80-90 per cent of the rural people are dependent on agriculture. We have to see whether these people have any land or not. If we want to improve the lot of those people, land reforms are a must. But for this purpose political will is very necessary. If the Janata Government do not have that will, it will be very difficult to implement this plan.

Since the number of landless people in the country is very large, it is not possible to provide land to all of them. Therefore, some people will have to be diverted to other occupations like fisheries, poultry-farming and animal husbandry. In Karnataka this is being done through the small farmers' development agencies and it has produced very good results.

There is no doubt a great need to extend irrigation facilities in the country. But along with this it is also necessary to pay attention to dry farming and forestry. In our State we have launched a farm forestry scheme which is quite successful at some places. That scheme can be introduced in other States after a proper examination.

So far as industries are concerned, they should be set up in areas where raw material is available. In Gulbarga there are large deposits of limestone. At present three cement factories are running there. Some more factories should be set up there as sufficient limestone deposits are available in the area.

The Vijay Nagar Steel Plant was sanctioned 10 years ago but the work thereof has not yet started. The matter should be expedited.

In this Plan nothing has been said about the handloom weavers. The annual Plan allocations said that some qualities of cloth would be reserved for the handloom weavers. Those weavers are finding it very difficult to market their produce. So, something would have to be done for marketing the products of handloom weavers.

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपूर) : संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में दिये गये सामाजिक/आर्थिक के लक्ष्यों प्राप्ति के लिये और संसाधनों तथा आवश्यकताओं के मूल्यांकन पर आधारित राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करने के लिये हम देखते हैं कि सरकार की योजना नीति और पंचवर्षीय योजना की रुपरेखा में बहुत तालमेल है।

पिछली पंचवर्षीय योजनाओं का कार्य बहुत पीछे रह गया है। इसका कारण त्रुटिपूर्ण कार्यन्विति है। पहली पंचवर्षीय से आरंभ होकर पिछली योजना में जो पूरी होने वाली है रोजगार मुहैया करने के मामले में लाखों की संख्या में कार्य पीछे रह गया है। बेकारी की संख्या अब बहुत बड़ी हो गई है। आयोजकों को यह एक बड़ी हार है।

खेद की बात है कि हमारी प्रतिभा का विदेशों को पलायन हो रहा है। हमारे देश के प्रतिभाशाली लोग—वैज्ञानिक और डाक्टर अन्य देशों में अर्थात् विकसित देशों जैसे अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी में रह रहे हैं। हमारे त्रुटिपूर्ण आयोजन का करुणात्मक परिणाम है।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह क्षत्र प्राकृतिक संसाधनों, वन उत्पादन, कृषि उत्पादन और खनिजों के मामलें में बहुत समृद्ध है। विशेषज्ञों के मत के अनुसार हमारे क्षेत्र में पांच तेल शोधक कारखानों, उर्वरक करखानों और पैट्रो रसायन कारखानों के लिये आगामी एक

[श्री पूर्ण नारायण सिन्हा]

शताब्दी के लिये काफी मात्रा में कच्चा तेल है। भारत-बर्मा सीमा क्षेत्र में जो कोयला उपलब्ध है वह इतना अच्छा है कि उससे हमारे सभी इस्पात संयत्रों को अच्छे कोयले की सप्लाई को जा सकती है।

आसाम में 550 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ है और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। यदि योजना आयोग पर्याप्त सहायता दे तो आसाम और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विश्व में सबसे उच्चकोटि की चाय 1000 मिलियन किलोग्राम तक का उत्पादन कर सकता है।

देश में 40 प्रतिशत लोग गरीबी को रेखा से नीचे के स्तर पर रह रहे हैं। इनमें 50 लाख हरिजन और आदिवासी हैं। उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। इन लोगों के उत्थान के लिये अब समय हैं।

आसाम के लोगों का पिछड़ापन वहां कुछ परियोजनाएं आरंभ करके समाप्त किया जा सकता है।

योजना आयोग के उपप्रधान प्रो० लकड़ावाला ने कहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की मुख्य समस्या ऐतिहासिक कारणों से मूल ढांचे को अपेक्षाकृत कमी रही है और देश की आम संसाधनों को स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कमी को दूर करने में समय लगेगा। परन्तु ऐतिहासिक कारण क्या हैं? मुझे योजना आयोग से अभी इस प्रश्न का उत्तर मिलना है।

हमने अपने राज्य के लिये 37 करोड़ रुपये की मांग की है। हमें वर्षों तक धन नहीं दिया गया है। यदि इन्होंने 10 वर्ष अथवा इससे अधिक समय लिया तो यह राशि 72 करोड़ रुपये हो जायेगी। फिर आन्दोलन, गिरफ्तारियां और गोलीबारी होगी। उसके बाद यह राशि दी जायेगी। आसाम के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। वे नाराज हैं। वे निराश है। योजना आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिये।

जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन की बात है, आसाम ऐसा क्षेत्र है जिसे अधिकतम हानि हुई है। यदि वर्ष 1949-50 को आधार माने तो वहां की विकासदर 4.2 प्रतिशत है जबकि हरियाणा की 25 प्रतिशत है। योजना आयोग को असंतुलन समाप्त करना चाहिये।

जहां तक प्रतिव्यक्ति आय का सम्बन्ध है यह दिल्ली में 2130 रुपये, आसाम में 850 रुपये, पश्चिम बंगाल में 1046 रुपये, गोआ और अन्डमान में 1689 रुपये, पंजाब में 1518 रुपये, महाराष्ट्र में 1330 रुपये और हिमाचल प्रदेश में 1050 रुपये है। अतः हमें अधिक सहायता मिलनी चाहिये।

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 मई, 1978/15 वैशाख 1900 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Friday, the 5th May, 1978/Vaisakha 15, 1900 Saka.

P.L.S. 48. XIV. 50/78(N)
210

© 1978 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक-422 006, द्वारा मुद्रित ।

© 1978 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE A
CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (SIXTH EDITION) AND PRINTED
THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK-422 006.